सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

आधार

मेरा आधार, मेरी पहचान

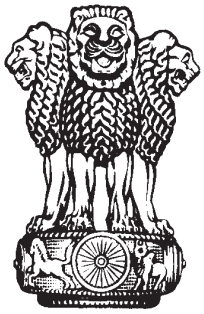

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्किट
नई दिल्ली – 110001

अस्वीकरण : प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो रिपोर्ट का अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भाविपप्रा © 2019

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुप्रेषण पत्र

माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत सरकार के लिए अनुप्रेषित

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सदस्यों की ओर से मुझे वर्ष 2018–19 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) की इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का 'अवलोकन' और आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा समनुदेशित प्रकार्य समाविष्ट हैं। भाविपप्रा का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट का भाग है।

पंकज कुमार

(पंकज कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निवेदन

अध्यक्ष
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) की वार्षिक रिपोर्ट (2018–19) प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। यह वह वर्ष है जिसमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के निर्णय ने आधार और इसकी संवैधानिकता से संबंधित सभी मुद्दों का निवारण कर दिया। देश के उच्चतम न्यायालय ने आधार पर अपने बहुमत फैसले में आधार परियोजना और उसके अधिनियम की भी संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा है। निर्णय में यह उपयुक्त रूप से बताया गया है कि, – "सर्वश्रेष्ठ से अद्वितीय होना बेहतर है। क्योंकि श्रेष्ठ होना आपको नंबर एक बनाता है, लेकिन अद्वितीय होना आपको एकमात्र बनाता है। "जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, निर्णय में कहा गया है, "अद्वितीय आपको एकमात्र बनाता है, जो आधार का केंद्रीय संदेश है।"

एक दशक से कम की अवधि में, अपने अस्तित्व की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, आधार ने भारत के 123.5 करोड़ से अधिक निवासियों को इसका अधिकार प्रदान किया है और यह आगे भी एक सुरक्षित डिजिटल पहचान के साथ जीवन को सुगम बनाने की दिशा में निवासियों को सेवा प्रदान कर रहा है। आधार लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के निर्बाध प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। आधार योग्य लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अटूट प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुगम बना रहा है।

आज आधार भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर की लगभग सभी परिवर्तनकारी ई–सुशासन पहलों में प्रमुख है। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में संवर्धित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है तथा सेवाओं, सब्सिडी और लाभ प्राप्त बिचौलियों के लक्षित परिदान को सुरक्षित किया है। इसने बैंक खाता खोलने को आसान बनाने के द्वारा समाज के वंचित वर्गों की वित्तीय भागीदारी को सुलभ बनाया है। आधार ने लोगों के घरों तक, विशेषकर ग्रामीणों के लिए, मूलभूत बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। निश्चित रूप से, आधार भारत के किसी भी अन्य पहचान दस्तावेजों की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और भरोसे को प्रेरित करता है।

मैं आधार प्लेटफार्म और इसकी क्षमताओं पर अथक विश्वास बनाये रखने के लिए सभी हितधारकों एवं ईकोसिस्टम भागीदारों का धन्यवाद करता हूं। फिर भी, राष्ट्र की सेवा में इस परिवर्तनकारी आधार और इसकी सफलता हमारे कर्मचारियों के कठिन प्रयासों के फलस्वरूप है।

जे.सत्यनारायण

(श्री जे. सत्यनारायण ने 15 अप्रैल, 2019 से अध्यक्ष (अंशकालिक), भाविपप्रा का पदभार छोड़ दिया है)

निवेदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

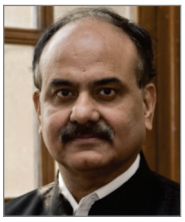

26 सितंबर, 2018 भारत के इतिहास में एक यादगार दिन रहेगा क्योंकि इस दिन, 37 याचिकाओं पर छह साल तक चली लंबी मुकदमेबाजी और 40 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद, उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के बहुमत से आधार पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा और उसके उद्देश्य को विधिमान्य रूप से सहमति दी। इसके साथ, आधार अधिनियम न्यायिक जांच पर खरा उतरा है, क्योंकि "अधिनियम का उद्देश्य वैध है"। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में पारित आधार अधिनियम को भी वैध बताया है।

साथ ही, निर्णय में कहा गया कि आधार न तो किसी प्रकार की निगरानी करता है और न ही किसी प्रकार की गोपनीयता को भंग करता है। निर्णय के अनुसार, आधार समाज के वंचित वर्गों को अधिकार प्रदान करने का एक उपकरण है और आधार पहचान अद्वितीय है। यद्यपि, फैसले ने कुछ सुरक्षा उपायों को रेखांकित किया है, जिनसे राष्ट्र और मानवता की सेवा में आधार को और मजबूत बनाने में एक लंबा रास्ता तय होगा।

इस प्रकार, इस निर्णय ने आधार के साथ भारत के डिजिटल भाग्य की गति निर्धारित की है, जो लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों, को सशक्त बनाने में चैंपियन के रूप में जीतकर आया है और जिसने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में नकली, जाली पहचान और बिचौलियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। इस फैसले ने न केवल आधार को अपने नए क्षितिज की ओर बढ़ने के लिए संवैधानिक पंख प्रदान किए हैं, बल्कि नए भारत की ऐसी गति भी निर्धारित की है, जो एक डेटा समृद्ध डिजिटल समाज में परिवर्तित करने के लिए भी उत्सुक है।

शीर्ष अदालत द्वारा अधिदेशित सुरक्षात्मक उपायों का स्वागत है तथा इससे आधार और अधिक सुदृढ़ होगा। कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों पर जिम्मेदारी डाली गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य लाभार्थी – चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो, शारीरिक श्रम में लगे हुए लोग हों या समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हों – को आधार के अभाव में या किसी अन्य तकनीकी खराबी के कारण किसी लाभ अथवा सेवा से वंचित न किया जाए।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरकार की मुश्किल से कोई ऐसी पहल होगी, जिससे इतना विवाद हुआ हो जितना आधार के अस्तित्व में आने पिछले आठ वर्षों के दौरान हुआ है। इसने भारत की डिजिटल नियति पर चर्चा को एक हाई पिच पर निर्धारित किया और गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा आदि जैसे कई मुद्दों को राष्ट्रीय कार्यसूची से जोड़ा। यह वाद–विवाद इतने व्यापक स्तर पर और तीव्रता से हुआ था कि समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आधार को सार्वजनिक स्वामित्व वाले दुनिया के पहले सबसे बड़े बायोमैट्रिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के रूप में उभरने में सहायता मिली है, जिसे अब संवैधानिक रूप से वैध माना जा रहा है। इसने न केवल 133 करोड़ लोगों को बायोमैट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान के साथ सुदृढ़ बनाया है, बल्कि कहीं भी कभी भी ऑनलाइन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचा प्रदान किया है और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया है तथा उन्होंने बिना किसी डर के अपने अधिकारों का उपयोग किया है।

मुझे विश्वास है कि आधार न केवल एक पहचान प्लेटफार्म या सुशासन में पारदर्शिता लाने वाले किसी उपकरण मात्र के रूप में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कर चोरी, मनी लांड्रिंग, शैल कंपनियां, बेनामी लेन–देन आदि पर अंकुश लगाने में भी सहायता करेगा। डिजीटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए भारत का प्लेटफार्म होने के अलावा, आधार वित्तीय अनुशासन और अत्यधिक कर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यह सरकार के लिए संभव होगा कि वह विशेष कल्याण कार्यक्रमों को डिजाइन करे और समाज के योग्य वर्गों की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करे।

आधार हमेशा की तरह गरीबों के लिए एक गेम चेंजर रहेगा और वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत को सुविधा प्रदान करेगा। आधार नए भारत के लिए केवल मजबूत नींव रखने और नवप्रवर्तन क्षितिजों को खोलने के अलावा, विकास के नए प्रतिमानों को स्थापित करने की शुरुआत कर रहा है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और उपलब्धि का विषय है कि हम अपनी ताकत के दम पर एक ऐसी विशाल और परिष्कृत पहचान मंच बनाने में सक्षम हुए हैं जिसने भारत को दुनिया के डिजिटल नेतृत्व के पथ पर स्थापित किया है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निवासी के डेटा की, मजबूत एन्क्रिप्शन, बायोमैट्रिक लॉक, रजिस्टर्ड डिवाइसेस, वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन, सीमित ई–केवाईसी आदि के साथ अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। फलस्वरूप, इसने सबसे भरोसेमंद आईडी के रूप में आधार के साथ व्यक्ति–से–व्यक्ति और व्यक्ति–से–प्रणाली के बीच डिजिटल विश्वास बढ़ाया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, देश की सेवा में सुरक्षित एवं संरक्षित आधार को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी और विधिक उपाय करने के लिए आगे भी प्रयासरत रहेगा।

डॉ. अजय भूषण पांडे

(डॉ. अजय भूषण पांडे ने 23 अक्तूबर, 2019 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा का पदभार छोड़ दिया है)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री जे. सत्यनारायण
अध्यक्ष (अंशकालिक), भाविपप्रा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के आन्ध्र प्रदेश कॉडर के अधिकारी रहे श्री जे. सत्यनारायण, भाविपप्रा के अंशकालिक अध्यक्ष हैं। चार दशकों से अधिक के समृद्ध प्रशासनिक अनुभव से सम्पन्न श्री सत्यनारायण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद से 2014 में लगभग दो वर्षों का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने ई–सेवा, पासपोर्ट सेवा और एम.सी.ए. 21 समेत अनेक प्रमुख ई–शासन पहलों का अभिकल्पन और क्रियान्वयन किया है।

डॉ. आनंद देशपांडे
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डॉ. आनंद देशपांडे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. आनंद देशपांडे आईआईटी, खडगपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बी. टेक. (ऑनर्स) तथा इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, अमेरिका से एम.एस. और पीएचडी हैं। 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स को शुरू कर आज उसे एक वैश्विक व्यापारिक कंपनी के रूप में खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

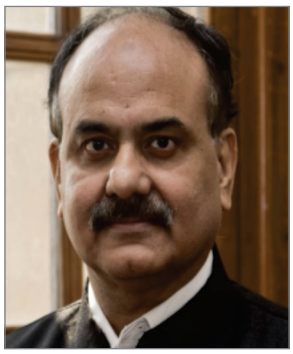

डॉ. अजय भूषण पांडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सदस्य सचिव, भाविपप्रा

डॉ. अजय भूषण पांडे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव हैं। आधार कार्यक्रम की शुरूआत से ही वह वर्ष 2010 से इससे जुड़े रहे हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी हैं। उन्हें राज्य एवं भारत सरकार में विभिन्न पदों पर 35 से अधिक वर्षों का कार्य करने का सवंर्धित अनुभव है। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक. डॉ. पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी हैं। अपने प्रोफेशनल करियर में उत्कृष्ट लीडरशिप उपलब्धियों के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा वर्ष 2009 में 'डिस्टिंगिस्ड लीडरशिप अवार्ड फॉर इंटरनेशनल्स' से सम्मानित किया गया।

विषय सूची

1. अवलोकन 1–9

1.1 वर्ष 2018–19 1

1.2 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रमुख विशेषताएं 2

1.2.1 संक्षेप में उच्चतम न्यायालय का फैसला 2

1.3 निर्णय के बाद की कार्रवाई 3

1.4 सबसे विश्वसनीय पहचान 3

1.5 भाविपप्रा का सृजन 4

1.6 भाविपप्रा का अधिदेश 6

1.7 भाविपप्रा की यात्रा 6

1.8 दृष्टिकोण एवं मिशन 7

1.9 भाविपप्रा के उद्देश्य 8

1.10 मूल मंत्र 8

1.11 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप 8

2. संगठनात्मक संरचना 10–13

2.1 प्राधिकरण की संरचना 10

2.2 मुख्यालय की संरचना 10

2.3 क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 12

3. भाविपप्रा के कार्यकलाप 14–32

3.1 नामांकन एवं अद्यतन परिव्यवस्था 15

3.1.1 नामांकन सहभागी 16

3.1.2 नामांकन प्रक्रिया 16

3.1.3 आधार नामांकन प्रगति 18

3.1.4 आधार डाटा अद्यतन 20

3.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था 21

3.2.1 अधिप्रमाणन सहभागी 21

3.2.2 अधिप्रमाणन सेवा 24

3.2.3 निष्पादित नई पहलें 27

3.3 प्रचालन परिव्यवस्था 28

3.3.1 आधार पत्र मुद्रण और परिदान 28

3.3.2 ई–आधार 28

3.3.3 आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर) सेवा 29

3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन परिव्यवस्था 29

3.5 ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन 30

3.5.1 आधार सहायता सेवाएं – आधार सम्पर्क केन्द्र 31

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता 33–36

4.1 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन 34

4.2 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन 34

4.3 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा 34

4.4 डाटा का कोई एकीकरण नहीं 35

4.5 इष्टतम अनभिज्ञता 35

4.6 स्थिति अपरिज्ञान 35

4.7 विकेंद्रित डाटा तथा एक–मार्गी संयोजन 35

4.8 आधार डाटा की सुरक्षा 35

4.9 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित 36

4.10 सीआईडीआर संरचना घोषित रक्षित व्यवस्था 36

4.11 संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी) 36

4.12 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 36

5. आधार – सुशासन में उपयोग 37–41

5.1 शासन में सुधार हेतु एक साधन के रूप में 37

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार 37

5.1.2 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) 37

5.1.3 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) 38

5.1.4 भीम आधार 38

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में आधार 40

5.2.1 डीबीटी योजनाओं के लिए जारी अधिसूचनाएं 40

5.2.2 एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई एवं अपवाद प्रबंधन के लिए स्पष्टीकरण का निर्गमन 40

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 42–45

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी 42

6.2 राजभाषा प्रोत्साहन 43

6.3 सिटिजन चार्टर 43

6.4 इन्टरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 43
6.5 नोडल सूचना का अधिकार कक्ष 43
6.6 भाविपप्रा वेबसाइट 44
6.6.1 सामान्य निधान के रूप में भाविपप्रा वेबसाइट 45
6.6.2 आधार ऑनलाइन सेवाओं तथा अन्य पोर्टलों के लिए एकल पहुंच अभिगमन 45
7. भावी योजनाएं 46–47
7.1 आधार सेवा केंद्र (एएसके) 46
7.2 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल 46
7.3 रजिस्ट्रार के रूप में बीएसएनएल 46
7.4 एल1 पंजीकृत उपकरण 46
7.5 चैटबोट 46
7.6 यूनिफाइड मोबाइल ऐप्प (अपग्रेडेड एम–आधार) 46
8. वित्तीय कार्यनिष्पादन 48–49
8.1 वित्तीय परामर्श/सहमति 48
8.2 बजट निर्माण 48
8.3 व्यय एवं रोकड़ प्रबंधन 48
8.4 आंतरिक लेखापरीक्षा 48
8.5 अन्य कार्यकलाप 48
8.6 बजट एवं व्यय 48
9. भाविपप्रा संबंधित वर्ष 2018–19 का लेखापरीक्षित विवरण 50–96
10. अनुलग्नक 97–104
10.1 अनुलग्नक I- आधार अधिनियम 97
10.2 अनुलग्नक II- आधार विनियम 99
10.3 अनुलग्नक III- सत्यापन हेतु स्वीकार्य सहायक दस्तावेज़ों की सूची 100
10.4 अनुलग्नक IV- आधार परिपूर्णता (राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार) 102
11. शब्द लघुरूपण 105–109

आकृतियों की सूची

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना 10
आकृति 2. भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना चित्र 11
आकृति 3. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना चित्र 13
आकृति 4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता 15

आकृति 5. विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क 21

ग्राफ की सूची

ग्राफ 1. वर्षवार आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2019) 18
ग्राफ 2. संचयी आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2019) 19
ग्राफ 3. वर्षवार आधार अद्यतन 20
ग्राफ 4. वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 22
ग्राफ 5. संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 23
ग्राफ 6. वर्षवार ई–केवाईसी संव्यवहार 25
ग्राफ 7. संचयी ई–केवाईसी संव्यवहार 25
ग्राफ 8. आधार की बैंक खातों से संयोजन की प्रगति 37
ग्राफ 9. एईपीएस संव्यवहार की प्रगति 38
ग्राफ 10. आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति 39
ग्राफ 11. आधार भुगतान ब्रिज संव्यवहार के मूल्य में प्रगति 39

तालिकाओं की सूची

तालिका 1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना 10
तालिका 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 12
तालिका 3. माहवार आधार सृजन (2018–19) 18
तालिका 4. नामांकन सांख्यिकी 19
तालिका 5. वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 22
तालिका 6. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2018–19) 23
तालिका 7. वर्षवार एवं संचयी ई–केवाईसी संव्यवहार 25
तालिका 8. माहवार ई–केवाईसी संव्यवहार (2018–19) 26
तालिका 9. प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2018–19) 30
तालिका 10. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निरोधन की वार्षिक रिपोर्ट (2018–19) 42
तालिका 11. बजट एवं व्यय (संस्थापन के पश्चात से) 49
तालिका 12. बजट एवं व्यय (2018–19) 49

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2018–19

वर्ष 2018 आधार के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। यह वह वर्ष था, जिसने आधार और भारत के डिजिटल नियति का फैसला किया। छह साल तक चली लंबी मुकदमेबाजी, जिसमें 40 दिनों की लंबी सुनवाई शामिल थी, के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आखिरकार एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने आधार को संवैधानिक ठहराया।

अपने अस्तित्व के पिछले आठ वर्षों के दौरान, आधार और विवाद साथ–साथ चलते रहे हैं। आधार को न केवल दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक विशिष्ट पहचान कार्यक्रम होने का विशेष दर्जा मिला है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा भी बना रहा, जिससे विवाद हमेशा जुड़े रहे। किंतु, ऐसे सभी विवादों को आधार पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के दिनांक 26 सितंबर, 2018 के ऐतिहासिक फैसले ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस फैसले ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इसकी विधिमान्यता को स्वीकार किया है।

आधार की अवधारणा का पूर्णतया समर्थन किया गया और निर्णय में कहा गया कि आधार न तो किसी प्रकार की निगरानी करता है और न ही किसी प्रकार की गोपनीयता भंग करता है। इस प्रकार, आधार अधिनियम न्यायिक जांच पर खरा उतरा है और "(आधार) अधिनियम का उद्देश्य वैध है"।

निर्णय के अनुसार, आधार समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का एक उपकरण है। शीर्ष न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में पारित आधार अधिनियम को भी वैध ठहराया है। आगे यह भी कहा कि आधार अधिनियम सीमित सरकार, सुशासन और संवैधानिक भरोसे की अवधारणा को पूरा करता है। आधार लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक चैंपियन के रूप में सामने आया है तथा इसने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के परिदान में जाली, नकली और बिचौलियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है।

यह निर्णय भाविपप्रा के समर्थन का प्रमाण है और इससे भारत की डिजिटल नियति को गति देने में मदद मिलेगी। फैसले में यह माना गया है कि आधार मानवीय गरिमा का सम्मान करता है और निजता का उल्लंघन नहीं करता है। निर्णय ने यह रेखांकित किया है कि गरिमा का तात्पर्य किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है, बल्कि समुदाय के भीतर भी गरिमा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आधार अधिनियम "संतुलन परीक्षणों" को पास करता है क्योंकि आधार केवल न्यूनतम डेटा एकत्र करता है। हालाँकि, निजी उपयोगों पर कुछ उचित शर्तें और प्रतिबंध सुरक्षा उपायों के रूप में लगाए गए हैं जो आधार को, विशेष रूप से गरीब लोगों की सेवा हेतु विशिष्ट पहचान के रूप में और मजबूत करेंगे।

इस निर्णय से आधार को सार्वजनिक स्वामित्व वाले दुनिया के पहले सबसे बड़े बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के रूप में उभरने में सहायता मिली है, जो न केवल 123.5 करोड़ लोगों को बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान के साथ अधिकार प्रदान करता है, बल्कि छीन लिए जाने के डर के बिना अपने अधिकारों का उपयोग और अपने हकों को प्राप्त करने हेतु कहीं भी, कभी भी ऑनलाइन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

सीमित संसाधनों वाली किसी भी सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह संसाधनों का न्यायसंगत और सही वितरण सुनिश्चित करे। आधार ने सरकार को

संपूर्ण वितरण प्रणाली को पुनर्निर्मित करने और लक्षित, परेशानी मुक्त, प्रत्यक्ष, पोर्टेबल, वास्तविक समय, सेवाओं की लेखापरीक्षा योग्य डिलीवरी, बिचौलियों और मध्यस्थों से मुक्त अनुदानों को सुनिश्चित करने में मदद की है। इसने शासन की एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जो वंचितों और पीछे छूट गये लोगों को शासन की प्रणाली में शामिल करने को सुनिश्चित करता है ताकि वे अपने अंगूठे की एक छाप पर अपने वास्तविक हकदारियों को प्राप्त कर सकें। आधार के जरिए राशन की दुकानों से अनाज वितरित किया जा रहा है। आधार के जरिए करोड़ों छद्म और नकली राशन कार्ड, एलपीजी के बहु–कनेक्शनों, नकली मनरेगा जॉब कार्ड, फर्जी पेंशन लाभार्थियों, छद्म छात्रों को हटा दिया है, जिसके फलस्वरूप राजकोष में अभूतपूर्व बचत हुई है।

1.2 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रमुख विशेषताएं

- न्यायमूर्ति सीकरी, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति खांडविल्कर के बहुमत फैसले ने आधार को संवैधानिक माना है और भारत की समेकित निधि से दी जाने वाली सब्सिडियों के लिए आधार की अनिवार्यता को जरूरी समझा है।
- निर्णय ने आधार को धन विधेयक के रूप में कायम रखा है।
- आधार का उद्देश्य वैध और राष्ट्र हित में है। कोई निगरानी संभव नहीं है।
- सिम और बैंक खातों के लिए आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है क्योंकि वे कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- आधार और पैन की अनिवार्यता को लागू रखा है।
- धारा 57 को इस प्रभाव के लिए समाप्त कर दिया कि निजी कंपनियां अपने निजी लाभों के लिए आधार पर जोर नहीं दे सकती हैं।
- धारा 29 के अंतर्गत डेटा शेयरिंग पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैबिनेट सचिव के आदेश से प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई के लिए केवल प्रकटीकरण की अनुमति दी जाए।
- यदि आधार अधिनियम का उल्लघंन होता है तो धारा 47 के अंतर्गत निजी नागरिकों को आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की अनुमति है।
- प्रमाणीकरण लॉग का रखरखाव पाँच साल के बजाय केवल छह महीने तक किया जाए।
- न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति की सिफारिश से इसे लागू की जाए।

न्यायमूर्ति चंद्राचुड़ का असंतोषजनक निर्णय:

- आधार एक धन विधेयक नहीं हो सकता है। यह "संविधान से धोखाधडी" है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण:

- न्यायमूर्ति सीकरी के बहुमत निर्णय के साथ सहमत
- बैंक लिंकिंग कायम रखा

1.2.1 संक्षेप में उच्चतम न्यायालय का फैसला

समर्थित:

- आयकर अधिनियम की धारा 139एए के संबंध में पैन–आधार लिंकिंग।
- डेटा शेयरिंग में आधार अधिनियम की धारा 29 वैध है।
- वर्तमान विनियम वैध हैं, परंतु बाद में आवश्यकता होने पर चुनौती दी जा सकती है।

अपेक्षित सुरक्षात्मक उपाय/संशोधन:

- अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए निवासी की परिभाषा धारा 2 (बी)।
- संव्यवहार के मेटा डेटा को शामिल नहीं करने के लिए धारा 2 (डी) रेड डाऊन।
- आधार प्रमाणीकरण की विफलता पर पहचान स्थापित करने के लिए विनियमों में उपयुक्त प्रावधान किए जाएं।

- धारा 33 (2), वर्तमान तंत्र विवेकाधीन है और न्यायिक अधिपत्र की आवश्यकता है।

असमर्थित:

- अनिवार्य बैंक खाता और आधार बैंक लिंकिंग के लिए पीएमएलए नियम आनुपातिकता के परीक्षण को पूरा नहीं करता है।
- धारा 57 को इस हद तक स्ट्रक डाऊन किया गया है कि "किसी उद्देश्य" का तात्पर्य जहां तक राज्य प्राधिकारियों का संबंध है, कानून द्वारा समर्थित किसी भी उद्देश्य से होना चाहिए। निजी कंपनियां आधार के लिए मजबूर नहीं कर सकती। स्वेच्छा से और कानून का अनुसरण करने के क्रम में निजी पक्ष आधार को मांग सकते हैं।
- संव्यवहार लॉग के अभिलेखीय भंडारण के लिए पांच वर्षीय नियम को स्ट्रक डाऊन किया गया है। मेटाडेटा भंडारण हटाया गया है। सुनवाई के अध्यधीन डेटा के लिए 33 (1) के अर्न्तगत अवसर प्रदान करना।
- धारा 47 स्ट्रक डाऊन और कहा गया है कि व्यक्ति विशेष को भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए।

अनिवार्य नहीं:

- सर्व शिक्षा अभियान और आधार पर प्रासंगिक अन्य योजनाएं आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती हैं। किंतु अभिभावक की सहमति से नामांकन संख्या पर जोर दे सकते हैं।
- सीबीएसई, एनईटी, यूजीसी, आदि, आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं।
- बच्चों के नामांकन केवल अभिभावक की सहमति से हो। उन्हें वयस्कता प्राप्त करने पर बाहर निकलने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

1.3 निर्णय के बाद की कार्रवाई

भाविपप्रा ने पूरी ईमानदारी से माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यों/प्रक्रियाओं की व्यवस्था की है और आवश्यक संशोधन को आधार अधिनियम में लाने सहित कई कार्यों/प्रक्रियाओं को तकनीकी और कानूनी रूप से शुरू कर दिया है। हालाँकि, 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर, आधार संशोधन विधेयक अधिनियम नहीं बन सका और भारत सरकार इसे 2 मार्च 2019 को "आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019" में लायी, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले में मांगे गए परिवर्तनों को पर्याप्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। आधार संशोधन विधेयक को 17वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद में फिर से पेश किया जाएगा।

1.4 सबसे विश्वसनीय पहचान

आधार, सबसे विश्वसनीय पहचान, के साथ भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह सीमित उपलब्ध संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

आधार–12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या–में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफ़ॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस अक्षमता ने न केवल सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की

विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार के पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसे निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

सितंबर 2010 में इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा जाता था, जो कि मानवीय इतिहास में अनसुना हैं, को शुरू किया गया। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमेट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमेट्रिक के डि–डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, लगभग असंभव थे।

विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, को भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई थी कि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, और (ख) आसान तरीके से सत्यापित और प्रमाणित एक हो सके, किफायती हो। भारत के प्रत्येक निवासी को ऐसा विशिष्ट पहचान जारी करने के लिए, वर्ष 2009 में राजपत्र अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–प्रशासन.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 के जरिए तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के संबद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया। बाद में, भाविपप्रा को कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2492(ई)(एफ.न.–1/21/24/2015–कैब) दिनांक 12 सितंबर, 2015 के तहत सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) में लाया गया। तत्पश्चात, 2016 में संसद ने आधार को अधिनियमित करके आधार को विधायी आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया (अनुलंग्नक I)।

इसके पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358(ई) दिनांक 12 जुलाई 2016 के तहत आधार अधिनियम अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में नई दिल्ली में मुख्यालय और बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और रांची में आठ क्षेत्रीय कार्यालय, तथा हेब्बल (बेंगलुरु) और मानेसर (गुरुग्राम) में केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी ऑपरेशनों के लिए केंद्रों के साथ स्थापित किया गया।

1.5 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सृजन

विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार–विमर्श और कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक "कार्यनीतिक अवलोकन – निवासियों की विशिष्ट पहचान" को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया

गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की गयी थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल–विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ–साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेद्रित दृष्टिकोण में समर्थ हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

उसी दौरान, भारत के पंजीयक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु–उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं – नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए एक मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण भाविपप्रा का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या (ए–43011/02/2009–प्रशा.।(खंड–।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर भाविपप्रा को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को भाविपप्रा पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया था ताकि, मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

बाद में, इस परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

भाविपप्रा पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए भाविपप्रा ने दो समितियों अर्थात् (i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में भाविपप्रा

द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जबकि विभिन्न बायोमेट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी.के.गैरोला की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से भाविपप्रा और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, भाविपप्रा को 24 राज्यों एवं संघ राज्य–क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा भाविपप्रा को उन 10 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर) में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया, जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप भाविपप्रा द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, भाविपप्रा सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.6 भाविपप्रा का अधिदेश

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रत्येक निवासी को आधार नंबर जारी करने के संबंध में नीति बनाने, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा प्रमाणन निष्पादन करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसे केंद्रीय पहचान डेटा निक्षेपगार (सीआईडीआर) में संचित सूचना को अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

1.7 भाविपप्रा की यात्रा

पहली विशिष्ट पहचान संख्या, आधार नाम से विख्यात, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। उसके बाद से 31 मार्च 2019 तक 123 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार संख्या दी जा चुकी है। आधार की, एक विशिष्ट पहचान के बतौर निम्न विशेषताएं हैं–

- यह 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छ संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखण नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमेट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतनीकरण देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- यह पूरे देश में संवहनीय पहचान है जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा – निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

नामांकन के संदर्भ में भाविपप्रा लगभग पूरे देश को समाविष्ट करता है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के

नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक 123 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपने सेवा परिदान में उन्नयन के निरंतर उपाय कर रहा जिससे आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता का सृजन हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहायिकियां, लाभ एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश और विभिन्न डाटाबेसों से छदम्/नकली लाभार्थियों के शोधन से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

1.8 दृष्टिकोण एवं मिशन

दृष्टिकोण

भारत के निवासियों का एक विशिष्ट पहचान से सशक्तिकरण और कभी भी, कहीं भी अधिप्रमाणन के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म।

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं जिनके लिए भारत की समेकित निधि से व्यय किया गया हो, का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना ताकि इसके लिए अनुरोध करने वाले अपनी जनांकिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत कर नामांकन प्रक्रिया अपना सकें।
- आधार धारकों के अपनी डिजिटल पहचान के अद्यतनीकरण और अधिप्रमाणन के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापक्रमणीयता और तन्यता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

1.9 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का सृजन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से ''आधार'' नामक विशिष्ट पहचान संख्याएं निर्मित निम्नलिखित उद्देश्य से निर्मित की गई थी:

- जो इतनी पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों का शोधन किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं किफायती ढ़ंग से हो सके।

1.10 मूल मंत्र

- हम सुशासन सुगम बनाने में विश्वास रखते हैं
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
- हम सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण और अपने सहभागियों को महत्व देते हैं
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उद्यम करेंगे
- हम हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे
- हम नवोन्मेष से प्रेरित हैं और नवोत्थान के लिए अपने सहयोगियों को प्लेटफार्म प्रदान करेंगे
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं

1.11 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप

आधार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 23 के अनुसार भाविपप्रा व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास करेगा और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन करेगा। प्राधिकरण के कार्यकलापों में, अन्य विषयों के साथ, शामिल हैं –

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार संख्या की चाहने वाले व्यक्ति से जनांकिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- केन्द्रीय पहचान डाटा निधान के प्रचालन के लिए एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार संख्याओं का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार संख्याओं के अधिप्रमाणन का निष्पादन करना;
- केन्द्रीय पहचान डाटा निधान में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप, एक आधार संख्या व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- आधार संख्या के उपयोग की विधि विनिर्दिष्ट विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं को प्राप्त करने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए करना;
- विनियमों में रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करना;
- केन्द्रीय पहचान डाटा निधान की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विनियमों में विनिर्दिष्टि के अनुरूप आधार संख्या धारकों से संबद्ध सूचना का सहभाजन करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केन्द्रीय पहचान डाटा निधान, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग, उनका निरीक्षण तथा प्रचालन लेखा परीक्षण करना;

- आधार अधिनियम के अंतर्गत डाटा प्रबंधन, सुरक्षा नयाचार एवं अन्य प्रौद्योगिकी संरक्षण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों के अनुपालन में शुल्क लगाना एवं एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ऐसे शुल्क की विनिर्दिष्ट रूप से प्राप्ति के लिए अधिकृत करना;
- इस अधिनियम के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कार्यकलापों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यतानुरूप समितियों की नियुक्ति करना;
- बायोमेट्रिक एवं सम्बद्ध क्षेत्रों उत्तरोत्तर विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं व समुचित प्रकियाओं से आधार संख्या के उपयोग को प्रोत्साहित करना;
- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना और व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था बनाना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजन में जैसा भी आवश्यक हो, सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी क्रियाकलाप अथवा व्यक्तियों को आधार संख्या की सुपुर्दगी अथवा अधिप्रमाणन सम्पन्न करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा करार करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजन से जैसा भी आवश्यक हो, अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या अधिप्रमाणन करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति तथा उन्हें प्राधिकृत करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सम्यक निर्वहन के लिए जैसे आवश्यक हों, वैसे परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों की सेवाएं, भत्तों या पारिश्रमिक तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार प्राप्त कर सकना।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं तथा यह बंगलुरू, चंडीगढ, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुम्बई, नई दिल्ली तथा रांची स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है। भाविपप्रा के दो डाटा केन्द्र – एक हेब्बल (बंगलुरू) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में है, जैसा कि आकृति–1 में दर्शाया गया है।

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भाविपप्रा एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2019 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को आकृति–1 में दर्शाया गया है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथकार्य–सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य–अनुभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य–सहयोग के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा मुख्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति–2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**श्री जे. सत्यनारायण** भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) (आं.प्र.1977)	**अध्यक्ष** (अंशकालिक)
2	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**सदस्य** (अंशकालिक)
3	**डॉ. अजय भूषण पांडे** भा.प्र.से. (महाराष्ट्र 1984)	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव**

संरचना चित्र - मुख्यालय*

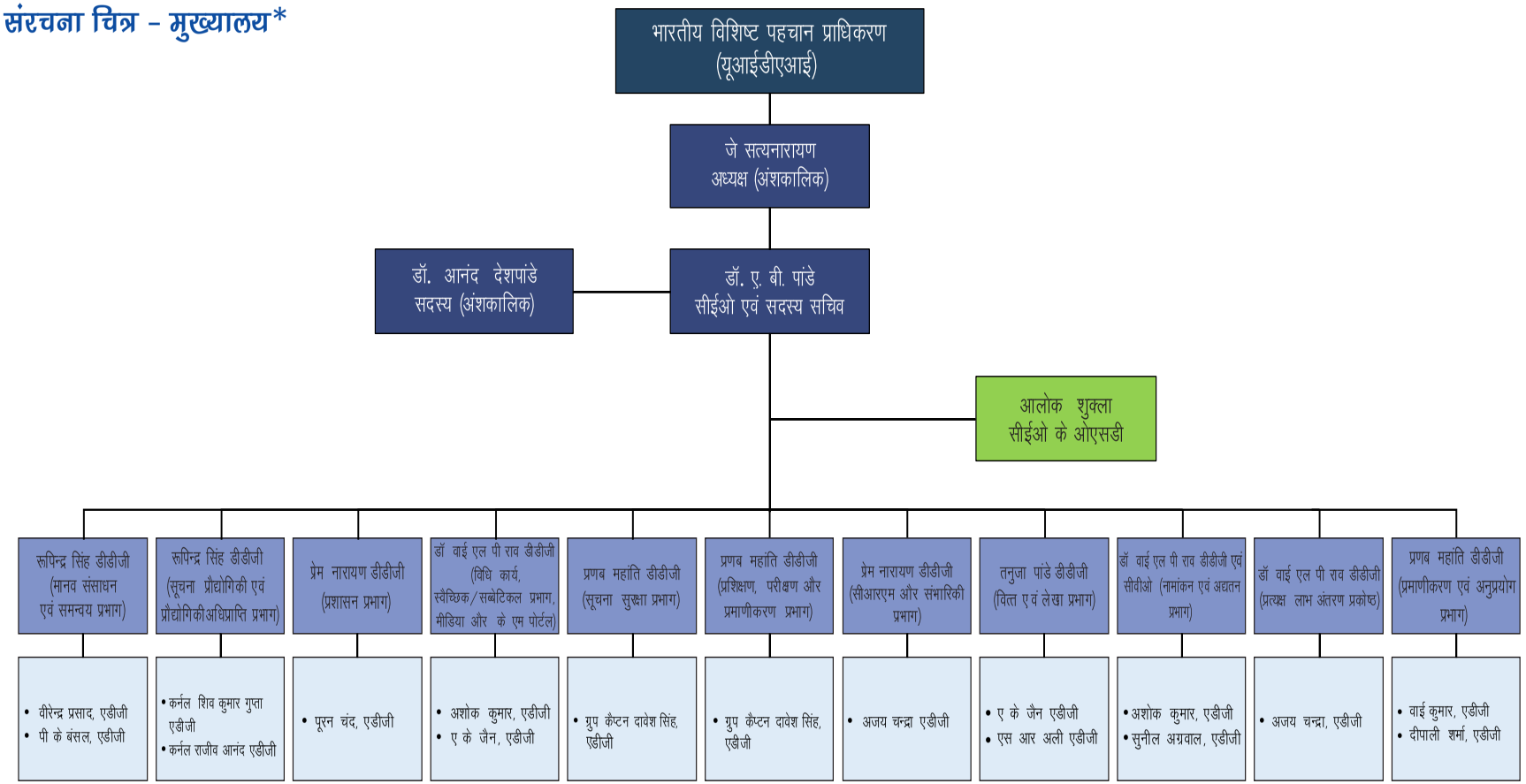

आकृति 2. भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना चित्र

* 31 मार्च, 2019 के अनुसार

2.3 क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का प्रमुख एक उपमहानिदेशक है तथा उनकी कार्य–सहायता के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य–क्षेत्रों का विवरण आकृति–4 में दर्शाया है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना चित्र को आकृति–2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र
बंगलुरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुम्बई	दादरा व नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल

संरचनाचित्र - क्षेत्रीय कार्यालय*

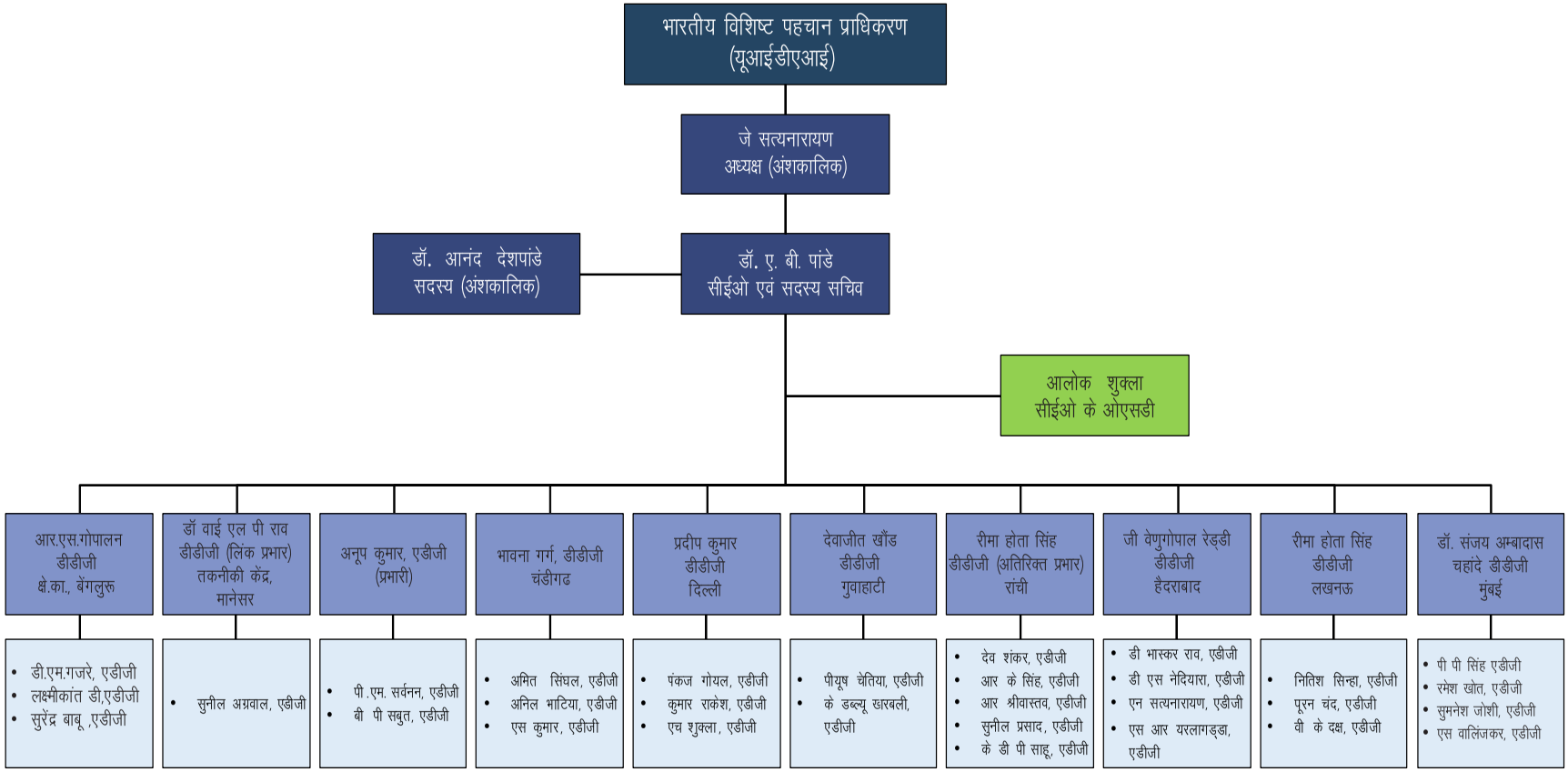

आकृति 3. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना चित्र

*31 मार्च, 2019 के अनुसार

3. भाविपप्रा के कार्यकलाप

आधार का उद्देश्य भारत के निवासियों को, केवल ''पहचान प्रमाण'' के प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट पहचान और डिजीटल प्लेटफार्म प्रदान करने के साथ सशक्त बनाना है। 12 अंकों की पहचान संख्या किसी निवासी को, उसके द्वारा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देने के साथ–साथ आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत जारी किया जाता है।

निवासियों के एक बार नामांकन होने पर, वे अपने आधार नंबर का उपयोग प्रमाणन के लिए कर सकते हैं तथा आधार अधिनियम, 2016 के तहत यथा निर्धारित प्रमाणन की विभिन्न विधियों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग या ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं तथा यह निवासी को प्रत्येक बार विभिन्न सेवाओं, हितलाभों और सब्सिडियों का उपयोग करने हेतु बारंबार समर्थित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के झंझट को दूर करता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने संपूर्ण डेटाबेस के समक्ष निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डि–डुपलिकेट करने के उपरांत ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणन विभिन्न योजनाओं के तहत डुप्लिकेट कार्यों को दूर करता है और फलस्वरूप सरकारी राजकोष में प्र्याप्त बचत होने की संभावना है। यह सरकार को लाभार्थियों के संबंध में सटीक डेटा भी उपलब्ध कराता है, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को सुगम बनाता है और सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं उपयोग हेतु अनुमति देता है। आधार लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में क्रियान्वयन एजेंसियों को समर्थ बनाता है तथा हितलाभों की लक्षित डिलीवरी को सुनिश्चित करता है।

सेवाओं के डिलीवरी तंत्र के बारे में सटीक एवं पारदर्शी जानकारी प्रदान करने में आधार प्लेटफार्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है तथा सेवा डिलीवरी नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन के बेहतर उपयोग सहित अपर्याप्त विकास धन का उपयोग इष्टतम रूप से कर सकती है। इसलिए, प्रभावी एवं कुशल सेवाओं की उच्च प्रवाह क्षमता, समावेशन और वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कभी भी, कहीं भी प्रमाणित करने के लिए, भाविपप्रा ने विभिन्न इकोसिस्टम सृजित किए हैं तथा निवासियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए उनका प्रचालन आधार अधिनियम एवं इसके विनियमों के अनुसार करता है। आधार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित विनियम निम्नवत हैं (अनुलग्नक II):

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम (2016 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 3)
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 4)
- आधार (सूचना का सहभाजन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 2)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 3)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 5)

- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 (2018 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 2)
- आधार (अधिप्रमाणन सेवाओ का मूल्य–निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 1)

भाविपप्रा की परिव्यवस्थाएँ निम्न है

- नामांकन एवं अद्यतन परिव्यवस्था
- अधिप्रमाणन परिव्यवस्था
- प्रचालन परिव्यवस्था
- प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था
- ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन

3.1 नामांकन एवं अद्यतन परिव्यवस्था

भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश आधार नामांकन होने के कारण उसके कार्यकलापों में निवासियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, विशिष्ट पहचान संख्या आधार की नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत एक निवासी द्वारा नामांकन केन्द्र में नामांकन एजेंसी को समर्थित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने, जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक डाटा देने तथा अनुलंग्नक III में विनिर्दिष्ट

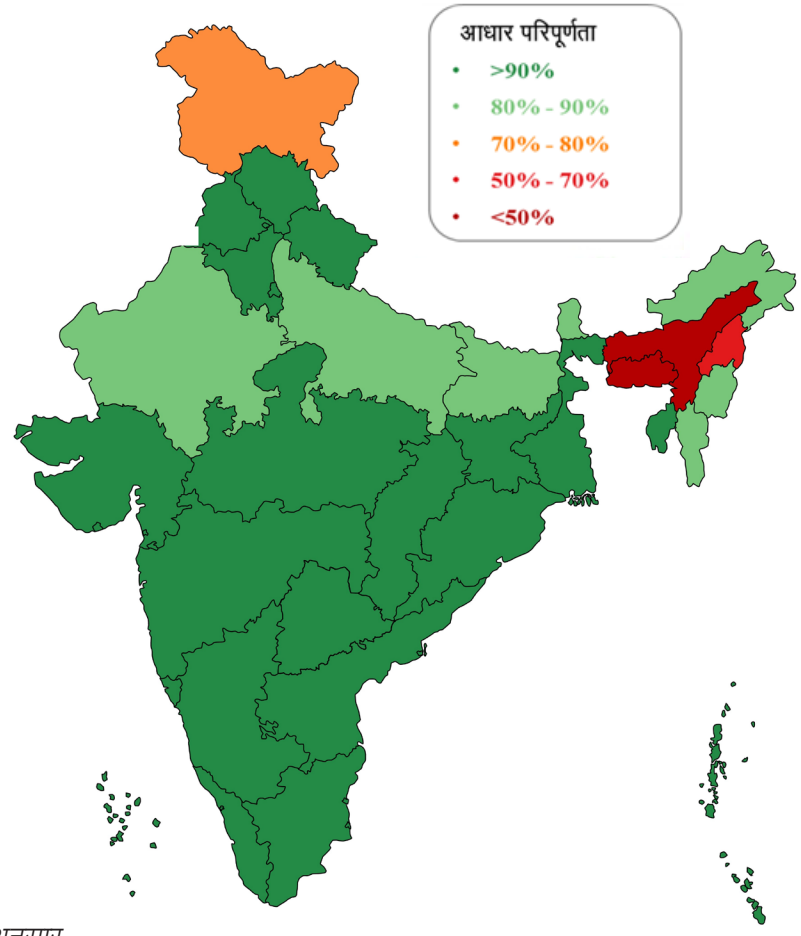

** 31 मार्च, 2019 के अनुसार*

आकृति 4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता

सांकेतिक सूची के अनुरूप अपनी पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने से होती है। नामांकन/अद्यतन के लिए प्राप्त सूचना की परिशुद्धता का सत्यापन निवासी स्वयं करता है एवं नामांकन पूरा होने पर पावती लेता है जिसमें नामांकन आईडी होती है। यथा 31 मार्च 2019, भाविपप्रा 123.5 करोड़ (120.7 करोड़ जीवंत आधार) से अधिक आधार जारी कर चुका हैं। 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार का परिपूर्णता स्तर 90 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसका परिपूर्णता स्तर 75 से 90 प्रतिशत है। आकृति–4 में यथा 31 मार्च 2019, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की परिपूर्णता स्थिति दर्शाई गई है।

देश भर में भाविपप्रा रजिस्ट्रारों के रूप में बैंकों, डाक घरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित 30,000 से अधिक आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र हैं।

अधिकांश राज्य आधार परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, वहां पर 'नामांकन' से 'अद्यतन' में संक्रियात्मक बदलाव हुआ है। लंबे समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठा रही विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करेगी। निवासी जिनके पास आधार में अपना पता अपडेट करने के लिए वैध प्रमाण के रूप में जमा करने हेतु पते का कोई दस्तावेज नहीं है, वे भाविपप्रा की वेबसाइट से ''आधार विधिमान्य पत्र'' प्राप्त करने, ऐसी सुविधा जिसका उपयोग पता ऑनलाइन अपडेट करने के लिए किया जा सकता है, के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

3.1.1 नामांकन सहभागी

भाविपप्रा में आधार नामांकन व अद्यतन करने के लिए सहभागियों से युक्त एक परिव्यवस्था है जैसा कि आधार (नामांकन एंव अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2) में विर्निदिष्ट है:–

1. **रजिस्ट्रार :** कोई इकाई जो आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से भाविपप्रा से प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त हो।
2. **नामांकन एजेंसी:** एक एजेंसी जिसे प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार ने, जैसा भी मामला हो, आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों का जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया हो।
3. **नामांकन केन्द्र :** एक स्थाई अथवा अस्थाई केंद्र जिसकी स्थापना नामांकन एजेंसी ने निवासियों के नामांकन एवं उनकी संबंधित सूचना को अद्यतन करने के लिए की हो।
4. **परिचायक :** ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैध आधार हो और जिन्हें रजिस्ट्रार ने उन निवासियों को परिचय पत्र देने के लिए प्राधिकृत किया हो जिनके पास निर्धारित सक्षम दस्तावेज नहीं हैं।
5. **प्रचालक:** नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें नामांकन केंद्रों में नामांकन के लिए नियुक्त किया गया हो।
6. **पर्यवेक्षक :** नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें नामांकन केन्द्रों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया हो।
7. **अधिप्रमाणनकर्ता:** नामांकन केन्द्रों में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कर्मी।

3.1.2 नामांकन प्रक्रिया

एक निवासी के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केन्द्र जाकर नामांकन प्रपत्र भरना, जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक डाटा, अपनी पहचान एवं पते के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी सूचित सहमति प्रदान करना एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नामांकन आईडी युक्त पावती प्राप्त करना शामिल है। नामांकन प्रपत्र में भरे गए नामांकन

डाटा को समर्थित दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है जहां डाटा विभिन्न परीक्षणों और वैधीकरण प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है जिसके बाद आधार संख्या का सृजन होता है।

आधार नामांकन कार्य प्रगति पर

नवादा, बिहार में आधार नामांकन शिविर

भाविपप्रा की निर्धारित नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया विविध प्रकार के पहचान एवं पता दस्तावेजों, जिनका उल्लेख अनुलग्नक III में किया गया है, प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं। फिर भी यदि परिवार के किसी सदस्य के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो भी वह परिवार पात्रता दस्तावेज में अपना नाम होने पर नामांकन करवा सकता है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में वर्णित परिवार के मुखिया के पास नामांकन हेतु पहचान एवं पते के वैध दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके पश्चात् परिवार का मुखिया आधार नामांकन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय दे सकता है। भाविपप्रा संबंध प्रमाणन के बतौर अनेक दस्तावेज स्वीकार करता है जिनका उल्लेख अनुलग्नक III में है। यदि कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध न हो तो निवासी रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत परिचायक की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

संक्षेप में, नामांकन के लिए तीन तरीके हैं –

दस्तावेज आधारित	परिवार मुखिया आधारित	परिचायक आधारित
पहचान और पते से संबंधित वैध दस्तावेजों की प्रस्तुति	परिवार का मुखिया अपना नामांकन कराने के पश्चात अपना संबंध प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवार के शेष सदस्यों का परिचायक बन सकता है।	पहचान एवं पते का वैध दस्तावेज न होने पर किसी ऐसे परिचायक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिसे रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया हो और जिस के पास वैध आधार नंबर हो।

आधार नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल न्यूनतम जनांकिकीय सूचना जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि एवं बायोमेट्रिक – सभी दस अंगुलियों के निशान, दोनों पुतलियों की स्कैनिंग तथा चेहरे की छवि ली जाती है। साथ ही, वैकल्पिक तौर पर निवासी चाहे तो अपना ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर दे सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में केवल नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं बच्चे के चेहरे की छवि लेकर माता–पिता में से किसी एक का आधार/नामांकन पहचान दर्ज की जाती है।

आधार एक पूर्णतः समावेशी कार्यक्रम है, अतः भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के लिए भी नामांकन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जो किसी कारणवश अपने सभी या कुछ बायोमेट्रिक देने में असमर्थ हैं। अतएव, किसी भी निवासी को आधार से अपवर्जित नहीं रखा गया है।

3.1.3 आधार नामांकन प्रगति

सितम्बर 2010 में प्रथम आधार सृजन के बाद आधार नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं एवं 31 मार्च 2019, के अनुसार अब तक 123 करोड़ से अधिक आधार सृजित हो चुके हैं। आधार और वर्ष–वार प्रगति की यात्रा को ग्राफ 1 में चित्रित किया गया है। संचयी रूप से आधार के सृजन को ग्राफ 2 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान माहवार आधार सृजन का डाटा तालिका–1 में प्रदृश्य है।

तालिका 3. माहवार आधार सृजन (2018-19)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल–18	25.95
मई–18	33.16
जून–18	36.51
जुलाइ–18	39.05
अगस्त–18	28.77
सितम्बर–18	25.20
अक्तूबर–18	22.73
नवम्बर–18	8.92
दिसम्बर–18	17.29
जनवरी–19	18.23
फरवरी–19	18.26
मार्च–19	12.31
योग	**286.38**

ग्राफ 1. वर्षवार आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2019)

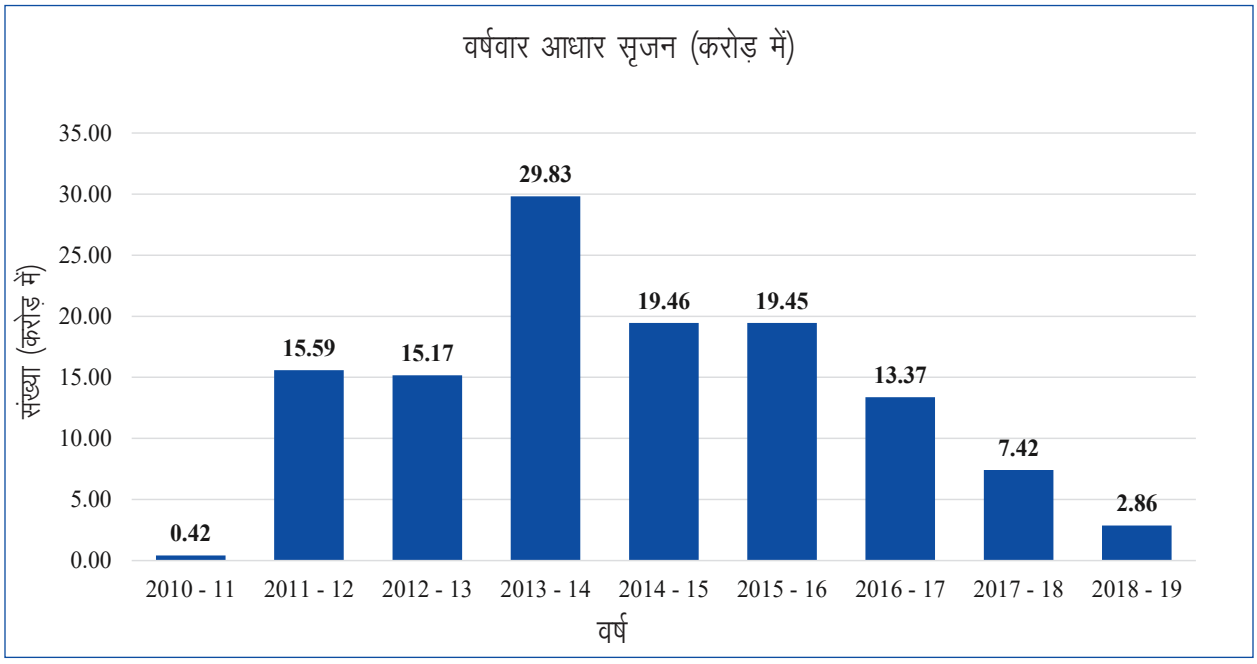

ग्राफ 2. संचयी आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2019)

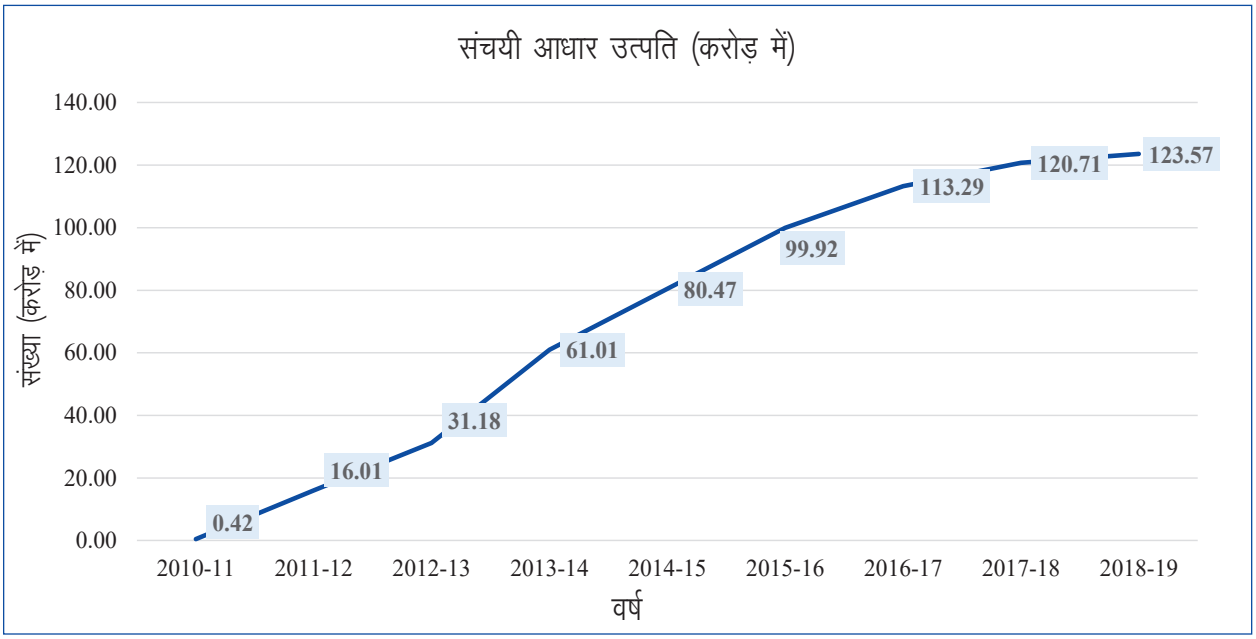

आधार नामांकन प्रगति के आकलन के लिए जारी किए गए आधार की संख्या की भारिता जनसंख्या के प्रतिशत से की जानी चाहिए। सरकारी जनसंख्या आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। अतः औचित्यपरक आकलन के लिए अनुमानित जनसंख्या का उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों एवं जन्म तथा मृत्यु की दर के अनुरूप गणन करना उचित होगा। यथा मार्च 2019 प्रेक्षित जनसंख्या लगभग 133.5 करोड़ है।

एक आधार संख्या केवल एक बार जारी की जाती है तथा इसे कभी पुर्नजारी नहीं किया जाता है। तथापि, वास्तविक आधार धारकों की संख्या होने वाली मृत्युओं के कारण सदैव कम ही रहेगी। इसीलिए ''आधार – लाइव'' की अवधारणा की गई है ताकि जीवित आधार धारकों की संख्या का पता लग सके। 31 मार्च 2019, के अनुसार लाइव आधार की अनुमानित संख्या 120.75 करोड़ है। 31 मार्च 2018 के अनुसार परियोजित जनसंख्या की तुलना में लाइव आधार का विवरण तालिका–4 में दर्शाया गया है तथा 31 मार्च 2019 को राज्य वार लाइव आधार की परिपूर्णता अनुलग्नक IV में दर्शाई गई है।

तालिका 4. नामांकन सांख्यिकी

आयु वर्ग	वर्ष 2018 को परियोजित जनसंख्या (करोड़ में)	आधार सृजन (करोड़ में)	आधार – लाइव (करोड़ में)	आधार लाइव परिपूर्णता
स्मग्र	133.51	123.57	120.75	90.44 प्रतिशत
जनसंख्या 0 से 5 वर्ष	12.47	3.58	3.44	27.58 प्रतिशत
जनसंख्या 5 < 18 वर्ष	36.63	28.84	28.17	76.90 प्रतिशत

प्रौढ़ आबादी में आधार ने परिपूर्णता स्तर प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार, भाविपप्रा का मुख्य ध्यान अब 0–5 और 5–18 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन करने पर है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, क्रमशः आंगनवाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए भाविपप्रा ने महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग (एसईडी) के साथ भागीदारी की है।

3.1.4 आधार डाटा अद्यतन

आधार संख्या किसी निवासी को जारी की जाने वाली एक जीवनपर्यन्त संख्या है। भाविपप्रा के डाटाबेस में निवासी के बायोमेट्रिक चित्रण के अलावा जनांकिकीय विवरण – निवासी का नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग एवं वैकल्पिक तौर पर मोबाइल नम्बर/ई–मेल का संग्रहण किया जाता है। चूंकि जनांकिकीय विवरण किसी निवासी के जीवनकाल में उसके निवास परिवर्तन करने, मोबाइल नम्बर बदलने, विवाह के बाद नाम परिवर्तित होने/करने इत्यादि के कारण समय के साथ ही बदलता है, और बायोमेट्रिक चित्रण में परिवर्तन की जरूरत, 5 तथा 15 वर्ष की आयु में अद्यतनीकरण अथवा किसी दुर्घटना की स्थिति में ही पड़ती है। तदनुसार, आधार से जुड़े जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक क्षेत्र का अद्यतनीकरण आवश्यक है, जिससे अधिप्रमाणन के उद्देश्य से डाटाबेस में संग्रहित सूचना की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

डाटा अद्यतन करने की विधि

निवासियों को अपना आधार डाटा अपडेट करने के लिए निम्न दो माध्यम उपलब्ध हैं –

- ऑनलाइन माध्यम से स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी): यह एक ऑनलाइन तरीका है जिसमें समर्थित दस्तावेजों के साथ निवासी अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग वही निवासी कर सकते हैं, जो पहले ही अपने आधार में मोबाइल नम्बर दर्ज करा चुके हैं।
- आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र में जाने के द्वारा: कोई भी निवासी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा में अपडेट करने के लिए निर्दिष्ट बैंक की शाखाओं, डाक–घरों या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 30,000 आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र में से किसी पर भी जा सकता है।

यथा 31 मार्च 2019, प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल 27.16 करोड़ जनांकिकीय एवं 4.9 करोड़ बायोमेट्रिक डाटा अपडेट किए गए हैं। वर्ष 2012 से वर्षवार आधार अपडेट ग्राफ–3 में प्रदृश्य हैं।

ग्राफ 3. वर्षवार आधार अद्यतन

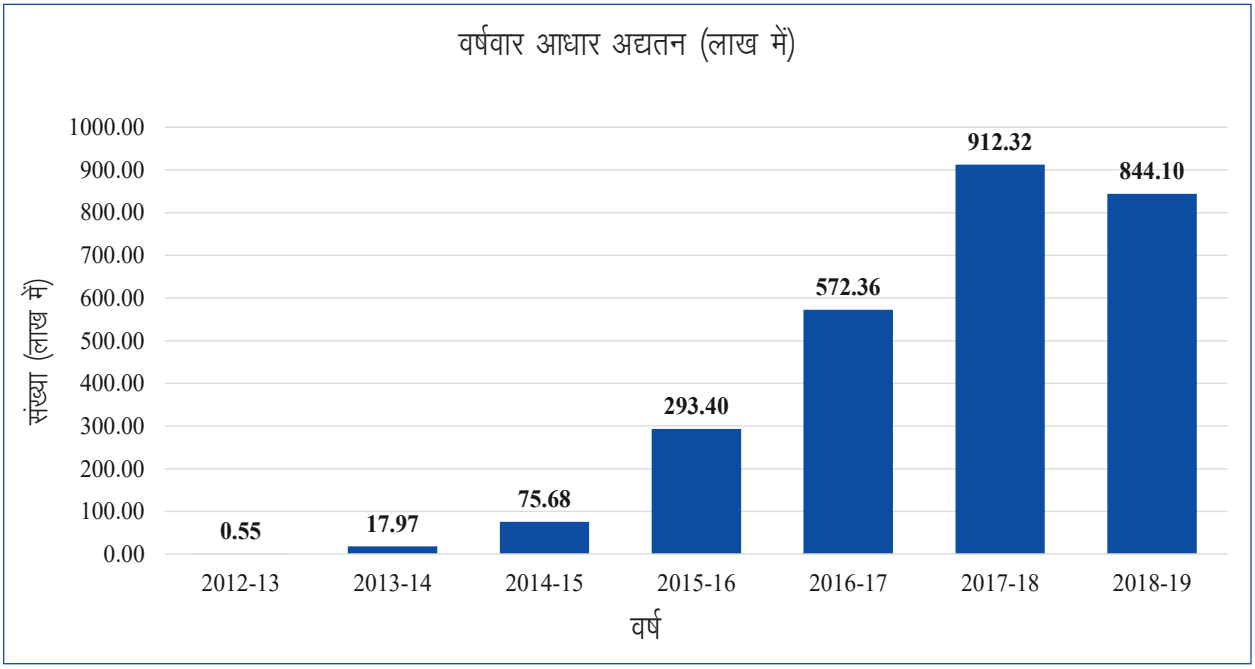

निवासियों को विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क

निवासियों को बच्चों के आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है, जिसे चित्र 5 में दर्शाया गया है।

आकृति 5. विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क

3.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था

भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रमाणन सेवा प्रदान करता है। विशिष्ट पहचान (आधार) नंबर, जो किसी निवासी की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, व्यक्ति विशेषों को देश भर में सार्वजनिक तथा/या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। निवासी के आधार नंबर का सत्यापन आधार ऑनलाइन प्रमाणन की अनुमति देता है तथा पहचान का प्रमाण प्रदान करता है। आधार ने औपचारिक रूप से ऑनलाइन प्रमाणन आधारित फिंगरप्रिंट की शुरूआत 7 फरवरी, 2012 को तथा आईरिस आधारित प्रमाणन, ओटीपी प्रमाणीकरण और ई–केवाईसी सेवाएं 24 मई, 2013 को शुरू की थी।

तत्पश्चात, पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम छात्रवृत्ति और एलपीजी जैसी विभिन्न योजनाओं को सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए आधार के साथ एकीकृत किया। ई–केवाईसी सेवा का उपयोग आयकर रिटर्न भरने एवं पैन कार्ड जारी करने जैसे विभिन्न सरकारी अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। ई–केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई–केवाईसी का उपयोग करते हुए कागजरहित केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं तथा पेपर हैंडलिंग, स्टोरेज और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई–केवाईसी वास्तविक समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को निवासियों हेतु सेवाओं की तत्काल डिलीवरी करने में समर्थ बनाती है।

3.2.1 अधिप्रमाणन सहभागी

भाविपप्रा अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी की सेवाएं अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) के माध्यम से प्रदान करता हैं, इनकी नियुक्ति आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 के विनियम–12 के अनुरूप की जाती है।

1. **प्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए):** भाविपप्रा, प्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) नामक अनुरोधकर्ता संस्थाओं के माध्यम से हाँ/नहीं प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। एयूए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/सार्वजनिक वैधानिक संस्था है, जो निवासियों/ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। एक प्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए), सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एक एएसए(चाहे वह खुद हो या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएं ले रहा हो) के माध्यम से भाविपप्रा के डेटा केंद्र/केंद्रीय पहचान डेटा निक्षेपगार (सीआईडीआर) से जुड़ी

होती है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार, कुल 204 एयूए हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, स्थापना से अब तक 707.97 करोड. ई–केवाईसी संव्यवहार सहित लगभग 2896.57 करोड. प्रमाणन को अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा निष्पादित किया जा चुका है।

वर्ष–वार और संचयी रूप से आधार प्रमाणन संव्यवहार को तालिका–5, ग्राफ–4 एवं ग्राफ–5 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2018–19 के दौरान माह–वार आधार प्रमाणन संव्यवहारों को तालिका–6 में दर्शाया गया है।

तालिका 5. वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012–13	0.24	0.24
2013–14	6.45	6.69
2014–15	34.04	40.73
2015–16	109.81	150.54
2016–17	403.64	554.18
2017–18	1,261.93	1,816.10
2018–19	1,080.47	2,896.57

ग्राफ 4. वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

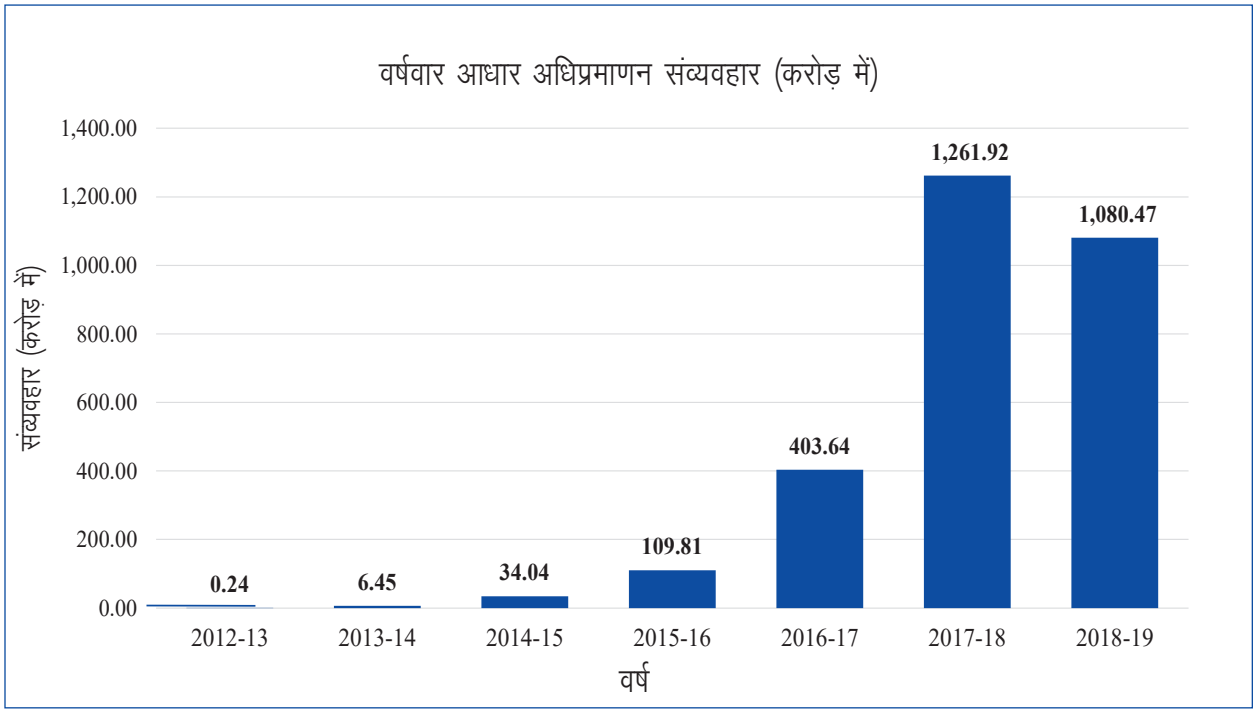

ग्राफ 5. संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

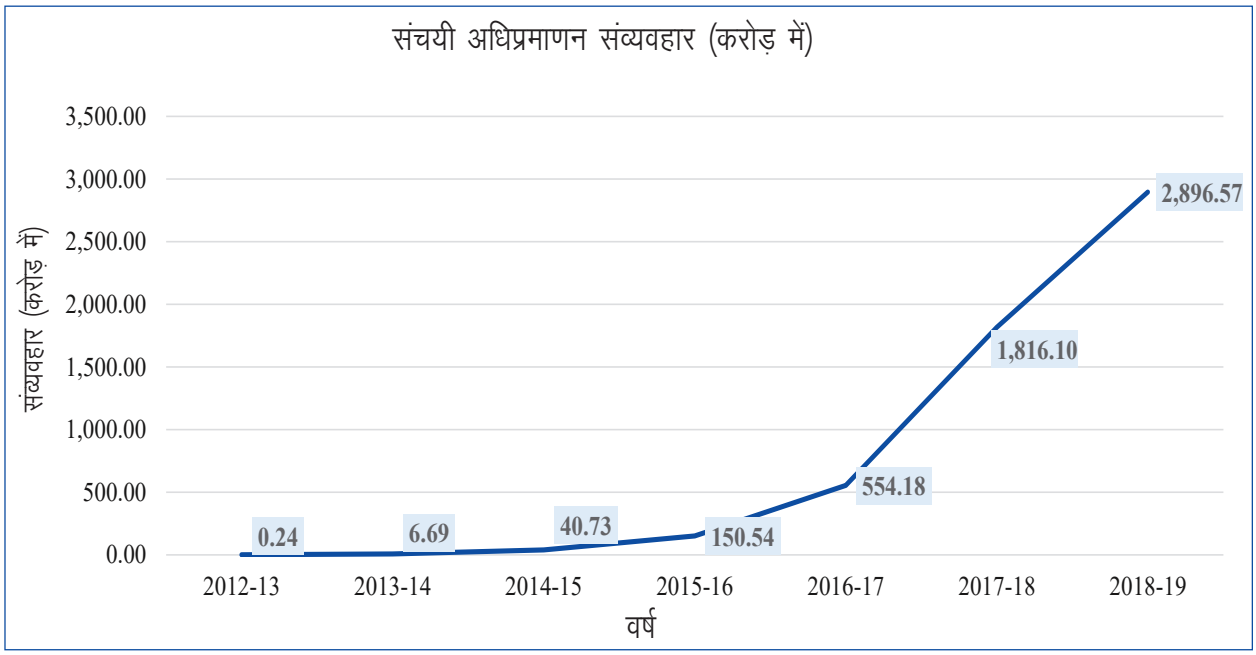

तालिका 6. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2018-19)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल–18	96.37
मई–18	90.73
जून–18	85.37
जुलाई–18	93.65
अगस्त–18	94.01
सितम्बर–18	89.65
अक्तूबर–18	87.63
नवम्बर–18	82.49
दिसम्बर–18	88.91
जनवरी–19	96.42
फरवरी–19	86.82
मार्च–19	88.42
योग	**1,080.47**

2. **ई–केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए):** केयूए एक अनुरोधकर्ता संस्था है जो, एक एयूए होने के अलावा, ई–केवाईसी प्रमाणन सेवाओं का उपयोग करती है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 187 केयूए संस्थाएं आधार प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार, स्थापना से अब तक 707.97 करोड. ई–केवाईसी संव्यवहारों को निष्पादित किया जा चुका है।

3. **प्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** एएसए एक ऐसी एजेंसी है जिसने सीआईडीआर के साथ लीज्ड कनेक्टिविटी प्राप्त की है। वे सीआईडीआर के साथ स्थापित सुरक्षित कनेक्शन के जरिए मध्यस्थों को सक्षम करने की भूमिका निभाते हैं। एएसए, एयूए के प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करते हैं तथा सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को वापस प्रेषित करते हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 27 एएसए सक्रिय हैं।

आधार समर्थित सेवाओं की एक रेंज के साथ, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों ने डेटाबेसों के डि–डुप्लिकेशन में और सेवाओं की डिलीवरी में आधार के उपयोग हेतु एप्लिकेशनों का निर्माण किया है। आधार के उपयोग ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की डिलीवरी सेवा के सुधार में सहायता की है तथा उनकी जवाबदेही एवं पारदर्शिता में वृद्धि की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, असंरचना और आधार उपयोगी एप्लिकेशनों का विकास करने में विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है। भाविपप्रा राज्य सरकारों को आधार एकीकरण करने और नामांकन किटों को खरीदने के लिए उनकी विद्यमान प्रक्रियाओं को रि–इंजीनियर करने के लिए सहायता भी प्रदान कर रहा है। भाविपप्रा परियोजना के शुरू होने से लेकर 31 मार्च, 2019 तक 28 राज्यों, 07 संघ राज्य–क्षेत्रों, 03 विभागों और 02 केंद्रीय मंत्रालयों (एमओआरडी एवं आईटी) को 428.085 करोड़ रुपए की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है।

3.2.2 अधिप्रमाणन सेवा

आधार प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधार नंबर को, अन्य विशेषताओं के साथ (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक/ओटीपी) भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा निक्षेपगार (सीआईडीआर) को प्रस्तुत किया जाता है; सीआईडीआर सत्यापन करता है कि क्या प्रस्तुत डेटा सीडीआईआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और तत्पश्चात वह "हाँ/नहीं" में अपना प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया के रूप में कोई व्यक्तिगत पहचान सूचना नहीं दी जाती है। प्रमाणीकरण का उद्देश्य निवासियों को उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाना है कि सेवा प्रदाता यह पुष्टि कर सकें कि 'ये वही हैं जो वे कह रहे हैं' जिन्हें सेवाएं एवं हितलाभ दिए जाने हैं। आधार ई–केवाई अन्य प्रकार के प्रमाणीकरण की सेवा है जिसमें भाविपप्रा उसके सीआईडीआर में संचित डेटा के समक्ष इनपुट मानदंडों को विधिमान्य करता है तथा एन्क्रिप्टेड ई–केवाईसी डेटा के साथ डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित ई–केवाईसी प्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

- **प्रमाणन के प्रकार**

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की प्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, नामतः

1. **"हाँ/नहीं" प्रमाणनः** भाविपप्रा ने फरवरी, 2012 में "हाँ/नहीं" प्रमाणन सेवा शुरू की जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था आधार तथा जनसांख्यिकीय एवं/या बायोमेट्रिक सूचना तथा/अथवा एन्क्रिप्टेड फार्मेट में आधार नंबर धारक से ओटीपी भेजती है। भाविपप्रा प्राप्त मानदंडों को अपने पास संचित डेटा से विधिमान्य करता है तथा वापसी में हाँ अथवा नहीं प्रतिक्रिया देता है।

2. **ई–केवाईसी प्रमाणनः** भाविपप्रा ने मई, 2013 में ई–केवाईसी प्रमाणन सेवा शुरू की जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था आधार तथा जनसांख्यिकीय एवं/या बायोमेट्रिक सूचना तथा/अथवा एन्क्रिप्टेड फार्मेट में आधार नंबर धारक से ओटीपी भेजती है। भाविपप्रा प्राप्त मानदंडों को अपने पास संचित डेटा से विधिमान्य करता है तथा वापसी में एन्क्रिप्टेड ई–केवाईसी डेटा के साथ डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित ई–केवाईसी प्रमाणन प्रतिक्रिया देता है। वर्ष–वार और संचयी रूप से ई–केवाईसी संव्यवहार को तालिका–7, ग्राफ–6 एवं ग्राफ–7 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2018–19 के दौरान माह–वार आधार प्रमाणन संव्यवहारों को तालिका–8 में दर्शाया गया है।

तालिका 7. वर्षवार एवं संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई–केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013–14	0.01	0.01
2014–15	2.98	2.99
2015–16	5.43	8.42
2016–17	108.60	117.02
2017–18	384.96	501.97
2018–19	205.99	707.97

ग्राफ 6. वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

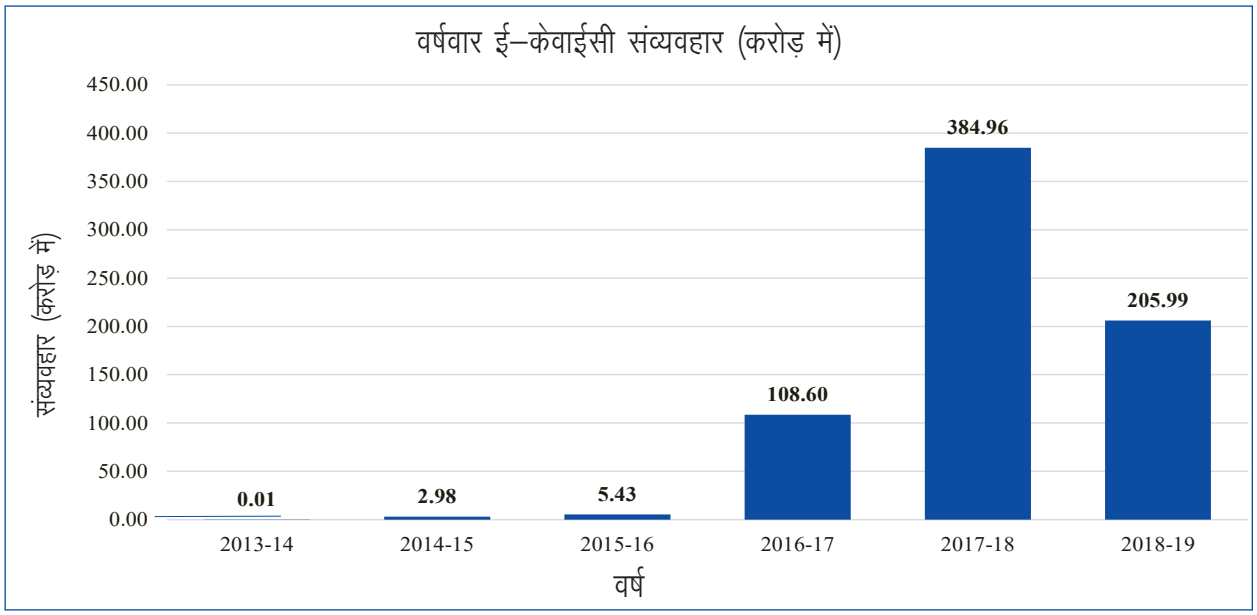

ग्राफ 7. संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

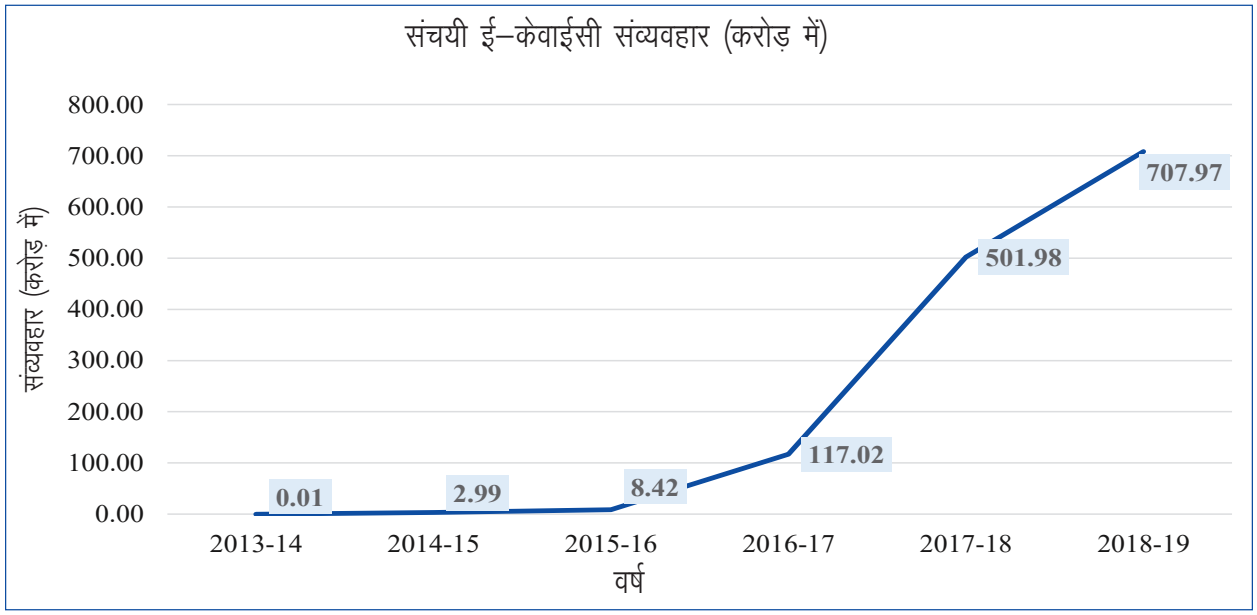

तालिका 8. माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2018-19)

माह	ई केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल–18	22.25
मई–18	21.89
जून–18	21.07
जुलाई–18	24.40
अगस्त–18	24.10
सितम्बर–18	23.32
अक्तूबर–18	19.77
नवम्बर–18	15.31
दिसम्बर–18	7.67
जनवरी–19	10.47
फरवरी–19	8.85
मार्च–19	6.89
योग	**205.99**

- प्रमाणन की विधियां

किसी प्रमाणन अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा विचार केवल आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अनुरोध भेजने पर ही किया जाता है। प्रमाणन को निम्नलिखित विधियों के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा:

1. **जनांकिक अधिप्रमाणन:** आधार संख्या धारक से प्राप्त आधार संख्या और जनांकिक जानकारी का मिलान केन्द्रीय डाटा पहचान निधान में दर्ज आधार संख्या धारक की जनांकिक जानकारी से किया जाता है।

2. **एकल समय पिन आधारित अधिप्रमाणन:** सीमित समय वैधता के साथ एक एकल समय पिन (ओटीपी) आधार संख्या धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई–मेल पर भेजा जाता है या अन्य उपयुक्त माध्यमों से उत्पन्न किया जाता है। आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के लिए अपने आधार नंबर के साथ यह ओटीपी देना होता है

बायोमैट्रिक प्रमाणन कार्य प्रगति में

और इस ओटीपी का मिलान प्राधिकरण द्वारा दिए गए ओटीपी से कर अधिप्रमाणन किया जाता है।

3. **बायोमेट्रिक–आधारित अधिप्रमाणनः** आधार संख्या धारक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में दर्ज आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। इसके लिए दी गई बायोमेट्रिक जानकारी, जो फिंगरप्रिंट–आधारित या आंखों की पुतलियों आधारित या अन्य बायोमेट्रिक आधारित का मिलान सीआईडीआर में संग्रहित बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है।

4. **बहु–कारक अधिप्रमाणनः** अधिप्रमाणन के लिए दो या अधिक विधियों का एक संयोजन किया जा सकता है। अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अधिप्रमाणन के लिए उपलब्ध किसी भी विधि अथवा सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए विविध अधिप्रमाणन विधियों का उपयोग व्यावसायिक कार्यकलाप/संव्यवहार के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

- **अपवाद संचलन**

भाविपप्रा द्वारा अधिप्रमाणन के लिए जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (अंगुलियों के निशान तथा आंख की पुतली) एवं ओटीपी तथा विविध अधिप्रमाणन तरिके उपलब्ध करवाए गए हैं। अनुरोधी एकक अधिप्रमाणन के लिए ऐसे तरिकों में से किसी का भी उपयोग कर सकता है।

इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) 2016 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार सभी अनुरोधी एककों से अपवाद संचलन तंत्र व्यवस्था तथा बैक–अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र व्यवस्था का कार्यान्वयन करने की अपेक्षा की गई है, जिससे आधार संख्या धारक को निर्बाध अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

3.2.3 निष्पादित नई पहलें

1. **एल1 पंजीकृत उपकरणः** डेटा की सुरक्षा में संवर्धन हेतु, भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक प्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। फील्ड में एलओ पंजीकृत उपकरणों के सफलतापूर्वक स्थानांतरण के उपरांत, भाविपप्रा ने एल1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा को शुरू किया। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, बायोमेट्रिक के हस्ताक्षर एवं एन्क्रिप्शन को ऐसे ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एन्वायरमेंट (टीईई) के तहत लागू किया जाता है जहां होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) प्रक्रियाओं या होस्ट ओएस प्रयोक्ताओं के पास प्राइवेट कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक इंजेक्ट करने का कोई तंत्र नहीं है। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, प्राइवेट कुंजियों के पूर्णतया टीईई के अंतर्गत प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है।

2. **आधार कागजरहित ऑफलाइन ई–केवाईसीः** भाविपप्रा ने आधार नंबर धारक की बिना प्रमाणीकरण के पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। आधार कागजरहित ऑफलाइन ई–केवाईसी डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित दस्तावेज है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (समय की मुहर के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसा ब्योरा अंतर्निहित होता है। आधार नंबर धारक इस दस्तावेज को भाविपप्रा की वेबसाइट से डाऊनलोड कर सकते हैं तथा ऑफलाइन आधार सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं को परस्पर सहमति के साथ कोड के साथ (4 अक्षर का कोड) दस्तावेज को शेयर कर सकता है।

3. **आधार लॉक/अनलॉकः** आधार नंबर की सुरक्षा में और बढ़ोतरी करने के लिए, भाविपप्रा ने आधार नंबर को लॉक एवं अनलॉक करने की एक सुविधा शुरू की है, जो आधार नंबर धारक को अपने आधार नंबर को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करता है। लॉक्ड आधार के मामले में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार नंबर के उपयोग द्वारा प्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) का निष्पादन नहीं कर सकेंगी। हालांकि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक्ड आधार नंबर की वर्चुअल आईडी के उपयोग द्वारा प्रमाणन कार्य कर सकेंगी।

आधार नंबर धारक भाविपप्रा वेबसाइट, एसएमएस एवं एमः आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न साधनों के जरिए अपने आधार नंबर को लॉक कर सकते हैं।

4. **आधार सुरक्षित क्यूआर कोडः** आधार सुरक्षित क्यूआर कोड, ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा द्वारा प्रदत्त एक तीव्र प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (समय की मुहर के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसा ब्योरा भी अंतर्निहित होता है। डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई–आधार, आधार पत्र, एम–आधार में उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉयड/आईओएस/विंडो रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर के उपयोग द्वारा स्कैन किया जा सकता है।

3.3 प्रचालन परिव्यवस्था

भाविपप्रा के संभारिकी प्रभाग को निवासियों के आधार पत्र के मुद्रण एवं सुपुर्दगी का कार्य सौंपा गया है। नये नामांकन, जनसांख्यिकीय अपडेट (मोबाइल एवं ईमेल को छोड़कर) तथा पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र का मुद्रण करके निवासियों को प्रेषित किया जाता है। भाविपप्रा ने 01 दिसंबर 2018 से एक प्रीमियम प्रदत्त सेवा, नामतः, 'आदेश आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर)' को शुरू किया है।

3.3.1 आधार पत्र मुद्रण और परिदान

आधार के एक बार सृजित होने पर, यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका मुद्रण और निवासी को उसकी सुपुर्दगी स्वीकार्य समय–सीमा में हो जाए। प्रत्येक आधार पत्र में उसका मुद्रण, फोटोग्राफ के साथ लैमिनेटेड दस्तावेज, जन्म–तिथि, निवासी की जनसांख्यिकीय सूचना, आधार नंबर (यूआईडी) और सुरक्षित तीव्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड शामिल है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा के डिजीटल हस्ताक्षर सहित फोटोग्राफ एवं जनसांख्यिकीय ब्योरा निहित होता है।

आधार पत्रों के मुद्रण हेतु, भाविपप्रा ने विभिन्न स्थानों पर तीन प्रिंटरों को चालू किया है। वर्तमान में संस्थापित मुद्रण क्षमता, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रति दिन 7 लाख पत्र की है। निवासियों को उनके द्वारा नामांकन/अपडेट के समय दिए गए पतों पर आधार पत्रों की सुपुर्दगी का भागीदार डाक विभाग है। भाविपप्रा नये नामांकन और अद्यतन मामलों के लिए आधार पत्रों को भेजता है। स्थापना से 31 मार्च, 2019 तक, प्रथम श्रेणी डिजीटल फ्रैन्कड आर्टिकल के रूप में भारतीय डाक के जरिए कुल 122.77 करोड़ आधार पत्रों का मुद्रण और प्रेषण किया गया है। इसके अलावा, निवासी अपनी आधार सूचना को या तो ऑनलाइन अथवा किसी नामांकन केंद्र पर अपडेट कर सकते हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी डिजीटल फ्रैन्कड आर्टिकल के रूप में भारतीय डाक के जरिए कुल 17.95 करोड़ अद्यतित आधार पत्रों को प्रेषित किया गया है (ईमेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर)।

3.3.2 ई–आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भाविपप्रा की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) से पीडीएफ फार्मेट में आधार पत्र डाऊनलोड करने के लिए नवंबर, 2012 में ई–आधार पोर्टल को शुरू किया। एक ई–आधार, आधार पत्र का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो भाविपप्रा की वेबसाइट के आधार पोर्टल से डाऊनलोड करने योग्य है। एक आधार नंबर, प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऑफलाइन सत्यापन एवं अन्य

शर्तों के अध्यधीन, जैसा विनियमों द्वारा यथा निर्दिष्ट हो, को किसी भी प्रयोजनार्थ आधार नंबर धारक की पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

इस प्रकार ई–आधार एक वैध एवं सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, क्योंकि यह डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित है और मुद्रित आधार पत्र के समतुल्य है। एक ई–आधार में एक सुरक्षित तीव्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड भी निहित है, जो भाविपप्रा द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित है और उसे स्कैन करने पर उसमें आधार नंबर धारक का फोटोग्राफ एवं जनसांख्यिकीय ब्योरा प्रदर्शित होता है। आधार प्रणाली में, निवासी के ब्योरे को स्थापित ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रिया या क्यूआर कोड एवं ऑफलाइन एक्सएमएल की सहायता से ऑफलाइन सत्यापन के जरिए सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, ई–आधार पहचान का एक स्वीकार्य वैध प्रमाण है। 31 मार्च, 2019 तक कुल ई–आधार 92.06 करोड़ डाऊनलोड किए गए हैं।

3.3.3 आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर) सेवा

भाविपप्रा ने 1 दिसंबर, 2018 से निवासियों को उनके आधार पुनर्मुद्रण की सुविधा मुहैया कराने के लिए 50/– रुपए के नाममात्र शुल्क, जिसमें स्पीड पोस्ट डिलीवरी का खर्च भी शामिल है, के साथ अपनी वेबसाइट www.uidai.gov.in के जरिए ऑनलाइन आधार आदेश (ओएआर) सेवा शुरू की है। निवासी द्वारा आधार पत्र के गुम होने या उसके द्वारा नया आधार पत्र चाहने की स्थिति में, निवासी ऑनलाइन 50/– रुपए के भुगतान द्वारा भाविपप्रा की वेबसाइट पर आदेश आधार पुनर्मुद्रण कर सकता है। यह भाविपप्रा द्वारा शुरू की गई एक प्रीमियम सेवा है, जिसमें ओएआर पत्रों को भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा भेजा जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, भाविपप्रा ने 0.07 करोड़ ओएआर पत्रों का प्रेषण किया है।

3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था

किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए, विशेषकर आधार जैसे बड़े पैमाने पर, यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान संग्रहित डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा का कैप्चर और उपयोग करने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा ने एक प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम का सृजन का कार्य तत्परतापूर्वक किया है। इस ईकोसिस्टम में (1) विषय वस्तु विकास एजेंसी तथा (2) परीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेंसी शामिल है।

आधार नामांकन एवं अपडेट के समय संग्रहित डेटा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, भाविपप्रा ने केवल प्रमाणित ऑपरेटरों, पर्यवेक्षकों और बाल नामांकन लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) ऑपरेटरों को नियुक्त किया है। आधार नामांकन/अपडेट में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त एवं प्रभावी प्रशिक्षण के लिए भाविपप्रा द्वारा मेगा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण शिविरों और पुनश्चर्या/अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यप्रणालियों को अपनाया गया है। इसके फलस्वरूप सभी राज्यों में नामांकन एवं अपडेट के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग में आयोजित किया गया। साथ ही, सेवाओं की डिलीवरी में विभिन्न सरकारी संगठनों में आधार के उपयोग को बढ़ाने के लिए, आधार सीडिंग, प्रमाणीकरण एवं ई–केवाईसी पर सरकारी अधिकारियों के लिए मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- सीडिंग, प्रमाणीकरण और ई–केवाईसी पर मास्टर प्रशिक्षणः प्रशिक्षण सामग्री में आधार सीडिंग, प्रमाणीकरण एवं ई–केवाईसी में प्रमुख प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान आधार सीडिंग

और प्रमाणीकरण पर कुल 22 मास्टर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें 839 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- मेगा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण शिविरः भाविपप्रा मेगा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण शिविरों के जरिए एक अभ्यास आयोजित करता है ताकि नामांकन की गति में किसी व्यवधान न होने को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रमाणित ऑपरेटरों/पर्यवेक्षकों का एक बड़ा पूल बनाया जा सके। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान आधार नामांकन पर कुल 72 मेगा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 4,424 लोगों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया गया।
- अनुकूलन कार्यक्रमः नव–नियुक्त नामांकन स्टाफ को नामांकन प्रक्रिया से सुविज्ञ कराने के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 474 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 18,688 लोगों को प्रशिक्षण से विदित कराया गया।
- पुनश्चर्या कार्यक्रमः आधार प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तनों से प्रमाणित नामांकन स्टाफ को विदित कराने के लिए, विभिन्न पुनश्चर्या कार्यक्रम एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 252 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 18,956 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

भाविपप्रा द्वारा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक उपयोग में लाई गई प्रशिक्षण परिदान विधियों के विभिन्न प्रकारों का सारांश तालिका 9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 9. प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2018-19)

क्र.सं.	प्रशिक्षण का स्वरूप	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सीडिंग, अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी के लिए मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कर्मी तथा अधिप्रमाणन एजेंसी कर्मचारी	22	839
2	मेगा प्रशिक्षण तथा प्रमाणन कार्यक्रम	नामांकन कर्मचारी बनने के इच्छुक सरकारी कर्मी	72	4,424
3	अनुकूलन कार्यक्रम	नए/अप्रशिक्षित नामांकन कर्मचारी	474	18,688
4	पुनश्चर्या कार्यक्रम	विद्यमान नामांकन कर्मचारी	252	18,956
योग			**820**	**42,907**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 8.22 लाख से ऊपर नामांकन ऑपरेटरों, पर्यवेक्षकों और सीईएलसी ऑपरेटरों को प्रमाणित किया गया। इसमें प्राइवेट/पीएसयू बैंकों से 6,160, डाक विभाग से 13,366, शिक्षा विभाग से 1,369 और स्वास्थ्य विभाग से 510 कार्मिकों का प्रमाणीकरण किया गया है।

3.5 ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन

ग्राहक संपर्क प्रबंधन भाविपप्रा के लिए मूल महत्व का कार्य रहा है। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 की धारा 32, अध्याय 4 (शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था) में प्राधिकरण (भाविपप्रा) को निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण के समाधान के लिए

केंद्रीय सम्पर्क बिंदु की तरह एक सम्पर्क केन्द्र की स्थापना करनी है जहां टोल फ्री नम्बरों तथा/अथवा ईमेल, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के माध्यम से निवासियों को सम्पर्क सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे सम्पर्क केन्द्र में –

- निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी तथा निवासियों को मामले का समाधान होने तक के लिए एक विशिष्ट संदर्भ संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
- सहायता यथासंभव क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- निवासियों से उनकी पहचान के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना की संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं तथा प्रक्रिया विधि का अनुपालन किया जाएगा।

भाविपप्रा द्वारा उपर्युक्त के अनुसरण में निवासियों के लिए नीचे उल्लिखित प्रावधान किए गए हैं:

3.5.1 आधार सहायता सेवाएं – आधार सम्पर्क केन्द्र

भाविपप्रा द्वारा आधार जीवन क्रम एवं संबद्ध सेवाओं के संबंध में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ तथा शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए आधार सम्पर्क केन्द्र अथवा सम्पर्क केन्द्र स्थापित किए गए हैं। आधार सम्पर्क केन्द्रों का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं –

- अखिल भारतीय स्तर पर सम्पर्क साधन के लिए टोल फ्री नम्बर तथा ईमेल उपलब्ध करवाना, जिसके उपयोग से निवासी आधार सम्पर्क केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- भारत के प्रत्येक भाग से की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के लिए बहु क्षेत्रीय भाषी सहायता उपलब्ध करवाना।
- आधार सम्पर्क केन्द्र में फोन करने वाले निवासियों के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) उपलब्ध कराना।
- निवासियों को उनकी इच्छानुसार आधार सम्पर्क केन्द्र कर्मियों के साथ बात करने की सुविधा प्रदान करना।
- निवासी अपनी शिकायतें भाविपप्रा के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।
- निवासियों को उनकी पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए समान ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन (सीआरएम) अनुप्रयोग का सृजन तथा रखरखाव करना।

आधार सम्पर्क केन्द्र की अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार सम्पर्क केन्द्र में निम्न सुविधाएं हैं –

- **टोल फ्री नम्बर 1947:** टोल फ्री नम्बर 1947 का उपयोग भारत में कहीं से भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने शार्ट कोड '1947' श्रेणी 1 में भाविपप्रा को टोल फ्री नम्बर आबंटित किया है।
- **सम्पर्क केन्द्र अवसंरचना:** सम्पर्क केन्द्र अवसंरचना ट्रंक लाइनों, पीबीएक्स साल्यूशन, आईवीआरएस, ऑटोमेटिक काल डिस्ट्रीब्यूटर (काल सेंटर सुविधा प्रदान कर्ता), कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूनिट तथा वॉयस लॉगर सिस्टम के मध्य कॉल डिस्ट्रीब्यूशन (10 प्रतिशत कॉल की रिकार्डिंग तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से की जाती है) से युक्त है। आईवीआरएस के माध्यम से काल करने वाले के साथ ड्यूप्लेक्स विधि में हिंदी/अंग्रेजी/देशीय भाषाओं में उपयोक्ता द्वारा चयन की गई भाषा के अनुसार संपर्क किया जाता है। वर्तमान में आईवीआरएस से संपर्क में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगू, बंगाली, पंजाबी, ओड़िया, तमिल, असमी तथा मलयालम भाषाएं उपलब्ध हैं। आईवीआरएस में उपलब्ध विशेषताएं निम्न हैं :–
  - प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
  - 14 अंकों की नामांकन आईडी खोज पर आधारित आधार नामांकन स्थिति

- 14 अंकों की यूआरएन संख्या से आधार अद्यतन की स्थिति
- कॉल करने वालों के क्षेत्रानुसार आईवीआरएस आधारित भाषा विकल्प का युक्तिसंगत चयन
- पहले से ही दर्ज शिकायतों की स्थिति
- अपनी आधार संख्या जानिए
- कॉल करने वालों की इच्छानुसार आधार सम्पर्क केन्द्र के कर्मी से सम्पर्क की सुविधा

- **सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनः** आधार सम्पर्क केन्द्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स (एमएसडी) आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। यह व्यवस्था का ह्रदय केंद्र है तथा इसका पृष्ठांकन एकीकरण भाविपप्रा के केन्द्रीय पहचान डाटा निधान (सीआईडीआर) के जरिए सम्पर्क केन्द्र फर्मों को सम्बद्ध सूचना प्रदान करने के लिए किया गया है जिससे निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ का निवारण संचलन हो सके। इसका एकीकरण एवं विस्तार भाविपप्रा के प्रभागों में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतों के प्राप्त होने और उनके अंतिम समाधान होने तक के लिए भी किया गया है। एमएसडी आधारित सीआरएम एप्लीकेशन का संचलन निवासियों को समाधान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विविध प्रकार के एकीकरण के लिए भी किया जा सकता है। वर्तमान में सीआरएम एप्लीकेशन का विस्तार भाविपप्रा के निम्नलिखित प्रभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में मामलों के समाधान के लिए किया गया है –
  - सम्पर्क केन्द्र फर्म
  - सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालय
  - मुख्यालय के प्रभाग तथा तकनीकी केन्द्र

काल सेंटर सेवाएं प्रदान करने के लिए दो फर्मों के साथ करार किया गया है, जो विविध स्थानों से प्राप्त होने वाली कॉलों का संचलन करते हुए 12 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगू भाषा में सहायता प्रदान करते हैं। ईमेल सहायता help@uidai.gov.in पर केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

सीआरएम एप्लीकेशन सर्वरों को हेब्बल एवं मानेसर में स्थित डाटा केन्द्रों में रखा गया है तथा डाटा केन्द्र से बाहर उनकी प्रतिबंधित पहुंच केवल पी2पी अथवा सुरक्षित एमपीएलएस लाइनों से सीसीएफ सहभागियों तक ही है।

- **कॉल परिमाण**

सामान्यतया, भाविपप्रा के संपर्क केंद्रों में डेढ़ से दो लाख कॉल प्रतिदिन और 2500 से 3000 ईमेल प्रतिदिन प्राप्त होती हैं। इस मात्रा में आधार के उपयोग/लिंकिंग/सीडिंग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रमुख घोषणा किए जाने के फलस्वरूप अचानक से वृद्धि हो जाती है। इस संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार के अधिक नामांकन, अपडेट एवं प्रमाणीकरण और सीडिंग के कारण वर्तमान मात्रा के न्यूनतम 5 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) बढ़ने की संभावना होती है।

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता

भाविपप्रा में आधार डाटाबेस की तकनीकी तौर पर संरक्षा और सुरक्षा के लिए एक सुकल्पित, सुदृढ़ एवं विविध आयामों से युक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के समुचित अनुप्रयोगों से युक्त है तथा भाविपप्रा किसी भी अनदेखी संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए उसका उत्तरोत्तर उन्नयन करता रहता है।

आधार का मूलभूत स्थापयशिल्प न्यूनतम सूचना, इष्टतम अनभिज्ञता एवं संघित डाटाबेस के तीन मूल सिद्धांतों के अनुरूप डाटा सुरक्षा तथा निजता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। भाविपप्रा इसके साथ ही डाटा सुरक्षा तथा निजता को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा उपायों की अन्य परतों जैसे नियमित सुरक्षा ऑडिट का प्रयोग करता है। भाविपप्रा आधार डाटा की सुरक्षा के लिए विधिक उपायों सहित सभी प्रकार के हरसंभव उपाय करता हैं।

आधार अंतर्निहित रूप से इस प्रकार डिजायन किया गया है कि किसी व्यक्ति की निजता एवं सुरक्षा उसके मूलभूत अधिकारों के तौर पर की जा सके। आधार नामांकन के समय तथा बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डाटा संग्रहण से स्पष्ट है कि आधार निजता पर व्यक्त चिंताओं का सम्मान करता है और निजता का सांविधिक अधिकारों के तौर पर ध्यान रखता है। आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए संग्रहण किया जाने वाला डाटा इतना न्यून होता है कि उससे निजता के उल्लंघन की संभावना लगभग शून्य होती है। आधार व्यवस्था में आधार नम्बर बायोमेट्रिक डि–डुप्लीकेशन कर जारी किया जाता है, और जीवनकाल में पहचान रिकार्ड से जुड़े परिवर्तनों का प्रबंधन कर तथा पहचान के (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) सत्यापन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) उपलब्ध कराया जाता है।

इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अंतर्गत आधार में कभी किसी भी संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता नम्बर, बैंक विवरण, पसंद–नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, व्यवसाय, सम्पति, शिक्षा, मोबाइल (आधार नामांकन के समय संचार उद्देश्य अथवा ओटीपी प्रेषण इत्यादि के लिए भाविपप्रा में पंजीकृत करवाए गए नम्बर के अलावा) अथवा अन्य कोई ऐसी सूचना, जो किसी व्यक्ति की निजता के संदर्भ में चिंता का कारण हो सकती है, का संग्रहण नहीं किया जाता है। यहां तक की जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान जैसी किसी सूचना अथवा प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/ताल्लुका) के उपयोग से आवास का पता आधार संख्या में अंतःस्थापित नहीं किया जाता है। आधार लिंकिंग के दौरान भी संबंधित डाटाबेस में केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से केवल आधार पर आधारित सत्यापन होता है किन्तु ऐसे डाटाबेस से किसी सूचना, यहां तक कि सत्यापन से संबंधित सूचना का सहभाजन भी आधार/भाविपप्रा के साथ नहीं किया जाता।

इसके अलावा, आधार केवल पहचान की परिकल्पना पर केंद्रित है और इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। आधार अधिनियम तथा विनियमों के अंतर्गत डाटा के संरक्षण एवं निजता को और मजबूत बनाने के संबंध में अनेक प्रकार के कड़े प्रावधान किए गए हैं। आधार अधिनियम की धारा–29 में किसी भी उद्देश्य के लिए मूल बायोमेट्रिक का सहभाजन एवं प्रकटीकरण किया जाना प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन आधार अधिनियम की धारा 37 तथा 38 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

आधार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016 घोषित विनियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों का निर्वाह कड़ाई से विधि अनुरूप सुरक्षित एवं विधिक परिवेश में हो, जहां प्रक्रियाओं से संबद्ध सभी एजेंसियों का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही स्पष्ट रूप में परिभाषित हो। पूर्णतः एक पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार व्यवस्था की डिजायनिंग आधार के किसी संभावित दुरूपयोग के प्रति किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश खत्म कर देती

है, साथ ही अपनी पहचान को अन्य सहभागियों के सम्मुख आवश्यकतानुसार प्रमाणित करने की छूट देती है। आधार प्लेटफार्म एक डिजिटल प्लेटफार्म के बतौर नवोपायों एवं उनसे निर्मित होने वाली विभिन्न उपयोजिताओं एवं एप्लीकेशनों के लिए के प्रावधान सम्पन्न हैं। आधार संख्या एक यादृच्छ संख्या है, जिसमें किसी प्रकार की आसूचना अथवा रूपरेखण सूचना निर्मिति नहीं की गई है। 12 अंकों की यह संख्या आने वाली अनेक सदियों तक जनसंख्या की पहचान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

4.1 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन

भाविपप्रा ने भारत के निवासियों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का नामांकन भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर पर उच्चतः दृढ़, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है। देश भर में प्रतिदिन 75,000 से ऊपर निवासियों का नामांकन प्रचालकों द्वारा किया जाता है जिनका चयन कड़ी परीक्षा एवं परीक्षण के आधार पर किया गया है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नम्बर प्राप्त करना होता है और उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार संख्या से प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा–जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा किसी मामले में उल्लंघन की स्थिति में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी की उत्तरदेयता तत्काल निर्धारित की जा सकती है। तदनन्तर, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डाटा का मिलान आधार धारकों (जो वर्तमान में 123 करोड़ से अधिक हैं) के विद्यमान डाटाबेस से किया जाता है और जब कोई भी मिलान नहीं हो, तब ही आधार नम्बर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है। बायोमेट्रिक समेत सम्पूर्ण नामांकन डाटा 2048 बिट कूट कुंजी से नामांकन के समय ही कूटित कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसका अभिगमन नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका अभिगमन केवल उसी को उपलब्ध सुरक्षित अकूटन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध विश्व के सबसे तीव्रतम कम्प्यूटर को भी कूराचार के उपयोग से कूटन कुंजी को भेद पाने में करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डाटाबेस से किसी पंजीकृत निवासी के मूल बायोमेट्रिक तक अनधिकृत पहुंच की सूचना हो।

4.2 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन

आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल हां/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डाटा निजता की संरक्षा बनाए रखते हुए निवासी के पहचान दावे का अनुप्रयोगों द्वारा ''सत्यापन'' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डाटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों का आधार डाटाबेस तक अभिगमन नहीं है।

प्रत्येक ई–केवाईसी अनुरोध के लिए, निवासी द्वारा सफल अधिप्रमाणन के पश्चात ही जनांकिक एवं फोटो डाटा का सहभाजन इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में होता है (निवासी बायोमेट्रिक/ओटीपी अधिप्रमाणन से भाविपप्रा को स्पष्ट सहमति देता है कि भाविपप्रा को भौतिक फोटोप्रतियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उसके आधार पत्र के सहभाजन का प्राधिकार है)।

4.3 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा

चूंकि आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डाटा भाविपप्रा के केन्द्रीय निधान में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डाटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर–अनिवार्य डाटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डाटा (4 गुण – नाम, पता, लिंग, तथा जन्म

तिथि तथा 2 गुण – वैकल्पिक डाटा – मोबाइल, ई–मेल) के अलावा इसके केन्द्रीय डाटाबेस में आधार का उपयोग कर रही विद्यमान व्यवस्था या अनुप्रयोगों से कोई संयोजन उपलब्ध नहीं होता है। इससे केन्द्रीकृत मॉडल के स्थान पर अनिवार्य रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों/व्यवस्थाओं (निवासियों के डाटा के विकेंद्रित मॉडल) के डाटा द्वीप तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी निवासी से संबंधित पूर्ण जानकारी तथा उसके अधिप्रमाणन का इतिहास पता चल पाने का एक केन्द्रीकृत मॉडल में बना रहने वाला जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.4 डाटा का कोई एकीकरण नहीं

आधार व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण एवं संचयन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इसीलिए यह ऐसा एकल केन्द्रीय डाटा निधान नहीं बन सकता जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर, पीडीएस कार्ड नम्बर, ईपीआईसी नम्बर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य व्यवस्था के साथ नहीं होता है। संव्यवहार डाटा इस डिजाइन में संधित मॉडल में विनिर्दिष्ट व्यवस्था में ही भंडारित रहता है। ऐसे उपागम से निवासियों से संबंधित सूचनाएं अलग–अलग स्वरूपों में अनेक व्यवस्थाओं में भंडारित की जाती हैं जिन्हें विभिन्न एजेंसियां धारित करती हैं।

4.5 इष्टतम अनभिज्ञता

अधिप्रमाणन का डिजाइन ऐसे तैयार किया गया है कि इससे आधार व्यवस्था को न तो अधिप्रमाणन का उद्देश्य और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों के सहभाजन की जानकारी अथवा सहभाजन हो पाता है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य–ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा के प्रति कोई कोताही बरते बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार संख्या धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार व्यवस्था को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते को खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है, इत्यादि।

4.6 स्थिति अपरिज्ञान

भाविपप्रा अधिप्रमाणन व्यवस्था में स्थान की कोई जानकारी नहीं होती है। आधार अधिप्रमाणन व्यवस्था को अधिप्रमाणन अनुरोध भेजने के स्थान की जानकारी नहीं होती। अतः अधिप्रमाणन के माध्यम से किसी निवासी को ट्रैक करने का खतरा समाप्त हो जाता है।

4.7 विकेंद्रित डाटा तथा एक–मार्गी संयोजन

इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डाटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह निवासी विशिष्ट संव्यवहार डाटा सामान्य डेटाबेस में विकेन्द्रित रहने की बजाय सभी उपयोक्ता एजेन्सियों के बीच विकेन्द्रित रहता है। यहां यह भी नोट करना चाहिए कि विभिन्न व्यवस्थाएं भाविपप्रा से संदर्भित होती हैं (आधार संख्या के उपयोग के माध्यम से) परन्तु भाविपप्रा द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं के लिए अनुलोम संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंक खाता खोलते समय बैंक को आधार नम्बर दिया जाता है परन्तु बैंक में धारित किसी डाटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक भाविपप्रा की कोई पहुंच नहीं होती है। इस प्रकार आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन (अधिप्रमाणन, सही अर्थों में) होती है, जिसमें आधार संख्या का समावेश लाभग्राही के डाटाबेस से किसी प्रकार के डाटा से भाविपप्रा के डाटाबेस में सम्बद्धता/अवकर्षण के बिना संव्यवहार किया जाता है।

4.8 आधार डाटा की सुरक्षा

भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत कूटकरण प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डाटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य व्यवस्था की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग

की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप, स्थापना के पश्चात से अब तक 2,800 करोड़ आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार किए जा चुके हैं तथा भाविपप्रा में उपलब्ध सूचना के अनुसार बायोमेट्रिक के दुरुपयोग से पहचान चोरी अथवा वित्तीय हानि होने अथवा भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा रिसाव की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। आधार डाटा सुरक्षा का और अधिक संवर्धन नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन एवं भाविपप्रा द्वारा विभिन्न परिव्यवस्था हितधारकों का ऑडिट करते हुए किया जाता है।

4.9 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की है, जिसे एसटीक्यूसी ने आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन प्रदान किया है।

4.10 सीआईडीआर संरचना घोषित रक्षित व्यवस्था

राष्ट्रीय महती सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) ने भाविपप्रा–केन्द्रीय पहचान डाटा निधान को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा आश्वासन की एक ओर परत को जोड़ते हुए ''रक्षित व्यवस्था'' घोषित किया गया है। भाविपप्रा द्वारा केन्द्रीय पहचान डाटा निधान में सुरक्षित निवासियों के डाटा और 24x7x365 उसकी गोपनीयता, अखंडता और इस सूचना की उपलब्धता बनाए रखने को दिए गए सर्वोच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित डाटा का अनुरक्षण उन नियंत्रणों से किया जाता है जो इस सूचना की महत्ता के अनुरूप हैं। सूचना व्यवस्था के लिए प्रदान की गई यह सुरक्षा सभी प्रकार के खतरों (साइबर संबंधित, केन्द्रीय पहचान डाटा निधान के वर्चुअल लॉजिकल क्रॉस बार्डर इन्टरफेस, राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय, आंतरिक अथवा बाह्य, जानबूझकर अथवा दुर्घटनावश) से सुरक्षा प्रदान करती है।

4.11 संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी)

संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी) की रूपरेखा की संकल्पना भाविपप्रा के लिए सुदृढ़, व्यापक एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए की गई है ताकि भाविपप्रा प्रचालन करता रहे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीआरसीपी व्यवस्था भाविपप्रा प्रबंधन को भाविपप्रा एवं परिव्यवस्था सहभागियों के संदर्भ में दृश्यता, प्रभाव्यता एवं नियंत्रण की चौकसी प्रदान करती है।

4.12 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन के लिए सुकल्पित, बहुस्तरीय उपागम युक्त सुदृढ़ प्रणाली स्थापित है। इसका पिछले वर्ष और समेकन किया गया। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है।

5. आधार – सुशासन में उपयोग

5.1 शासन में सुधार हेतु एक साधन के रूप में

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार

आधार एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित नहीं होती है। अतः वित्तीय समावेशन के लिए आधार का सशक्त रूप से उपयोग वित्तीय पते के लिए, विशेषतः उनके लिए जिन्हें भारत के वित्तीय नक्शे में प्रभावहीन छोड़ दिया गया था, किया जा सकता है। किसी आधार धारक को कोई भी भुगतान अंतरण करने के लिए उसकी आधार संख्या ही पर्याप्त है।

हाल ही तक, किसी लाभार्थी को धन अंतरण करने के लिए सरकार/संस्थान को उसके बैंक खाते, आईएफएससी कोड तथा बैंक शाखा से संबंधित विवरण, जो परिवर्तनशील है, की आवश्यकता होती थी। हालांकि आधार से किसी आधार धारक के बैंक खाते में हुए किसी प्रकार के बदलाव से प्रभावित हुए बिना केवल 12 अंकों की संख्या के उपयोग से आजीवन धन प्रेषण किया जा सकता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 65.16 करोड़ से अधिक आधार को अधिकांश रूप से देश में मौजूदा सक्रिय बैंक खातों के साथ लिंक किया गया है, ताकि आधार को फायनेंशियल एड्रेस के रूप में बनाया जा सके। मई 2014 से बैंक खातों के साथ लिंक किए गए आधार नंबरों की प्रगति ग्राफ–8 में दर्शायी गयी है:

ग्राफ 8. आधार की बैंक खातों से संयोजन की प्रगति

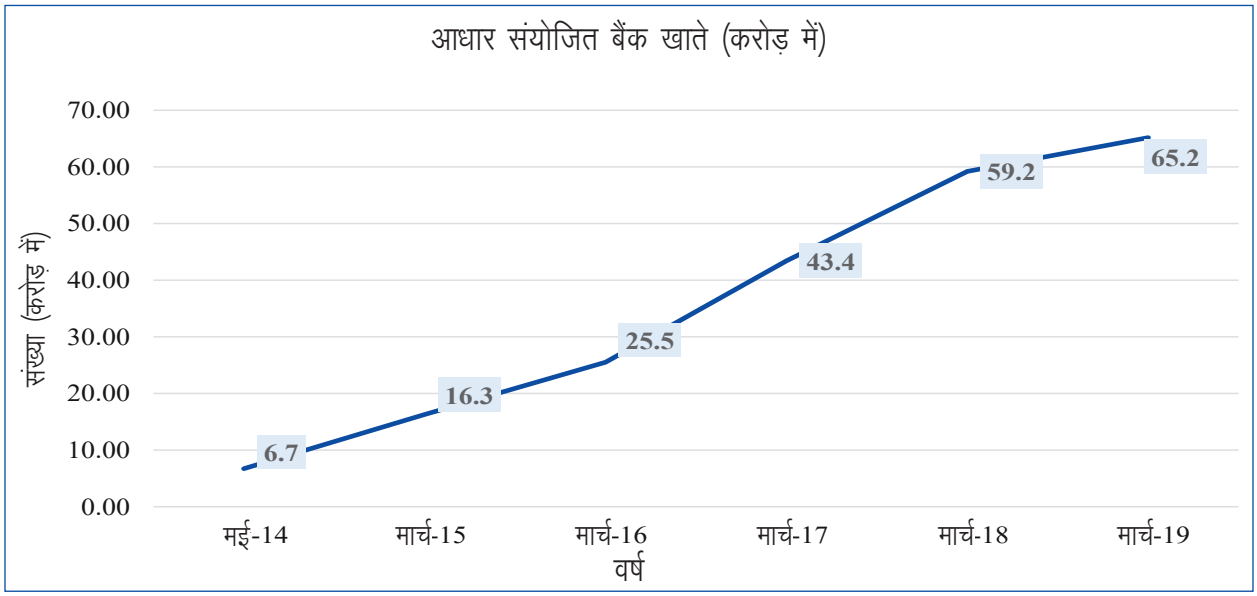

हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियों, जो आधार नंबर का उपयोग करती हैं, का वर्णन नीचे किया गया है:

5.1.2 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे कोई भी व्यक्ति आधार आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन कर माइक्रो–एटीएम से अपने बैंक खाते से धन निकासी, जमा, धन अंतरण, इत्यादि सामान्य बैंकिंग संव्यवहार कर सकता है। बैंक का चयन व्यक्ति द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह संव्यवहार व्यक्ति की उपस्थिति में ही होता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी

रूप से 310.4 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार इस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 137 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 6.87 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। नीचे दिये गए ग्राफ–9 में, मई 2014 से माइक्रो एटीएम में आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) संव्यवहारों की प्रगति को दर्शाता है।

ग्राफ 9. एईपीएस संव्यवहार की प्रगति

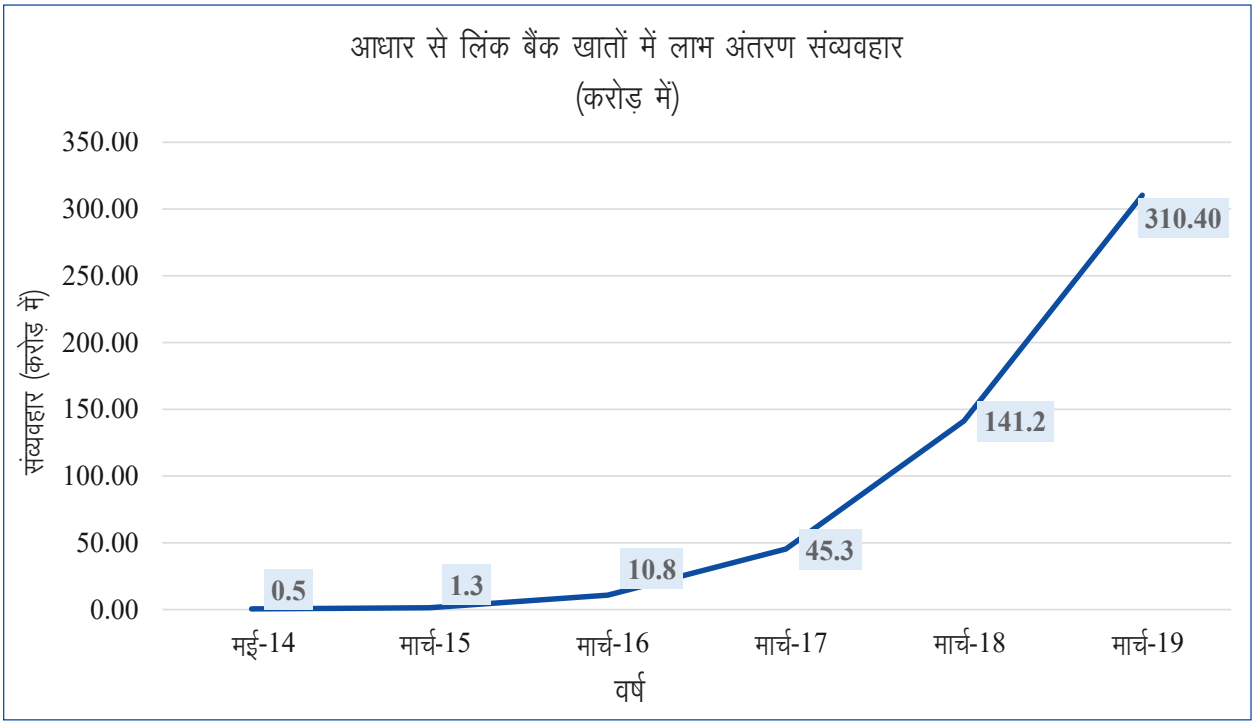

5.1.3 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी)

आधार भुगतान ब्रिज के कार्यान्वयन से सभी सहभागियों को बैंकिंग संव्यवहार की चुनौतियों से निपटने में आसानी होती है। यह मुख्यतः सरकार–से–नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय–से–उपभोक्ता (बी2सी) का अंतरण प्लेटफार्म है जिसमें किसी आधार धारक को निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संयोजित (लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वतः अंतरण हो पाता है।

ईकोसिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है और वर्तमान में यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2019 के अनुसार 973 बैंक आधार भुगतान ब्रिज के साथ सक्रिय हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। साथ ही, 31 मार्च, 2019 तक एपीबी प्लेटफार्म पर संचयी रूप से सफल संव्यवहार 467.80 करोड़ से अधिक था, जो 191,292 करोड़ रुपए के समतुल्य है। मई 2014 से संव्यवहारों की संख्या और संव्यवहारों के मूल्य में एपीबी की प्रगति को क्रमशः ग्राफ–10 और 11 में दर्शाया गया है।

5.1.4 भीम आधार

भीम आधार, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का व्यापारिक संस्करण है। इसका सृजन विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए एक आधार धारक द्वारा व्यापारियों को भुगतान में उपभोक्ता–से–व्यवसाय (सी2बी) संव्यवहार के उद्देश्य से किया गया है। वास्तव में, इसने सुदूर क्षेत्रों में किए गए भुगतानों के तरीके को बदल दिया है, उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और वास्तव में डिजीटल बनाया है।

ग्राफ 10. आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

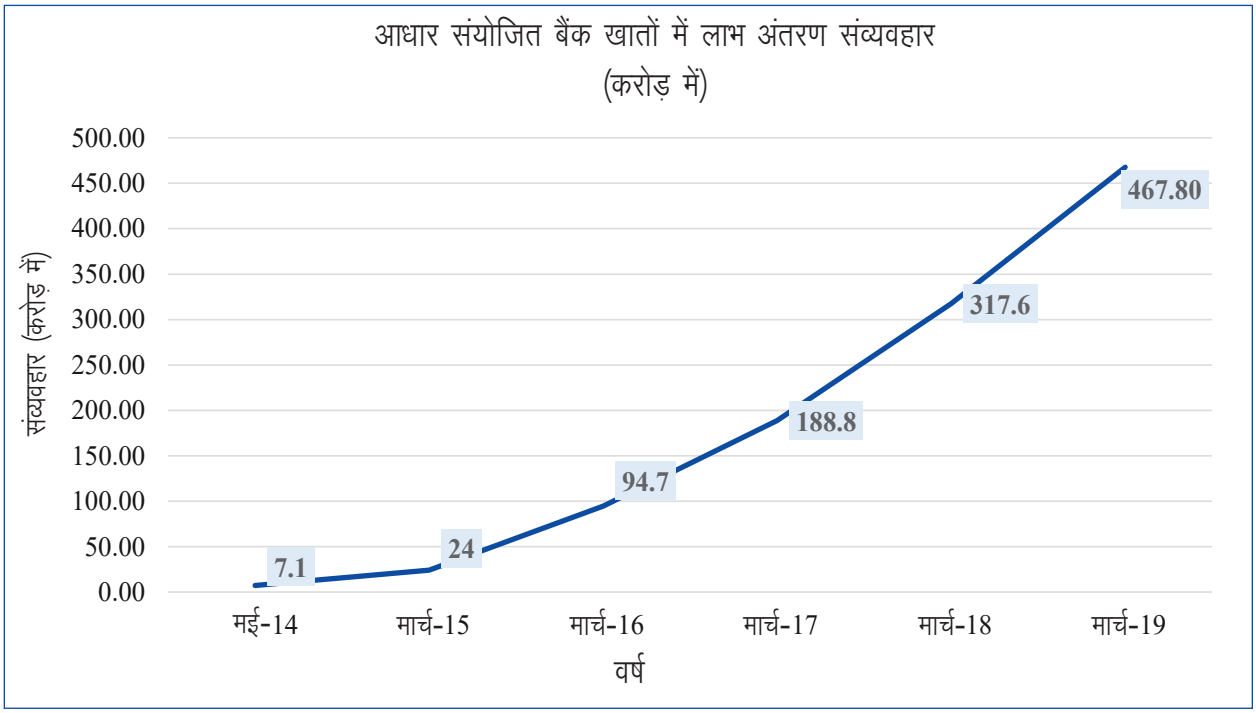

ग्राफ 11. आधार भुगतान ब्रिज संव्यवहार के मूल्य में प्रगति

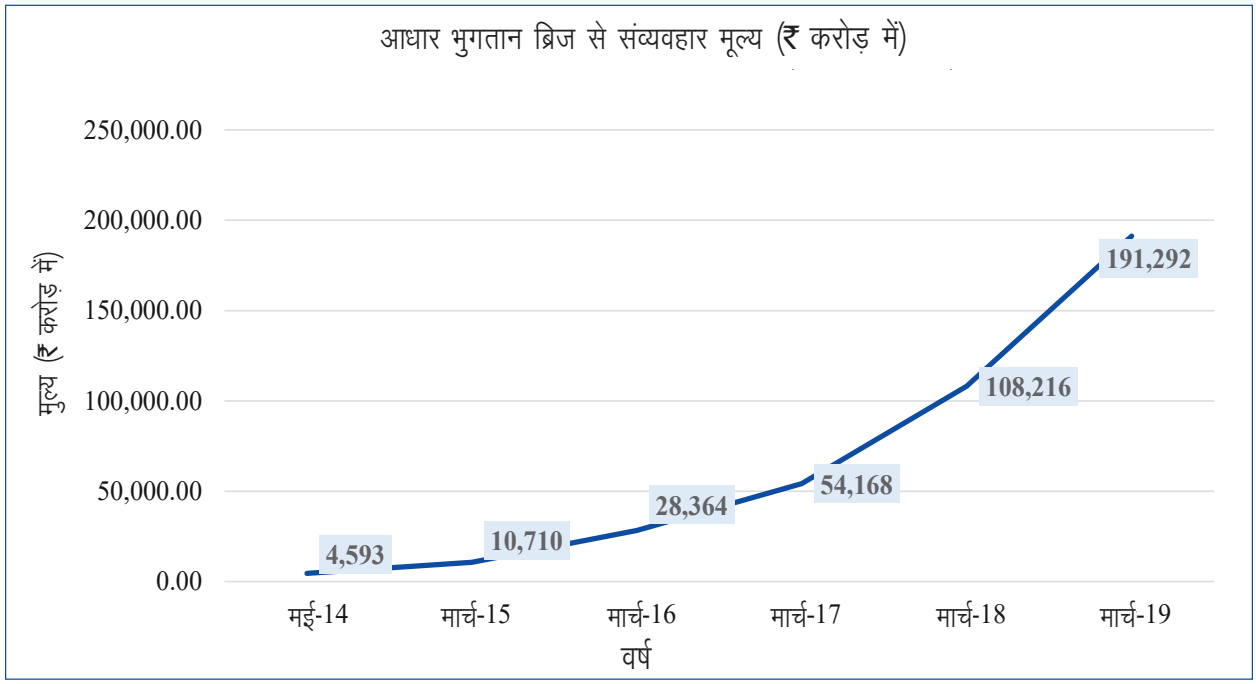

एक व्यापारी जिसके पास एक बैंक खाता तथा निम्न लागत वाला कोई सामान्य स्मार्ट फोन है, तो वह बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त कर तथा गूगल प्ले स्टोर से अपेक्षित ऐप डाउनलोड करके डिजिटल व्यापारी बन सकता है। यह उपभोक्ताओं से नकदरहित (कैशलेस) भुगतान प्राप्त करने हेतु मर्चेंट को समर्थ बनाता है। 14 अप्रैल, 2017 को प्रमोचित, भीम आधार को वर्तमान में 88 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लगभग 84.08 लाख संव्यवहारों के लिए 45,000 से अधिक मर्चेंटों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में आधार

कल्याण सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि–व्यवस्था जेएएम (जन–धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में ला दिया है, जिसने पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति ला दी है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के चरणों में लागू किया गया है। अभी तक, लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ संबद्ध आधार हेतु नकद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2019 के अनुसार, पहल सहित विभिन्न योजनाओं में 467.80 सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 1,91,292 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जोकि लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने के कारण संभव हुआ।

5.2.1 डीबीटी योजनाओं के लिए जारी अधिसूचनाएं

आधार के उपयोग के साथ डीबीटी के साथ अनेक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी एक गतिविधि यह है कि किसी योजना के तहत लाभार्थियों से आधार मांगे जाने से पहले, योजना का संचालन कर रहे संबंधित विभाग/ मंत्रालय को पहचान दस्तावेज के रूप में आधार की आवश्यकता को अधिसूचित करते हुए आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 का उपयोग करते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करना अपेक्षित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को आधार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा ऐसी अधिसूचनाओं, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधिवत पुनरीक्षित के उपरांत, का मसौदा तैयार करने एवं उनके निर्गम करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 तक, भाविपप्रा (डीबीटी) प्रकोष्ठ ने आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 154 अधिसूचनाएं जिनमें 275 योजनाएं शामिल है (केंद्रीय रूप से प्रयोजित या केंद्रीय क्षेत्र) के जारी करने में केंद्र सरकार के 37 मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय का कार्य किया है।

5.2.2 एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई एवं अपवाद प्रबंधन के लिए स्पष्टीकरण का निर्गमन

आधार अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी सेवा, सहायिकी अथवा लाभ परिदान के लिए आधार का उपयोग अधिदेशात्मक नहीं है। तथापि, विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में आधार की अपेक्षा में सेवाओं/लाभों/सहायिकी के परिदान से मना न करने संबंधी निर्णयात्मक स्पष्टीकरण के लिए भाविपप्रा ने निम्न परिपत्र जारी किए हैं। (ये https://uidai.gov.in/legal-framework/acts/circulars.html पर उपलब्ध हैं).

- पीडीएस तथा अन्य कल्याण सेवाओं में अपवाद संचलन, दिनांक 24 अक्तूबर 2017
- अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) तथा विदेशों में भारतीय निवासियों (ओसीआई) के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार की उपयोज्यता, दिनांक 15 नवंबर 2017

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 तथा उसके संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014–स्थापना ए–III के अनुसार अपेक्षित सूचना तालिका–10 में दर्शाई गई है।

उक्त अधिनियम और इसके संबंधित नियमों/आदेशों (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश सहित) के अनुसार, भाविपप्रा ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति" तैयार की है। यह भाविपप्रा की अधिकारिक वेबसाइट https;//uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

तालिका 10. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निरोधन की वार्षिक रिपोर्ट (2018–19)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतें	2
2.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	2
3.	90 दिन से अधिक अवधि के बकाया मामले	शून्य
4.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित कार्यशालाएं	8
5.	कार्रवाई का स्वरूप	भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में कथित यौन उत्पीड़न का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा जांच की गई तथा संबंधित अधिकारी के काडर नियंत्रण प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया था। भाविपप्रा (मुख्यालय) की आंतरिक शिकायत समिति को संदर्भित अन्य मामले में आईसीसी द्वारा संबंधित व्यक्ति को अनुरोध करने के बावजूद लिखित में कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण कोई जांच नहीं की जा सकी। अतः लिखित में शिकायत प्राप्ति की निर्धारित अवधि तक प्रतीक्षा करने के उपरांत, मामले को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बंद कर दिया गया।

6.2 राजभाषा प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुसरण करते हुए भाविपप्रा द्वारा अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन किया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिए गए। भाविपप्रा के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में चर्चा की गई तथा सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए। रिपोर्ट अवधि के दौरान, राजभाषा नीतियों/नियमों पर जानकारी देने के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में कुल 89 अधिकारियों एवं स्टाफ ने भागीदारी की।

भाविपप्रा मुख्यालय में 14 से 28 सितंबर, 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से एक अपील संदेश जारी किया गया। इस अवधि के दौरान चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा इस प्रतियोगिताओं में 144 अधिकारियों/कार्मिकों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। भाविपप्रा मुख्यालय में 17 अक्तूबर, 2018 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया तथा विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ और बेंगलुरु का निरीक्षण किया गया।

सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, भाविपप्रा अपने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पृथक रूप से हिंदी में नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग के लिए एक प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित करता है।

6.3 सिटिजन चार्टर

यह नागरिकों को विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता एवं नियत समय के भीतर सेवा परिदान उपलब्ध कराने के लिए संगठन की ओर से सभी हितधारकों को दी गई प्रतिबद्धता का एक उपागम है। सिटिजन चार्टर भाविपप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/images/ uidai_ctizen_charter_final.pdf. पर उपलब्ध है। सिटिजन चार्टर की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

6.4 इन्ट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

भाविपप्रा ने आंतरिक सूचना सम्प्रेषण, बेहतर सूचना विनिमय एवं भाविपप्रा कर्मचारियों के बीच कार्य सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से एक ऑनलाइन समुदाय आधारित प्लेटफार्म ''इंटरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल'' (केएम पोर्टल) की स्थापना की है। इस पोर्टल का उद्देश्य कम कागज प्रयोगी कार्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। केएम पोर्टल में केएम डैशबोर्ड है, जिसमें विभिन्न प्रभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अद्यतन कार्यालय आदेश और परिपत्र अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल सूचना का अधिकार कक्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविपप्रा के मानव संसाधन प्रभाग में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ आनलाइन व आफलाइन आवेदनों/अपीलों/शिकायतों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित मामलों को देखता है। साथ ही, केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देशानुसार तिमाही प्रगति रिपोर्टें तैयार कर आयोग को भेजा जाता है। भाविपप्रा के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची का अनुरक्षण/अद्यतन नियमित रूप से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित अन्य सांविधिक अनिवार्यताओं के साथ किया जाता है

तथा उसे भाविपप्रा की वेबसाइट https://www.uidai.gov.in में आरटीआई टैब के अंतर्गत प्रेषित किया जाता है।

6.6 भाविपप्रा वेबसाइट

भाविपप्रा की वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in) भारत के निवासियों के लिए एक सिंगल क्लिक ऑनलाइन सेवा खिड़की होने के साथ ही विभिन्न परिव्यवस्था हितधारकों तथा जनता के लिए प्रमुख वेब सूचना केन्द्र हैं।

चूंकि, भारत में निवासियों की आबादी का एक बड़ा भाग आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल का उपयोग करता है, इसलिए आधार/भाविपप्रा की वेबसाइट को प्रयोक्ता अनुकूल और मोबाइल हेतु सुलभ बनाया गया है। इसके लिए, भाविपप्रा की वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टल को हाल ही में नया रूप दिया गया है तथा उन्हें बहु–साधन अनुकूल बनाया गया है। साथ ही, देश की अति जनसांख्यिकीय व्यवस्था हेतु यह जानकारी अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

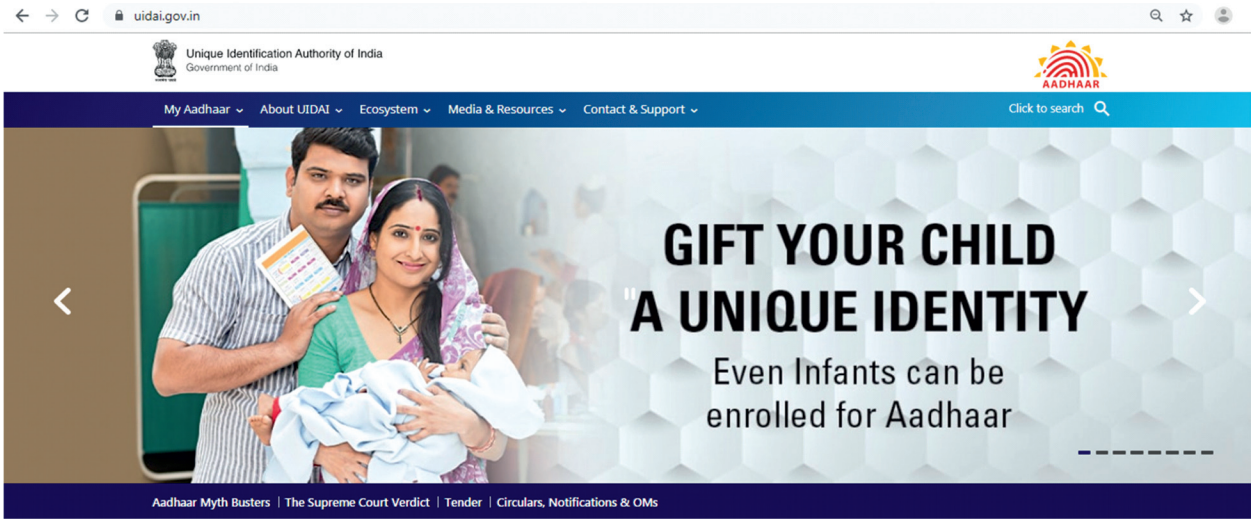

भाविपप्रा की वेबसाइट की निम्न विशिष्टताएं हैं:

1. उत्तरदायी यूएक्स ताकि मोबाइल उपयोगकर्ता आधार सेवाएं और जानकारी को ऐक्सेस करने के दौरान बेहतर यूज़र अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
2. वेबसाइट के अंतर्गत गहन आधार सेवाओं के उपरांत अत्यधिक मांग रखने के स्थान पर, भाविपप्रा की वेबसाइट, आधार ऑनलाइन सर्विसेज़ अपफ्रंट हेतु सीधे ऐक्सेस प्रदान करती है।
3. क्रिस्पर इंफोरमेशन आर्किटेक्चर, अटूट दो चरण नेवीगेशन, सार्वभौमिक रूप से सुबोध लेबल और खोज विशेषता ताकि निवासी सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकें।
4. आधार नामांकन, प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी, भाविपप्रा ईकोसिस्टम पर सूचनाप्रद दस्तावेज, जो आधार सेवाओं के बारे में शिक्षा एवं प्रोत्साहन तथा वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सूचना को सुगम बनाते हैं।
5. नवीनतम समाचार, प्रेस विज्ञप्तियां, वीडियो, घटनाएं, कार्यशालाएं, अभियान, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि।
6. वेबसाइट में संपर्क खंड, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय और तकनीकी केंद्रों में विभिन्न प्रभागों और कार्यकारियों का ब्योरा प्रदान करता है।
7. वेबसाइट भारत सरकार की रैपिड मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) के साथ एकीकृत है, जो यूज़र को वेबसाइट एवं अन्य आधार ऑनलाइन सेवाओं के बारे में उनका फीडबैक साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है।

8. आधार सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का खंड निवासियों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशिष्ट आधार सेवाओं हेतु प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ है।

9. विभिन्न विषयों पर अक्सूर पूछे जाने वाले प्रश्नों को 13 भारतीय भाषाओं यथा, – अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड, मल्यालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध कराया गया है।

10. वेबसाइट देश में सृजित आधार की कुल संख्या और किए गए प्रमाणन से संबंधित विश्लेषण को दर्शाती है।

11. वेबसाइट को डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस एवं एचटीएमएल के लिए प्रमाणित किया गया है तथा वर्तमान में इसका ऑडिट जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के उद्देश्य से एसटीक्यूसी द्वारा किया जा रहा है।

12. सोशल मीडिया खंड निवासियों को अद्यतन अपडेट का अवलोकन और भाविपप्रा फेसबुक एवं ट्वीटर पेज पर भागीदारी प्रदान करता है।

6.6.1 सामान्य निधान के रूप में भाविपप्रा वेबसाइट

भाविपप्रा वेबसाइट निम्न के लिए सामान्य निधान के रूप में कार्य करती हैं –

1. परिव्यवस्था सहभागियों के लिए महत्वपूर्ण नीतियां, दिशानिर्देश, जांच सूचियां तथा अन्य ऑन–बोर्डिंग दस्तावेज को इसके पारिस्थितिकी तंत्र खंड में उपलब्ध कराये गयें हैं।

2. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 एवं इससे सम्बद्ध नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों को विधि खंड में प्रमुखता से दर्शाया गया है।

3. राज्यों तथा गैर–राज्य रजिस्ट्रारों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए निविदाएं एवं संबंधित दस्तावेज, नामांकन दस्तावेज एवं भाविपप्रा दस्तावेज के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं।

4. समाचार, प्रेस विज्ञप्तियां, आधार संबंधी अभियान, वीडियो एवं प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न डाउनलोड किए जा सकने वाले फार्मेट में मीडिया खंड में प्रदृश्य हैं।

6.6.2 आधार ऑनलाइन सेवाओं तथा अन्य पोर्टलों के लिए एकल पहुंच अभिगमन

भाविपप्रा की वेबसाइट से निम्न सेवाओं, विश्लेषणों एवं व्यवसाय विशिष्ट पोर्टलों के लिए सीधे लिंक भी उपलब्ध कराया गया है:–

- आधार ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल (निवासी, ई–आधार और एसएसयूपी)
  - नामांकन केंद्र खोजे
  - आधार स्थिति की जांच करें
  - डाऊनलोड आधार
  - गुम या भूली हुई ईआईडी/ यूआईडी प्राप्त करें
  - आदेश आधार पुनर्मुद्रण
  - आधार पुनर्मुद्रण की स्थिति की जांच करें
  - आधार अपडेट स्थिति की जांच करें
  - अपना पता ऑनलाइन अपडेट करें
  - पता अपडेट स्थिति की ऑनलाइन जांच करें
  - आधार अपडेट इतिहास
  - आधार नंबर सत्यापित करें
  - ईमेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें
  - वर्चुअल आईडी(वीआईडी) जेनरेटर
  - आधार कागजरहित ऑफलाइन ई–केवाईसी
  - लॉक/अनलॉक बायोमैट्रिक
  - पते के वैधीकरण पत्र हेतु अनुरोध
  - आधार अधिप्रमाणन पूर्व विवरण
  - आधार लॉक और अनलॉक सेवा
  - आधार/बैंक लिंकिंग स्थिति की जांच करे
- आधार डैशबोर्ड: विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड आधार नामांकन, अपडेट, प्रमाणीकरण और ई–केवाईसी सेवाओं के लिए बड़े आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

7. भावी योजनाएं

7.1 आधार सेवा केंद्र (एएसके)

भाविपप्रा जल्द ही देश में सभी राज्यों की राजधानी को कवर करते हुए 53 मुख्य शहरों में 114 आधार सेवा केंद्रों को रोल–आऊट करेगा। ये आधार सेवा केंद्र, आधुनिक सुविधा से युक्त नामांकन एवं अद्यतन केंद्र होंगे तथा निवासी एक सुरक्षित और आरामदायक वातानुकूलित परिवेश में बिना किसी परेशानी और लंबी प्रतीक्षा के नामांकन और जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक अपडेट की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इन केंद्रों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, पेयजल और प्रसाधन का प्रबंध होगा। निवासी इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अथवा केंद्र पर जा सकते हैं।

7.2 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल ऐसे निवासियों को प्रयोक्ता–अनुकूल और अपॉइंटमेंट बुक करने का त्वरित सुविधा प्रदान करेगा जो आधार सेवा केंद्रों में आधार की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं।

7.3 रजिस्ट्रार के रूप में बीएसएनएल

भाविपप्रा पूरे देश में फैले अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में आधार नामांकन एवं अपडेट सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ भी साझेदारी की है। बीएसएनएल जल्द ही ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएससी) से आधार नामांकन एवं अपडेट सेवा को रोल–आऊट करेगा।

7.4 एल 1 पंजीकृत उपकरण

भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। फील्ड में सभी बायोमेट्रिक उपकरणों के एल0 पंजीकृत उपकरणों में सफलतापूर्वक स्थानांतरण होने के उपरांत, भाविपप्रा एल1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा को शुरू करने के लिए कार्य कर रहा है। बायोमेट्रिक के हस्ताक्षर एवं एंक्रिप्शन को ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट (टीईई) के अंतर्गत लागू किया जाएगा, जहां होस्ट ओएस प्रक्रियाओं या होस्ट उपयोगकर्ताओं को प्राइवेट कुंजियों अथवा इंजेक्ट बायोमेट्रिक प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं होगा। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, प्राइवेट कुंजियों का प्रबंधन केवल टीईई के अंतर्गत किया जाएगा।

7.5 चैटबोट

वर्षों के दौरान उन्नत हुई प्रौद्योगिकी के साथ लय बनाये रखने के लिए, भाविपप्रा निवासियों के लिए एक अतिरिक्त शिकायत निवारण चैनल प्रदान करने के संबंध यूआईडीएआई की वेबसाइट के माध्यम से चैटबोट सेवाएं शुरु करने की प्रक्रिया में है। निवासियों में संतुष्टि स्तर सुधारने के लिए, चैटबॉट में निम्नलिखित विशेषताओं की परिकल्पना की गई है:

1. निकटतम नामांकन केंद्र का पता लगाएँ।
2. आधार नामांकन की स्थिति प्राप्त करना।
3. अद्यतन की स्थिति प्राप्त करना।
4. लाइव मानव एजेंट को सौपना।
5. सी आर एम मामले का निर्माण/शिकायत दर्ज करना।
6. निवासियों को शिक्षित करने के लिए वीडियों फ्रेम का एकीकरण करना।

7.6 यूनिफाइड मोबाइल ऐप्प (अपग्रेडेड एम-आधार)

भाविपप्रा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भारत का कोई भी निवासी आधार सेवाएं प्राप्त करने से न बचे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण आधार वेब सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों सुविधाओं के साथ एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

ऐप्प को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल प्लेटफार्म के लिए विकसित किया जाएगा तथा निवासी जिनके पास पहले से आधार है और जिन्हें अभी नामांकन कराना है, वे इस ऐप्प के जरिए ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और बहुभाषी जनसांख्यिकीय व्यवस्था हेतु, निवासियों को अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं से अपनी भाषा चुनने का विकल्प होगा।

8. वित्तीय कार्यनिष्पादन

8.1 वित्तीय परामर्श/सहमति

- वित्तीय निहितार्थों का उचित अधिमूल्यन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीति एवं कार्यक्रम निरूपण गतिविधियों से सम्बद्धता।
- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए परामर्श।
- ऐसे सभी मामलों पर वित्तीय परामर्श, जिनमें व्यय/स्वीकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से आवश्यकता सम्बद्ध स्वीकृति (एओएन) तथा व्यय सम्बद्ध स्वीकृति (ईएएस) हेतु वित्तीय प्रस्तावना की जानी है।
- निविदा/प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेजों, अनुबंधों में सशोधन सहित अनुबंध के संबंध में वित्तीय दृष्टिकोण से पुनरीक्षा।
- भाविपप्रा के अधिकारियों की विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए संवीक्षा एवं स्वीकृति।
- विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व (सीएबी, निविदा खोलने तथा वित्तीय मूल्यांकन की समिति, वाणिज्यिक मोल भाव समिति, अन्य समितियां)
- अधिप्राप्ति मैनुअल के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था द्वारा 'सम्यक् तत्परता' तथा अधिप्राप्ति एवं अनुबंधों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों एवं विनियमों तथा दिशानिदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना।

8.2 बजट निर्माण

- बजट का निर्माण तथा सम्बद्ध कार्य (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं अनुपूरक सहायता और पुनर्विनियोजन) ।
- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यात्मक प्रभागों के मध्य बजट का निर्धारण।
- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय एवं लेखांकन कार्यकलापों की निगरानी एवं नियंत्रण।

8.3 व्यय एवं रोकड़ प्रबंधन

- वेतन एवं भत्तों का भुगतान तथा मुख्यालय के कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों का निपटान।
- आपूर्तिकर्ताओं के माल एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक प्रकार के बिलों का भुगतान।
- सभी लेखा बहियों का रख–रखाव तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों का निर्माण।

8.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

- मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/तकनीकी केन्द्रों के कार्यात्मक प्रभागों के लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना।
- लेखापरीक्षा के लिए श्रमशक्ति की तैनाती, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करना तथा उससे संबंधित प्रभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/तकनीकी केन्द्र को जारी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

8.5 अन्य कार्यकलाप

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/लोक लेखा समिति/भाविपप्रा के संबंध में ऑडिट पैरा से जुड़े मामले।
- लेखापरीक्षा महानिदेशक का कार्यालय, पीएंडटी, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑडिट पैरा के संबंध में कार्यात्मक प्रभागों द्वारा दिए उत्तर/अनुपालन की पुनरीक्षा।
- आर्थिक सर्वेक्षण, के लिए इनपुट उपलब्ध कराना।

8.6 बजट एवं व्यय

- वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भाविपप्रा के अनुमोदित बजट आकलन तथा संशोधित आकलन क्रमशः 1,375.00 करोड़

रुपए तथा 1,345.00 करोड़ रुपए हैं। 1,345.00 करोड़ रुपए के संशोधित आकलन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1,344.99 करोड़ आबंटित किए गए तथा वर्ष के दौरान 1,181.86 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1,227.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन अनुमोदित किए गए हैं।
- भाविपप्रा की स्थापना के पश्चात से बजट एवं व्यय का विवरण तालिका–11 में तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट एवं व्यय का सारांश तालिका–12 में दिया गया है।

तालिका 11. बजट एवं व्यय (संस्थापन के पश्चात से)

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2009–10	120.00	26.38	26.21
2010–11	1,900.00	273.80	268.41
2011–12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012–13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013–14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014–15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015–16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016–17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017–18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018–19	1,375.00	1,344.99	1,181.86

तालिका 12. बजट एवं व्यय (2018-19)

प्रचालन शीर्ष	वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2018–19 में प्राप्त निधियां (रुपए करोड़ में)	31 मार्च, 2019 तक समेकित व्यय (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2018–19 में स्वीकृत निधियों के प्रति व्यय प्रतिशत (रुपए करोड़ में)
31 – अनुदान सहायता सामान्य	1,155.00	1,176.87	1,018.50	86.54
35 – पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता	165.00	103.12	101.41	98.34
36 – वेतन के लिए अनुदान सहायता	55.00	65.00	61.95	95.31
योग	**1,375.00**	**1,344.99**	**1,181.86**	**87.87**

9. भाविपप्रा से संबंधित वर्ष 2018–19 का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संशोधित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन–पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26(2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों का लेखापरीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. यह पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट(एसएआर) केवल दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण एवं लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों के अनुरूप आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के परीक्षण से उत्पन्न अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं, यदि कोई हो तो, जिन्हें प्रबंधन के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है, को प्रबंधन पत्र के जरिए संसूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन–देनों एवं दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के लेखापरीक्षा अवलोकनों की रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन इस तरह करें कि हम ऐसा तार्किक आश्वासन प्राप्त कर सकें जो महत्वपूर्ण मिथ्या–कथन से मुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में, साक्ष्य के परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा लेखा–बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप से किया गया है।

5. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क तुलन–पत्र

क.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) ₹ 58,028.21 लाख

बैंक शेष ₹ 776.41 लाख

यूआईडीएआई का बैंक में नकद एवं नकद समतुल्य के स्थान पर निवेश के रूप में आटो स्वीप विकल्प पर 27,594.19 लाख रुपए की वर्गीकृत मियादी जमा है।

इसके फलस्वरूप 27,594.19 लाख रुपए की राशि का वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) का अंडरस्टेटमेंट और निवेश–अन्य (अनुसूची 10) का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

क.2 देयताएं

कोर्पस/कैपिटल फंड ₹ 1,42,403.50 लाख (अनुसूची 1)

अ) उपरोक्त शीर्ष के अधीन शेष बैंक में मियादी जमा पर अर्जित ब्याज (अनुदान के अलावा) के शामिल न किए जाने के कारण 445.10 लाख रुपए तक अंडरस्टेटेड है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसके बजाय "आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश (02 मार्च, 2019)" की धारा 10, जो बैंक में मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को यूआईडीएआई निधि में अंतरित करने की अनुमति नहीं देता है, के उल्लंघन में, नवगठित यूआईडीएआई निधि में हस्तांतरित कर दिया है।

इसके कारण 445.10 लाख रुपए तक की धनराशि यूआईडीएआई निधि का ओवरस्टेटमेंट और कोर्पस/कैपिटल निधि का अंडरस्टेटमेंट हुई है।

ब) आधार अधिनियम 2016 की धारा 25 के उल्लंघन में भारत के समेकित कोष में पिछले वर्ष की अनुरक्षित आय का हस्तांतरण न करने के कारण भी उपरोक्त शीर्ष के तहत शेष राशि 177.67 लाख रुपए ओवरस्टेटेड हो गई है। कोर्पस/कैपिटल फंड का ओवरस्टेटमेंट तथा उक्त राशि शीर्ष चालू देनदारियों एवं प्रावधानों का अंडरस्टेटमेंट हुआ है।

परिणामस्वरूप अनुसूची 25 के नोट 5.4 में भी कमी हुई है क्योंकि पिछले वर्ष की अनुरक्षित आय राशि 177.67 लाख रुपए को भारत के समेकित कोष में जमा नहीं किया गया है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1 सेवाओं से आय (अनुसूची 12) ₹ 291.01 लाख

7 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान अर्जित आधार प्रमाणीकरण प्रभारों के कारण हुई 726.15 लाख रुपए की आय को उपरोक्त शीर्ष में शामिल नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप सेवाओं से आय का अंडरस्टेटमेंट और 726.15 लाख रुपए अधिशेष का अंडरस्टेटमेंट हुआ है।

ख.2 शुल्क और अंशदान (अनुसूची 14) ₹ 1,543.20 लाख

उपरोक्त शीर्ष आनुपातिक आधार पर बुकिंग करने के बजाय प्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और प्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) से अग्रिम रूप से प्राप्त लाइसेंस शुल्क की बुकिंग के कारण 738.97 लाख रुपए

ओवरस्टेटेड है। इसके फलस्वरूप शुल्क और अंशदान आय (अनुसूची 14) के ओवरस्टेटमेंट तथा अग्रिम में प्राप्त आय (चालू देयताएं और प्रावधान) में प्राप्त आय का अंडरस्टेटमेंट 738.97 लाख रुपए है।

ख.3 प्रचालन व्यय (अनुसूची 22) ₹ 57,564.21 लाख

उपरोक्त शीर्ष 2018–19 की अवधि से संबंधित बीपीओ सेवाओं पर हुए व्यय के रूप में 513.11 लाख रुपए अंडरस्टेटेड है, जिसे हिसाब में नहीं लिया गया था। इसके फलस्वरूप 513.11 लाख रुपए की राशि अधिशेष का ओवरस्टेटमेंट तथा प्रचालन व्ययों का अंडरस्टेटमेंट हुई है।

ग. सामान्य टिप्पणियां

ग.1 आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची 26)

आकस्मिक देयताएं (अनुसूची 26)

आपूर्तित सामग्री, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, के लिए मैसर्स एचसीएल द्वारा प्रस्तुत दावे के कारण 5,108 लाख रुपए की देयता को दर्शाया नहीं गया है।

ग.2 प्रकटन पर टिप्पणी

मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम्स द्वारा प्रस्तुत एएमसी, वेयरहाऊसिंग एवं संभारिकी और बीमा के भुगतान हेतु 3,380 लाख रुपए की देयता, जिसका निर्णय अभी यूआईडीएआई द्वारा लिया जाना है, को प्रकट नहीं किया गया है।

घ. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 1,344.99 करोड़ (सामान्य – ₹ 1,176.87 करोड़, पूंजीगत – ₹ 103.12 करोड़ और वेतन –₹ 65. 00 करोड़) में से, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, यूआईडीएआई ने 1,181.86 करोड़ (सामान्य – ₹ 1,018.50 करोड़, पूंजीगत – ₹ 101.41 करोड़ और वेतन – ₹ 61.95 करोड़) का उपयोग किया है और अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ₹ 163.13 करोड़ (सामान्य – ₹ 158.37 करोड़, पूंजीगत – ₹ 1.71 करोड़ और वेतन – ₹ 3.05 करोड़) शेष है। दर्शाई गई प्रयुक्त राशि में राज्य सरकारों सरकारी विभागों एवं संस्थाओं और अन्यों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं। वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम ₹ 376.69 करोड़ था। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया अग्रिम (पिछले वर्ष में किए गए अग्रिम से संबंधित सहित) ₹ 523.70 करोड़ था। प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान किए गए अग्रिमों के वास्तविक उपयोग को विस्तृत रूप से जांचने की आवश्यकता है।

6. अन्य मामले: लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य कमियों, किंतु जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को निवारक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से प्रबंधन के पत्र द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संज्ञान में लाया गया है। इन कमियों में निम्नलिखित शामिल हैं।

क) सरकारी अनुदानों पर अर्जित 1,940.35 लाख रुपए के ब्याज को जीएफआर के उल्लंघन में यूआईडीएआई निधि में हस्तांतरित किया गया;

ख) यूआईडीएआई बैंक द्वारा भुगतान के दोहरे आदेश भेजने के कारण बैंक ने विक्रेताओं को 38.01 लाख रुपए की दो बार अदायगी की गई, जो कैनरा बैंक के खाता शेष का गलत उल्लेख है;

ग) देनदारों के संबंध में ऋणात्मक शेष;

घ) कुछ मामलों में लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के साथ गैर–अनुपालन;

च) केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और विभिन्न निकायों/संस्थानों को अनिश्चितता/अग्रिमों की अवधि को प्रकट किए बिना पर्याप्त अनिश्चित अग्रिमों की मौजूदगी होना, क्या ये शोध्य/अशोध्य थे।

7. पिछले अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के

आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान खाता लेखा–बही के अनुरूप हैं। ,

8. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–। में उल्लिखित मामलों के अध्यधीन, एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क. जहां तक यह तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएआई के कार्यों की स्थिति से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं अधिशेष के व्यय लेखा से संबंधित है।

ह0/–

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

यूआईडीएआई में अगस्त/सितंबर, 2011 में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उपमहानिदेशक (वित्त) को आवश्यक सुधार हेतु प्रस्तुत की जाती है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में धन परिप्रेक्ष्यों के साथ विभिन्न परियोजनाओं में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता पैरामीटरों का मूल्यांकन भी शामिल है।

(ख) लेखापरीक्षा का परिमाण और लंबित पैरा

आंतरिक लेखापरीक्षा में यूआईडीएआई मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखों के रिकार्ड की सामान्य समीक्षा की गई। सामान्य सामीक्षा के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभारी द्वारा चयनित कम से कम एक माह के लेखा अभिलेखों की व्यापक जांच भी की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 119 लंबित पैराओं का अभी निपटारा किया जाना बाकी है।

(ग) यूआईडीएआई में आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति

मुख्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में व्यय और अधीनस्थ प्रक्रिया और विधियों की लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी केंद्र की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की गई।

(घ) प्राप्तियों की जांच

यूआईडीएआई के संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं कि सभी प्रकार के राजस्व (शुल्क/अर्थदंड आदि) या देयताओं को सही और समुचित रूप से मूल्यांकित, वसूल किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा में अनिवार्यतः जांच की जाती है कि क्या यूआईडीएआई द्वारा सभी राजस्व प्राप्तियों और वसूलियों के संग्रहण और लेखाकरण की प्रभावी जांच हेतु पर्याप्त विनियम और क्रियाविधियां निर्धारित की गई हैं और उनका समुचित अनुपालन किया जा रहा है।

3. अचल आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

अचल आस्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव मैनुअली नहीं किया गया है। अचल आस्तियों का विवरण कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है। वर्ष 2018–19 के लिए यूआईडीएआई में आस्तियों/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

4. सामान–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

यूआईडीएआई में सामान–सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यूआईडीएआई सांविधिक देयताओं के भुगतान में तत्पर है, सिवाय स्रोत पर की गई कटौती के मामले में 47.09 लाख रुपए की राशि के संबंध में चूक/विवाद है, जिसका निपटारा होना बाकी है।

ह0/–

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी, 2018–19

यूआईडीएआई में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों का सत्यापन करने के दौरान किया गया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

संगठनात्मक व्यवस्था

प्राधिकरण के गठन में, केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक आधार पर नियुक्त एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा, शामिल हैं। यूआईडीएआई के मुख्य प्रबंधकीय पद (केएमपी) निम्नवत हैं:

अध्यक्ष	रिक्त
यूआईडीएआई का अंशकालिक सदस्य	डॉ.आनंद देशपांडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	डॉ.अजय भूषण पांडे, भा.प्र.से.

मुख्यालय व्यवस्था

मुख्यालय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता सात उपमहानिदेशक(डीडीजी), भारत सरकार के संयुक्त स्तर के अधिकारी, जो यूआईडीएआई के विभिन्न विंग के प्रभारी अधिकारी हैं, द्वारा की जाती है। उपमहानिदेशकों को सहायता, सहायक महानिदेशक(एडीजी), उप–निदेशक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी प्रदान करते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों(आरओ) में व्यवस्था

यूआईडीएआई के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक की अध्यक्षता उपमहानिदेशक (डीडीजी) द्वारा की जाती है और सहायता संरचना में सहायक महानिदेशक, उप–निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार और निजी स्टाफ शामिल हैं।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्राधिकरण को अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों को, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में, किसी सदस्य, प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को सौंपने का अधिकार है।

नीतियां और क्रियाविधि

यूआईडीएआई की कोई भर्ती संबंधी नीतियां नहीं हैं, क्योंकि यूआईडीएआई के अधिकारी/स्टाफ अन्य मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति पर नियोजित हैं।

नकदी की प्राप्ति और वितरण

नकदी की प्राप्ति और वितरण से संबंधित कार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी(डीडीओ) द्वारा किया जाता है। कैश बुक खजांची (कैशियर) की अभिरक्षा में रहती है तथा नकदी की प्रत्यक्ष रूप से नियमित जांच की जाती है। नकद शेष की अधिकतम सीमा का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

निधियों का रखरखाव (नियोजित/अनियोजित)

सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व, अर्थात 2016–17 तक, यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में, उसकी दिनांक 28 जनवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना सं.

ए–43011/02/2009–प्रशा.। के तहत कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने यूआईडीएआई को तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अटैच करने के लिए कार्यों की आबंटन नियमावली को संशोधित किया।

वित्त वर्ष 2018–19 में यूआईडीएआई को केंद्र सरकार से अनुदान के समक्ष 1344.99 करोड़ रुपए (सामान्य 1176.87 करोड़ रुपए + पूंजीगत – 103.12 करोड़ रुपए + वेतन – 65.00 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई।

नकद की प्राप्ति एवं प्राप्ति योग्य/संवितरण

सक्षम प्राधिकारी के सभी स्वीकृति आदेश, जिन्हें वित्त प्रभाग को भुगतान के लिए अग्रेषित किया जाता है, की विद्यमान नियमों/आदेशों, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, आवंटन योग्य लेखा–शीर्ष के तहत निधियों की उपलब्धता आदि के साथ जांच की जाती है और तदनुसार भुगतान के लिए, अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

व्यक्ति–विशेषों के लिए वेतन रोल/ऋण और अग्रिम

यूआईडीएआई के कर्मचारियों के वेतन/ऋण और अग्रिमों को तैयार किया जा रहा है तथा उनका भुगतान समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में निहित उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

बैंक शेष/बैंक मिलान

बैंक के मिलान विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सरकारी अनुदानों के जरिए प्राप्त निधियों को बैंक के चालू खाते में रखा जाता है।

ह0/–

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि/रू.)

क. सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1.	आधारभूत/पूंजीगत निधि	1	1,424,03,50,023.13	1,173,62,27,846.32
2.	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
3.	निर्धारित/अक्षय निधियां	3	227,29,14,498.82	
4.	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
5.	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
6.	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
7.	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	16,19,44,423.42	119,20,06,608.57
	कुल		**1,667,52,08,945.37**	**1,292,82,34,454.89**
	आस्तियां			
1.	अचल आस्तियां	8	795,35,81,936.49	923,64,80,121.77
2.	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3.	अन्य निवेश	10	291,88,05,707.32	69,38,06,214.00
4.	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	580,28,21,301.56	2,997,948,119.12
5.	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)		-	-
	कुल		**1,667,52,08,945.37**	**1,292,82,34,454.89**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25	-	-
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	26	-	-

नोटः–तुलन–पत्र की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी।

ह0/–	ह0/	ह0/
सहायक महानिदेशक	उप–महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1.	सेवाओं से आय	12	2,91,01,272.00	-
2.	अनुदान/सबसिडी	13	1,080,45,51,568.39	964,98,00,000.00
3.	शुल्क/अभिदान	14	15,43,20,346.43	-
4.	निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)		-	-
5.	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6.	अर्जित ब्याज	17	23,85,45,422.50	-
7.	अन्य आय	18	23,18,77,127.15	-
8.	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
	कुल (क)		**1,145,83,95,736.47**	**964,98,00,000.00**
	व्यय			
1.	स्थापना व्यय	20	43,44,79,560.00	41,78,01,249.95
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	39,95,63,642.33	61,72,00,636.80
3.	परिचालन व्यय	22	575,64,21,449.83	816,27,13,218.31
4.	अनुदान, सबसिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5.	ब्याज		-	-
6.	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट अनुसूची–8 के तदनुरूप)		225,30,91,631.96	251,32,05,144.30
	कुल (ख)		**884,35,56,284.12**	**1,171,09,20,249.36**
	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि (ग)=(क–ख)		**261,48,39,452.35**	**(206,11,20,249.36)**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		56,42,78,253.97	-
	पूर्व अवधि आय (ङ)		3,00,06,610.60	-
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		9,33,67,528.67	-
	भाविप्रा निधि को हस्तांतरण ;छद्ध		64,16,33,814.37	-
	स्पेशल रिजर्व में हस्तांतरण हेतु (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-
	जनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण		-	-
	शेष बतौर अधिशेष/(घाटा) आधारभूत/पूंजीगत निधि के लिए (ज)			
	ज=(ग-घ-ङ+च-छ)		**147,22,88,302.08**	**(206,11,20,249.36)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25	-	-
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26	-	-

नोट:–आय और व्यय लेखों की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी

ह0/–	ह0/	ह0/
सहायक महानिदेशक	उप–महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियां		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी	3,25,920.00	2,91,000.00
	ख. बैंक राशि		
	i. चालू खातों में	61,60,06,272.12	-
	ii. जमा खातों में	-	-
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	15,000.00	-
2	प्राप्त अनुदान/सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से	-	-
	i. अनुदान सहायताः सामान्य	1,176,87,00,000.00	919,98,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	65,00,00,000.00	45,00,00,000.00
	iii. अनुदान सहायताः पूंजी	103,12,00,000.00	185,02,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए।	-	-
3	सेवाओं से आय	2,91,01,272.00	97,96,49,065.69
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	1,367,58,11,828.00	1,113,50,91,322.00
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	21,15,53,397.18	6,16,87,823.00
	ख. ऋण, अग्रिम आदि	-	-
	ग. अन्य	-	-
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	3,63,79,260.72	7,94,641.48
7	उधार ली गई राशि	-	-
8	अन्य प्राप्तियॉ (ब्योरा दें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. प्रतिभूति/बयाना जमा/बैंक गारंटी भुनाया	8,95,66,420.00	40,80,000.00
	घ. अग्रिमों की वापसी	-	-
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	6,324.00
	iii. मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम	-	-

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	iv. कम्प्यूटर अग्रिम	3,435.00	25,937.00
	v. अन्य अग्रिम	13,15,726.00	52,850.00
	vi. एलटीसी	57,85,766.00	48,64,173.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	5,50,187.00	12,29,064.00
	ङ आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियां	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	80,61,898.00	5,73,59,152.84
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	3,22,15,644.00	51,99,34,317.00
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	86,34,530.00	16,300.00
	ट. अन्य प्राप्तियां	1,61,05,999.00	-
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	1,61,324.00	55,37,05,885.00
	ड. स्क्रैप की बिक्री	1,13,697.00	1,79,91,138.00
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	97,15,37,594.69	86,86,92,278.00
	ण. वेंडरों की रोकी गई राशि	29,32,92,778.00	-
	त. ऋणदाताओं से अग्रिम प्राप्त किया गया	27,78,43,181.41	-
	कुल	**2,972,42,81,130.12**	**2,570,54,71,271.01**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	38,56,81,486.49	37,74,99,508.91
2	अन्य प्रशासनिक व्यय	43,47,32,522.28	62,10,60,272.12
3	परिचालन खर्च	573,78,08,928.73	791,56,53,957.32
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्वयं के धन से (निवेश–अन्य)	1,625,79,63,827.00	1,130,54,50,000.00
6	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों की खरीद	63,68,85,443.87	69,12,04,809.54
	ख. पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय	44,93,738.00	41,25,42,687.00
7	अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	69,94,85,431.00	90,44,27,865.00
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
9	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. जमा बयाना राशि	-	-
	घ. अग्रिम		

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	6,324.00
	iii. मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कम्प्यूटर अग्रिम	50,000.00	25,937.00
	v. अन्य अग्रिम	-	-
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	17,95,963.00	16,13,405.00
	vii. एलटीसी	80,01,694.00	69,47,480.00
	viii. राज्य प्राधिकरणों	395,10,05,616.00	182,56,22,827.00
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	17,38,87,684.38	70,72,806.00
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	32,24,54,499.00	7,96,75,856.00
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	14,75,639.00	33,67,140.00
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	1,24,21,762.00
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	5,14,24,200.00
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	5,18,440.00	3,08,464.00
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	1,20,000.00
	ण. बयाना वापसी	15,10,000.00	40,00,000.00
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	1,500.00
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	65,11,382.00	-
	द. देनदारों को रिफंड	2,22,80,135.23	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा – एफडी	44,22,000.00	-
	न. एजेंसियों के पास जमा – सीआईएसएफ	96,12,000.00	-
	प. एजेंसियों के पास जमा – टेलीफोन	15,000.00	-
	फ. एजेंसियों के पास जमा – अन्य	2,62,600.00	-
	ब. वेंडरों की रोकी गई राशि	1,42,14,126.00	-
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए फंड	97,15,37,594.69	86,86,92,278.00
10	अंत शेष		
	क. नकदी	33,960.00	3,25,920.00
	ख. बैंक बकाया		
	i. चालू खातों में	7,76,41,419.45	61,60,06,272.12
	ii. जमा खातों में	-	-
	iii. बचत खातों में	-	-
	कुल	**2,972,42,81,130.12**	**2,570,54,71,271.01**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/
उप–महानिदेशक

ह0/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 1–आधारभूत/पूंजीगत निधि
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	1,173,62,27,846.32	1,195,12,22,736.08
2	जोड़: आधारभूत राशि/पूंजीगत निधि हेतु योगदान	101,40,67,747.16	184,61,25,359.60
3	जोड़/(घटा): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय/(व्यय) के शेष	147,22,88,302.08	(206,11,20,249.36)
4	जोड़: पूर्व वर्ष की देयताएं कॉर्पस को हस्तांतरित	1,77,66,127.57	-
	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि	**1,424,03,50,023.13**	**1,173,62,27,846.32**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**आरक्षित पूंजी**		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
3	**विशेष आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
4	**घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां**		
	सामान्य आरक्षिति		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
	कुल		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधियां
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क. सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अथ शेष**	-	-	-	-	-	-
2	**निधियों में परिवर्धन**						
	क. दान/ अनुदान	65,00,00,000.00	1,176,87,00,000.00	103,12,00,000.00	-	1,344,99,00,000.00	-
	ख. निधि के निवेश से आय	-	-	-	22,58,21,819.50	22,58,21,819.50	-
	ग. लाइसेन्स से आय एवं एनआरडी	-	-	-	15,29,66,287.43	15,29,66,287.43	-
	घ. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइण्सेंटिव	-	-	-	22,86,50,393.18	22,86,50,393.18	-
	ङ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	(3,73,651.75)	(3,73,651.75)	-
	च. अन्य आय	-	-	-	4,67,79,319.72	4,67,79,319.72	-
	कुल (1+2)	**65,00,00,000.00**	**1,176,87,00,000.00**	**103,12,00,000.00**	**65,38,44,168.08**	**1,410,37,44,168.08**	-
3	**निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय**						
	क. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
	i. अचल आस्ति	-	-	101,40,67,747.16	-	101,40,67,747.16	-
	ii. अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	**101,40,67,747.16**	-	**101,40,67,747.16**	-
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	61,95,36,505.00	-	-	-	61,95,36,505.00	-
	ii. किराया	-	-	-	-	-	-
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	1,018,50,15,063.39	-	1,22,10,353.71	1,019,72,25,417.10	-
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा	-		-	-	-	-
	कुल	**61,95,36,505.00**	**1,018,50,15,063.39**	-	**1,22,10,353.71**	**1,081,67,61,922.10**	-
	कुल (3)	**61,95,36,505.00**	**1,018,50,15,063.39**	**101,40,67,747.16**	**1,22,10,353.71**	**1,183,08,29,669.26**	-
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1+2–3)	**3,04,63,495.00**	**158,36,84,936.61**	**1,71,32,252.84**	**64,16,33,814.37**	**227,29,14,498.82**	-

नोट 1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्ही अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केन्द्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्टि करें)		
	उपचित ब्याज और देय		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर्स और बांड**		
7	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केन्द्र सरकार**		
	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाए**		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्टं करें)		
	उपचित ब्याज और देय		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर्स और बांड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
2	अन्य		
	कुल		

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 7–वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाया गया

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
क.	**वर्तमान देयताएं**				
1	**स्वीकृतियां**	-	-	-	-
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएँ हेतु	-	27,93,01,798.08	-	15,43,04,209.90
	ख. अन्य	-	9,04,73,316.00	-	80,000.00
3	**प्राप्त अग्रिम**	-	-	-	-
4	**उपचित अदेय ब्याजः–**				
	क. जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
	ख. गैर–जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
5	**सांविधिक देयताएं:–**				
	क. अतिदेय		-	-	-
	ख. अन्य	-	(67,37,77,539.33)		(16,89,65,771.91)
6	**अन्य वर्तमान देयता**	-	-	-	-
क.	**अनुदान – पूंजी निर्माण**				
	प्रारंभिक शेष	40,74,640.40	-	-	-
	जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	103,12,00,000.00	-	185,02,00,000.00	
	कमः वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	101,40,67,747.16	-	184,61,25,359.60	40,74,640.40
		2,12,06,893.24	-	-	-
	कमः कॉर्पस में हस्तांतरित	40,74,640.40	-	-	-
		1,71,32,252.84	-	-	-
	कमः भाविपप्रा निधि में हस्तांतरित	1,71,32,252.84	-	-	-
ख.	**अनुदान – वेतन**				
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	65,00,00,000.00	-	45,00,00,000.00	-
	कमः आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	61,95,36,505.00	-	45,00,00,000.00	-
		3,04,63,495.00	-	-	-
	कमःयू.आई.डी.आई. निधि में हस्तांतरण	3,04,63,495.00	-	-	-
ग.	**अनुदान –सामान्य**				
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,176,87,00,000.00	-	919,98,00,000.00	-
	कमः आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	1,018,50,15,063.39	-	919,98,00,000.00	-
		158,36,84,936.61	-	-	-
	कमः यू.आई.डी.आई. निधि में हस्तांतरण	158,36,84,936.61	-	-	-

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
घ.	**प्रतिधारित आय – केंद्र सरकार**				
	प्रारंभिक शेष	71,31,76,918.17	-	-	-
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय		-	6,16,87,823.00	-
	ख. लाइसेन्स से आय एवं एनआरडी	-	-	97,96,49,065.69	-
	ग. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइण्सेंटिव	-	-	55,37,05,885.00	-
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	1,79,91,138.00	-
	ङ. ब्याज से आय	-	-	37,76,230.00	-
	च. अन्य आय	-	-	7,94,641.48	-
		71,31,76,918.17	**-**	**161,76,04,783.17**	**-**
	कमः केंद्र सरकार को वापस कर दिया गया	69,94,85,431.00	-	90,44,27,865.00	71,31,76,918.17
	शेष अनुदान	1,36,91,487.17	-	-	-
	कमः कॉर्पस में हस्तांतरण	1,36,91,487.17	-	-	-
	कुल (क)	-	**(30,40,02,425.25)**	-	**70,26,69,996.56**
क	**प्रावधान**				
1	**कराधान के लिए**		-	-	-
2	**ग्रेच्युटी**		-	-	-
3	**अधिवर्षिता/पेंशन अंशदान**	-	-	-	-
4	**संचित छुट्टी नकदीकरण**	-	-	-	-
5	**व्यापार वारंटियां/दावे**	-	-	-	-
6	**देय छुट्टी वेतन**	-	-	-	-
7	**अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय और अन्य व्यय देय)**	-	46,59,46,848.67	-	48,93,36,612.01
	कुल (ख)	-	**46,59,46,848.67**	-	**48,93,36,612.01**
	कुल (क+ख)	-	**16,19,44,423.42**	-	**119,20,06,608.57**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 8 – अचल आस्तियां

(राशि/रू.)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार लागत/मूल्यांकन (01/04/2018)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	समायोजन	31/03/2019 को	31/03/2019 को	गत वर्ष 31/03/2018 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
अचल आस्तियां											
1. भूमि											
क. पूर्ण स्वामित्व में	35,13,38,050.00	9,50,64,000.00	-	44,64,02,050.00	-	-	-	-	-	44,64,02,050.00	35,13,38,050.00
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00	-	-	9,87,64,050.00	-	32,92,135.00	-	2,22,87,302.97	2,55,79,437.97	7,31,84,612.03	9,87,64,050.00
कुल (1)	**45,01,02,100.00**	**9,50,64,000.00**	-	**54,51,66,100.00**	-	**32,92,135.00**	-	**2,22,87,302.97**	**2,55,79,437.97**	**51,95,86,662.03**	**45,01,02,100.00**
2. कार्यालय भवन और डाटा सेंटरः											
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	96,95,01,185.00	99,09,19,178.00	-	196,04,20,363.00	2,35,88,077.14	2,77,73,123.12	-		5,13,61,200.26	190,90,59,162.74	94,59,13,107.86
ख. पट्टे पर दी गई भूमि पर	115,00,00,000.00	-	-	115,00,00,000.00	5,08,03,744.76	1,82,08,333.33	-		6,90,12,078.09	108,09,87,922.17	109,91,96,255.98
ग. स्वामित्व वाले फ्लैट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. इकाई से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (2)	**211,95,01,185.00**	**99,09,19,178.00**	-	**311,04,20,363.00**	**7,43,91,821.90**	**4,59,81,456.45**	-	-	**12,03,73,278.35**	**299,00,47,084.91**	**204,51,09,363.84**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण											
क. मशीनरी और उपकरण	188,98,43,401.22	1,96,307.00	-	189,00,39,708.22	34,06,58,064.59	11,96,93,867.21	-	-	46,03,51,931.80	142,96,87,776.42	154,91,85,336.63
ख. प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधाएं (सर्वर एवं डीपीयू)	1,456,58,27,491.00	7,87,16,383.22	-	1,464,45,43,874.22	1,062,65,86,346.58	181,11,08,522.04	-	-	1,243,76,94,868.62	220,68,49,005.60	393,92,41,144.42
ग. यूबीसीसी बुनियादी सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	33,51,41,874.40	31,50,18,363.59	-	65,01,60,237.99	3,37,81,650.36	14,48,19,113.37	-	-	17,86,00,763.73	47,15,59,474.26	30,13,60,224.04
कुल (3)	**1,679,08,12,766.62**	**39,39,31,053.81**	-	**1,718,47,43,820.43**	**1,100,10,26,061.53**	**207,56,21,502.62**	-	-	**1,307,66,47,564.15**	**410,80,96,256.28**	**578,97,86,705.09**
4. वाहन	7,77,682.00	7,58,944.00	76,111.00	14,60,515.00	18,707.69	1,46,519.90	-	-	1,65,227.59	12,95,287.41	7,58,974.31
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,58,09,249.27	14,38,819.53	-	8,72,48,068.80	2,18,61,689.72	76,05,380.39	-	-	2,94,67,070.11	5,77,80,998.69	6,39,47,559.55
6. कार्यालयी उपकरण	5,76,07,955.86	2,11,88,588.44	47,250.00	7,87,49,294.30	4,45,90,267.55	61,44,440.18	44,887.50	-	5,06,89,820.23	2,80,59,474.07	1,30,17,688.31

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार लागत/मूल्यांकन (01/04/2018)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	समायोजन	31/03/2019 को	31/03/2019 को	गत वर्ष 31/03/2018 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल (डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं अन्य)	39,60,79,728.45	5,30,56,323.58	5,49,460.00	44,85,86,592.03	10,70,55,600.90	10,93,71,722.95	5,21,987.00	-	21,59,05,336.85	23,26,81,255.18	28,90,24,127.55
8. विद्युत स्थापना	-	68,49,445.49	-	68,49,445.49	-	11,13,726.94	-	-	11,13,726.94	57,35,718.55	-
9. पुस्तुकालयी किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. लैपटाप एवं टैब्लेट	2,54,23,023.77	57,00,918.89	41,41,548.00	2,69,82,394.66	1,92,42,954.04	28,06,098.10	37,27,393.20	-	1,83,21,658.94	86,60,735.72	61,80,069.73
ख. मोबाइल फोन	78,65,468.84	13,46,467.14	13,80,069.00	78,31,866.98	64,95,819.45	10,08,649.43	13,11,065.55	-	61,93,403.33	16,38,463.65	13,69,649.39
कुल (10)	**3,32,88,492.61**	**70,47,386.03**	**55,21,617.00**	**3,48,14,261.64**	**2,57,38,773.49**	**38,14,747.53**	**50,38,458.75**	-	**2,45,15,062.27**	**1,02,99,199.37**	**75,49,719.12**
चालू वर्ष का योग (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**1,993,39,79,159.81**	**157,02,53,738.88**	**61,94,438.00**	**2,149,80,38,460.69**	**1,127,46,82,922.78**	**225,30,91,631.96**	**56,05,333.25**	**2,22,87,302.97**	**1,354,44,56,524.46**	**795,35,81,936.49**	**865,92,96,237.77**
गत वर्ष	1,918,38,48,544.03	-	-	1,918,38,48,544.03	876,14,77,778.47	-	-	-	876,14,77,778.47	865,92,96,237.77	1,042,23,70,765.55
प्रगतिरत कार्य पूंजी	57,71,83,884.00	-	57,71,83,884.00	-	-	-	-	-	-	-	57,71,83,884.00
कुल	**2,051,11,63,043.81**	**157,02,53,738.88**	**58,33,78,322.00**	**2,149,80,38,460.69**	**1,127,46,82,922.78**	**225,30,91,631.96**	**56,05,333.25**	**2,22,87,302.97**	**1,354,44,56,524.46**	**795,35,81,936.49**	**923,64,80,121.77**

(**नोट:** उपर्युक्तय में शामिल किराया, खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 9 – निर्धारित /अक्षय निधि से निवेश
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियां		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3	शेयर		
4	डिबेंचर्स और बांड		
5	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	कुल		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 10 – अन्य निवेश
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियां		-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		-	-
3	शेयर		-	-
4	डिबेंचर्स और बांड		-	-
5	सहायक कंपनियां और संयुक्त वेंचर्स		-	-
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)			
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंकों में सावधि जमा		275,94,19,549.32	17,03,58,678.00
	ख. एफडी प्रोजेक्ट–ईआईएल			
	प्रारंभिक शेष	52,34,47,536.00	-	
	जोड़ें: अर्जित ब्याज	1,27,23,603.00	-	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	
	कम: इआईएल के एसको खाते में हस्तांतरण	37,67,84,981.00	15,93,86,158.00	52,34,47,536.00
	कुल		**291,88,05,707.32**	**69,38,06,214.00**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 11 – वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्याादि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ए. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूचीः–**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. अबद्ध उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक	-	-
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन–कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
	ख. अन्य	(8,51,75,462.37)	-
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक/ड्राफ्ट एवं इम्प्रैस्ट सहित)**	33,960.00	3,25,920.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	i. चालू खातों में	7,76,41,419.45	61,60,06,272.12
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों के साथः–	-	-
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**	-	-
6	**अन्य**	-	-
	कुल (क)	-	-
	बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां	-	-
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		
	i. एलटीसी अग्रिम	35,46,623.00	23,10,826.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	7,49,793.00	3,31,491.00

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं।	-	-
	ग. अन्य (यात्रा भत्ता और अन्य अग्रिम)	15,53,944.00	-
2	नकदी या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि	-	-
	क. पूंजी खाते में	-	-
	ख. पूर्व–भुगतान	5,11,47,939.00	33,67,140.00
	ग. प्रतिभूति जमा	7,85,75,426.00	7,80,61,429.00
	घ. अन्य		
	i. टीडीएस प्राप्य	3,74,76,907.48	70,72,806.00
	ii. डीएवीपी, राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि।	523,69,54,150.00	224,97,07,730.00
	iii. ठेकेदार	40,03,16,602.00	4,07,64,505.00
3	उपाचित आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य. निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रूपए ..... सहित है)	-	-
4	**प्राप्य दावे**	-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	**580,28,21,301.56**	**299,79,48,119.12**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनाया गया

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएं	-	-
2	नामांकन सेवा	-	-
3	अन्य (आधार का पुनर्मुद्रण)	2,91,01,272.00	-
	कुल	**2,91,01,272.00**	-

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी
(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सब्सिडी)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केन्द्र सरकार		
	क. अनुदान – वेतन	61,95,36,505.00	45,00,00,000.00
	ख. अनुदान – सामान्य	1,018,50,15,063.39	919,98,00,000.00
2	राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	**1,080,45,51,568.39**	**964,98,00,000.00**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 14 –शुल्क/अभिदान
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क		-
2	वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3	संगोष्ठी/कार्यक्रम का शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक/परामर्शी शुल्क	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	15,29,66,287.43	-
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफपी शुल्क इत्यादि)	13,54,059.00	-
	कुल	**15,43,20,346.43**	**-**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 15 – निवेशों से आय
(निधि की अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. बांड/डिबेंचर्स				
	ग. अन्य				
2	**लाभांशः**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्युचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल				
	निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित				

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंकों से	22,58,21,819.50	-
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों से	-	-
	ग. संस्थानों से	-	-
	घ. अन्य (इआईएल के एसक्रो खाते)	1,27,23,603.00	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंकों से	-	-
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारियों/स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य/राशियों पर ब्याज**	-	-
	कुल	**23,85,45,422.50**	-

नोटः स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 18 – अन्य आय
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ**		
	क. स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
	ख. आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या निःशुल्क प्राप्त	(3,73,651.75)	-
2	जारी परिनिर्धारिती हर्जाना, अर्थदंड	22,86,50,393.18	-
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	4,83,000.00	-
5	विविध आय	31,17,385.72	-
	कुल	**23,18,77,127.15**	-

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगति अधीन कार्यों में वृद्धि/(कमी) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्रियां माल		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटावः प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्रियां		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि/(कमी) {1–2}		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	36,25,49,086.00	36,52,11,066.70
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	67,75,124.00	2,18,95,836.00
4	चिकित्सा उपचार	36,33,618.00	23,05,151.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	42,97,112.00	-
6	घरेलू यात्रा व्यय	2,44,33,796.00	2,32,12,257.25
7	विदेश यात्रा व्यय	11,54,438.00	9,61,434.00
8	नियोक्ता अंशदान	37,39,838.00	42,15,505.00
9	ग्रेच्युटी अंशदान	-	-
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	2,37,66,683.00	-
11	कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अंशदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्याय	-	-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण – मानदेय)	41,29,865.00	-
	कुल	**43,44 79,560.00**	**41,78,01,249.95**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	505.64	-
4	विद्युत एवं शक्ति	2,80,00,956.34	2,80,28,816.00
5	जल प्रभार	22,21,505.16	12,16,055.06
6	बीमा	-	-
7	मरम्मत और रख–रखाव	62,06,377.20	3,90,67,366.70
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दर एवं कर	15,09,46,726.84	38,56,14,719.00
10	वाहन चालन एवं रख–रखाव	3,41,417.44	-
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	66,21,062.83	-
12	मुद्रण और स्टेशनरी	44,26,786.39	41,35,182.00
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	3,24,08,573.05	-
14	संगोष्ठी/वर्कशॉप पर व्यय	27,10,138.00	-
15	अभिदान व्यय	9,75,747.00	-
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
18	आतिथ्य व्यय	30,41,525.11	44,76,535.58
19	पेशेवर प्रभार	1,23,44,625.00	25,96,606.00
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	48,011.00	4,91,055.00
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष	-	-
24	पैकिंग शुल्क	-	-
25	मालभाडा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	20,05,859.00	-
27	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	19,64,728.22	40,60,522.18
28	कानूनी प्रभार	1,36,49,015.00	1,34,19,202.00
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि)	5,39,43,685.88	5,79,95,569.00
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	8,000.00	1,50,000.00
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	6,53,967.06	-
	iii. कार्यालय–व्यय	7,70,44,430.17	7,59,49,008.28
	कुल	**39,95,63,642.33**	**61,72,00,636.80**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन**		
	क. पंजीयकों को सहायता	136,57,33,444.00	361,35,39,388.00
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	3,27,82,566.36	3,87,37,738.00
	ग. विज्ञापन और प्रचार	30,96,78,846.11	31,06,53,241.00
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	27,59,24,183.00	15,42,20,173.00
2	**प्रौद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय	143,70,48,578.23	109,11,16,514.44
	ख. किराया, दरें और कर		
	ग. पेशेवर सेवाएं / प्रबंधित सेवा प्रदाता लागत	52,26,29,687.00	58,80,76,526.00
	घ. एचसीएल (एमएसपी) को भुगतान	58,03,56,002.79	84,49,73,210.00
	ङ. सीआईएसएफ को भुगतान	-	-
	च. केएम पोर्टल विकास शुल्क	9,31,975.00	1,40,54,558.00
3	**लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	21,64,30,514.79	40,99,85,616.38
	ख. डिस्पैच लागत	1,19,83,655.09	3,640.00
	ग. टीएफएन/संपर्क केन्द्र लागत	30,64,82,420.00	31,90,94,924.00
	घ. शिकायत निवारण संचालक	73,27,618.48	82,56,801.00
	ङ. अन्य शुल्क	4,150.00	-
4	**आधार सक्षम अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	4,41,84,349.00	7,66,22,942.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	4,89,30,000.00
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-
	घ. एईए/राज्य संबंधित व्यक्ति	1,34,05,736.00	-
	ङ. अन्य शुल्क	-	-
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डीएमएस	-	50,15,29,650.00
	ख डीएमएस – क्यूसी	16,52,78,842.53	2,47,02,110.00
	ग. जीआरसीपी	5,27,78,481.40	4,43,80,398.00
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण/प्रमाणन	31,81,772.04	9,08,406.00

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
6	**यूबीसीसी ऑपरेशन्स**		
	क. ओ ई	-	-
	ख. ओ ए ई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	21,14,57,961.00	5,45,31,101.00
	ख. कार्यालय व्यय	2,25,24,896.95	74,19,896.54
	ग. किराया, दरें और कर	38,94,234.00	40,95,788.00
	घ. अन्य शुल्क	38,47,145.00	-
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	53,29,582.06	68,80,596.95
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं (पीएमयू, टीएसयू, अन्य ठेके)	16,31,43,566.00	-
	घ. अन्य व्यय	81,243.00	-
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूआईडीएआई)**		
	क. लॉजिस्टिक और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य शुल्क	-	-
	कुल	**575,64,21,449.83**	**816,27,13,218.31**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 23 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों/संगठनों को दिया अनुदान		
2	संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
	कुल		

नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ साथ सब्सिडी का भी खुलासा हो।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 24 – ब्याज
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रू.)

क.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर		
	ख. अन्य ऋणों पर		
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)		
2	बैंक प्रभार		
	कुल		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों का अंश बनाना

1. लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरण महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित ''केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों का एकरूपी प्रपत्र.'' में तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.2 लेखा प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालिक निवेशों" के तौर पर वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किये गए हैं। अस्थाई निवेश के अलावा अन्य गिरावट के लिए प्रावधान इस तरह के निवेश की लागत में वहन किया गया है।

2.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य मे हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक आधार पर किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर ।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे कि ब्रोकरेज, स्टाम्प अंतरण शामिल है।

3. अचल आस्तियां

3.1 *मूर्त आस्तियां* – मूर्त आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतियां, यदि कोई हों, से कम करके वहन किया जाता है। अचल आस्तियों की लागत मूल्य में से किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (उन्हें छोडकर जिन्हें कर प्राधिकरणों से वसूल किया जा सकता है), कोई प्रत्यक्षतः खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी आस्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है। मूर्त आस्तियां की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस आस्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 *प्रगति–अधीन पूंजीगत कार्य* – ऐसी आस्तियों जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं है, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति–अधीन पूंजीगत कार्य के तहत अग्रेनीत किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य सहित आयात शुल्क और गैर–वसूलीयोग्य कर, कोई अन्य प्रत्यक्षतः देय लागत शामिल है।

3.3 *अमूर्त आस्तियां* – अमूर्त आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतियां, यदि कोई हों, से कम करके वहन किया जाता है। अचल आस्तियों की लागत मूल्य में से किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (उन्हें छोडकर जिन्हें कर प्राधिकरणों से वसूल किया जा सकता है), कोई प्रत्यक्षतः खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी आस्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है। मूर्त आस्तियां की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस आस्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

साफ्टवेयर खरीद से संबंधित लागत को 'अमूर्त आस्तियां'' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साफ्टवेयर की लागत को 5 प्रतिशत के अवशेष मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन विधि पर तीन वर्ष की अवधि के अंदर परिशोधित किया जाता है।

3.4 *गैर–मौद्रिक अनुदान* – गैर–मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल आस्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत अंशदान में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल आस्तियां के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि से आस्तियों की प्रभावी जीवन अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप, टेबलेट के मामले में 10%) रखते हुए निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमैट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	31.67%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसैट	47.50%	2 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (5% अवशेष मूल्य सहित)
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (10% अवशेष मूल्य सहित)
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल आस्तियां में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5000 रुपए या इससे कम लागत की सभी आस्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सरकारी सहायता के अन्यत्र सब्सिडी और प्राप्तियां

5.1 सरकारी अनुदानों को उसकी सीमा तक ''भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि'' यहां इसके उपरांत इसे ''यूआईडीएआई निधि'' कहा जाएगा, नामक निधि में पूर्णतया क्रेडिट किया गया है।

5.2 सरकारी अनुदान/सहायता, 'सावधि जमा पर ब्याज' और 'स्क्रैप की बिक्री' सहित, के अन्यत्र सभी प्राप्तियों को पूरी तरह 'यूआईडीएआई निधि' में क्रेडिट किया गया है। चूंकि इस 'यूआईडीएआई निधि' के लिए तुलन–पत्र

के निर्धारित प्रपत्र में कोई विशेष अनुसूची नहीं दी गई है, हमने आंकड़ें शामिल करने के लिए चिह्नित/अक्षय निधि 'नामक' अनुसची–3' का उपयोग किया है, और'अनुसूची–3'को' चिह्नित/अक्षय/यूआईडीएआई निधि'के रूप में नया नाम दिया है

5.3 अनुदानों और अन्य प्राप्तियों का क्रेडिट करना जैसा उपरोक्त मद 5.1 एवं 5.2 में दिया गया है, "आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019" के अनुसार है। शामिल की गई नई धारा 25(1) और (2) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

''25(1) 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न को क्रेडिट किया जाएगा–

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशि।

(2) निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति हेतु किया जाएगा–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय के लिए, इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन या भत्ते देय पेंशन शामिल है; तथा

(ख) अन्य सामान पर खर्च और इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजनों के लिए''।

5.4 सीएफआई के भुगतान उपरांत 1 अप्रैल, 2018 को अधिशेष निधि तथा इस अवधि से पूर्व के खर्चों/आय को कोर्पस निधि में समायोजित/क्रेडिट किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 विदेशी मुद्रा में लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है।

6.2 चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः, लाभ/हानि को, विदेशी मुद्रा की देयता अचल आस्ति से संबंधित होने पर तो अचल आस्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप माना जाता है।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 – आकस्मिक देयताएं और लेख संबंधी टिप्पणियां 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखों का अंश बनाना

1. आकस्मिक देयताएं

क. वैसे दावे जिनको संस्था के विरूद्ध ऋण के रूप में नहीं माना गया – शून्य

ख. निम्न के संबंध में:

1. संस्था द्वारा/की ओर से बैंक गारंटी – शून्य
2. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख–पत्र – शून्य
3. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल – शून्य

ग. स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में 31 मार्च, 2018 के अनुसार विवादित मांग– ₹ 47,09,520/– रुपए है।

घ. वर्ष के दौरान, अनुबंध की शर्त के अनुसार कार्य न करने पर ₹ 9,02,31,466/– रुपए की बैंक गारंटी को भुनाया गया था, जिसमें से ₹ 30,00,000/– को 'अन्य आय' में बुक किया गया तथा ₹ 8,72,31,466/– को लंबित कोर्ट केस के कारण चालू देयता' के रूप में दर्शाया गया है।

च. सेवा-कर – शून्य

छ. निगम कर – शून्य

ज. आदेशों के गैर–निष्पादन, किन्तु संस्था द्वारा विवादित हेतु पार्टियों के दावों के संबंध में – शून्य

झ. वेन्डरों के साथ करार के संबंध में – 27,90,78,652 रुपए की राशि रोकी गई है और यह राशि सरकारी खातों में जमा हैं तथा प्रबंधन के विचाराधीन है।

ट. 31 मार्च, 2019 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पार्टियों के 21,39,87,204 रुपए की राशि के लिए यूआईडीएआई के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामले:

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता	किसके विरूद्ध मुकदमा	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा (₹)
1	टुलिप टेलिकॉम लिमिटेड	यूआईडीएआई	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,72,31,446.00
2	मैसर्स सेरको बीपीओ प्रा.लि.	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	3,28,33,758.00
3	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	8,95,00,000.00
4	मैसर्स आई–एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज प्रा. लि.	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000.00

नोट: उपर्युक्त के अलावा कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव सुनिश्चत नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित की जाने वाली शेष और प्रावधान संविदाओं का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों के निवल) लिए प्रावधान नहीं किया गया है – शून्य।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि – शून्य

4. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृति हितलाभ के समक्ष कोई देयता नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं।

5. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 प्रबंधन के विचार में, चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम, व्ययवसाय के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन–पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के बराबर है।

5.2 इसमें डीएवीपी, डाक कार्यालय, राज्य सरकारों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों को दिए गए अग्रिम हैं, जिन्हें वित्तीय विवरण में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और इनको इन एजेंसियों से बीजक (इन्वोईस) प्राप्त होने पर व्यय के रूप में बुक किया जाएगा।

6. कराधान

यूआईडीएआई के पास लाइसेंस फीस, परिनिर्धारित नुकसानी और पेनल्टी, सावधि जमा, स्क्रैप की बिक्री आदि के संबंध में प्राप्तियां हैं, जिन्हें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अलग से दर्शाया गया है। ''आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019'', यूआईडीएआई को आयकर से छूट प्राप्त है। प्रभाव में आयी नई धारा 50क को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

''आयकर अधिनियम, 1961 और आय, लाभ या फायदे पर कर से संबंधित तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम, में निहित कुछ भी होने के बावजूद, प्राधिकरण अपनी आय, लाभ या फायदे के संबंध में आयकर या अन्य किसी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा''।

अध्यादेश के अनुसार, यूआईडीएआई को अपनी सभी आय पर आयकर देने से छूट दी गई है, इस प्रकार 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. पूर्व की अवधि का समायोजन

7.1 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व की अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

7.2 पट्टे की तारीख से बेंगलुरु में लीज होल्ड पर मूल्यह्रास को दर्शाया नहीं गया है। अब वित्त वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक कुल मूल्यह्रास 2,55,79,437.97 रुपए परिकलित किया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक के मूल्यह्रास 2,22,87,302.97 रुपए को आय एवं व्यय में पूर्व अवधि की मद के रूप में अलग से दर्शाया गया है तथा वित्त वर्ष 2018–19 के 32,92,135/– रुपए के मूल्यह्रास को चालू वर्ष के मूल्यह्रास में शामिल किया गया है।

7.3 लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ तथा वित्त वर्ष 2017–18 में आय के तौर पर बुक 5,21,44,619/– रुपए को चालू वित्त वर्ष 2018–19 में रिवर्स किया गया और वित्त वर्ष 2018–19 में स्थापित लाइसेंस शुल्क के लिए बीजक के रूप में पूर्व अवधि में डेबिट किया गया।

7.4 वित्त वर्ष 2017–18 के लिए पुराने पेपरों की बिक्री से प्राप्त 2,21,38,009/– रुपए को चालू वित्त वर्ष 2018–19 में पूर्व अवधि आय के रूप में बुक किया गया है।

7.5 पूर्व अवधि की अन्य मदों को भी अलग से आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है।

8. स्क्रैप की बिक्री

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, 43,000/– रुपए की स्क्रैप की बिक्री हुई, जिसमें पुराने कंप्यूटरों, लैपटॉप, मोबाइल आदि। बहुत पुराना सामान होने के नाते, प्रत्येक आइटम को उसके मूल अधिग्रहण की तारीख/मूल्य के साथ मैप करना संभव नहीं था, इसलिए हमने एफआईएफओ पद्धति का उपयोग किया है और तदनुसार संपत्ति की बिक्री की गई।

यूआईडीएआई, मुख्यालय की इमारत के संपूर्णता प्रमाणपत्र के अनुसार, मुख्यालय, हमने 15 जून 2018 को पूंजीकरण की तारीख के रूप ले लिया और तदनुसार इमारत का यथा अनुपात आधार की अवधि के अनुसार मूल्यह्रास किया गया है।

पिछले वर्ष में विभिन्न अनुसूचियों की कुछ मदों को एक साथ मिला दिया गया, चालू वर्ष के दौरान मदों को अधिक स्पष्टता के प्रयोजनार्थ विस्तारित/बढ़ाया गया है।

1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश के रूप में हैं।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
सहायक महानिदेशक	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10. अनुलग्नक

10.1 अनुलग्नक I – आधार अधिनियम

दिनांक 29 फरवरी 2016 को मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सरकार ने 3 मार्च 2016 को लोकसभा में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा की गई तथा संसद ने इसे 16 मार्च 2016 को पारित कर दिया और 25 मार्च 2016 को इसे राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त हो गई। विधायी विभाग द्वारा आम सूचना के लिए इस अधिनियम का प्रकाशन भारत के अधिकारिक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, भाग–1, दिनांक 26 मार्च 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; जिसे ''आधार अधिनियम, 2016'' के नाम से जाना जाता है) को किया गया था। अधिनियम की विभिन्न धाराएं अधिसूचित किए जाने के पश्चात आधार अधिनियम, 2016 का प्रवर्तन 12 सितम्बर 2016 को हुआ।

आधार अधिनियम, 2016 में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहायिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नाम से ज्ञात) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा आकस्मिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं –

1. धारा 1 : आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. धारा 3 : प्रत्येक निवासी आधार प्राप्त करने का पात्र है। निवासी वह है जो तत्काल पूर्व एक वर्ष में 182 दिन अथवा अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है।
3. धारा 7 : इसके अंतर्गत भारत की समेकित निधि से सरकारी लाभों, सहायिकियों अथवा सेवाओं की प्राप्ति के लिए केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार की अपेक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है।
4. धारा 8 : आधार धारक द्वारा आधार अधिप्रमाणन एवं सहमति।
5. धारा 29 : सूचना सहभाजन पर प्रतिबंध :
   - क. आधार एवं पहचान सूचना के संग्रहण के लिए निवासी की सहमति की आवश्यकता।
   - ख. आधार का उपयोग केवल आधार अथवा अधिप्रमाणन के संग्रहण के समय प्रकट किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए।
   - ग. सहमति प्राप्त कर आधार का सहभाजन पात्रता निर्धारण के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ किया जा सकता है।
   - घ. मूल बायोमीट्रिक का सहभाजन किसी भी एजेंसी के साथ कभी भी नहीं किया जा सकता तथा इनका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य से किया जा सकता।
   - ङ आधार का प्रकाशन, प्रदर्शन अथवा प्रस्तुति सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता।
6. धारा 40 तथा 42 : प्रतिरूप तैयार करने, अनधिकृत रूप से विस्तार करने/सूचना का सहभाजन करने की स्थिति के लिए दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जुर्माने तथा/अथवा 3 वर्ष की सजा की व्यवस्था है, जो व्यक्तियों एवं कम्पनियों, दोनों के संबंध में लागू है।
7. धारा 57 : यह सक्षमता प्रदान करने की धारा है जिसके अंतर्गत राज्यों अथवा किसी भी कॉर्पोरेट अथवा व्यक्ति को किसी कानून के अनुसरण में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या मांगने की अनुमति दी गई है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया भाविपप्रा की वेबसाइट पर लिंक https://uidai.gov.in/images/the_aadhaar_act_2016.pdf में उपलब्ध आधार अधिनियम, 2016 देखें।

तत्पश्चात्, आधार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना से पहले और बाद में, अन्य बातों के साथ साथ, आधार की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय, के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। इन सभी रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक प्रमुख मामला डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 494/2012 के साथ टैग किया। कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ; आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा डब्ल्यू.पी. (सिविल) नंबर 494/2012 के मामले में अंतिम निर्णय 26.09.2018 को सुनाया गया।

आधार पर निर्णय के पश्चात्, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने एवं योग्य व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों की मनाही को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के अनुसार, आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक बदलाव लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी बदलाव की आवश्यकता थी ताकि सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी जा सके। तदनुसार, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा 4 जनवरी, 2019 को पारित कर दिया गया, लेकिन राज्य सभा द्वारा इसे नहीं लिया जा सका क्योंकि वह अनिश्चित काल तक स्थगित हो गया। उसके बाद, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 9), दिनांक 02.03.2019 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया और तुरंत लागू हो गया।

आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

क) किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक संख्या प्रदान करना;

ख) अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;

ग) अधिप्रमाणन या ऑफ़लाइन सत्यापन या अन्य साधन द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग को प्रदान करने के लिए;

घ) आधार संख्या का अधिप्रमाणन या ऑफ़लाइन सत्यापन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है;

ङ) मना करने या अधिप्रमाणन से गुजरने में असमर्थ होने पर सेवाओं के इनकार की रोकथाम;

च) अधिप्रमाणन करने पर सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को ध्यान रखने के लिए;

छ) ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए;

ज) आधार इकोसिस्टम में किसी भी संस्था के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश देने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना;

झ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना के लिए;

ञ) सूचना के आदान–प्रदान पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए;

ट) नागरिक दंड, उसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करने के लिए;

ठ) आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के लिए;

ड) टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देना।

10.2 अनुलग्नक II – आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं: –

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशन तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम (2016 का संख्या 1)	14 सितम्बर, 2016
2	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2)	14 सितम्बर, 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 3)	14 सितम्बर, 2016
4	आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 4)	14 सितम्बर, 2016
5	आधार (सूचना का सहभाजन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 5)	14 सितम्बर, 2016
6	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)	15 फरवरी, 2017
7	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 2)	07 जुलाई, 2017
8	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 3)	11 जुलाई, 2017
9	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 5)	31 जुलाई, 2017
10	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 1)	12 जनवरी, 2018
11	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (छाठवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 2)	31 जुलाई, 2018
12	आधार (अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य–निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 1)	07 मार्च, 2019

ऊपर उल्लिखित विनियमों से भाविपप्रा को अपने रोजमर्रा के कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं। विनियमों से संबंधित किसी प्रकार के अद्यतन शीर्ष लिंक से संदर्भित किए जा सकते हैं।

10.3 अनुलग्नक III - सत्यापन हेतु स्वीकार्य सहायक दस्तावेज़ों की सूची

नाम और फोटो युक्त पीओआई (पहचान का प्रमाण) दस्तावेज

1. पासपोर्ट
2. पैन कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
7. नरेगा जॉब कार्ड
8. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. हथियार लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
17. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो की पहचान संबंधी प्रमाणपत्र
18. संबंधित राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
19. भामाशाह कार्ड
20. मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहैड पर प्रमाणपत्र
21. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
22. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
23. नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
24. फोटोयुक्त विवाह प्रमाणपत्र 25. आरएसबीवाई कार्ड
26. माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाणपत्र बुक, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो
27. फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र
28. नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
29. नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
30. नाम और फोटो वाली बैंक की पासबुक
31. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र

आवेदक का नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) का नाम सहित पीओआर (संबंध दर्शाने वाला प्रमाण) दस्तावेज़

1. पीडीएस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. सीजीएचएस/राज्य सरकार / ईसीएचएस / ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड
4. पेंशन कार्ड
5. सेना कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म पंजीयक, नगर निगम और तालुक, तहसील आदि जैसे अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज़
9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
10. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
11. भामाशाह कार्ड
12. बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
13. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
14. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

नाम और जन्म तिथि युक्त डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज़

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाणपत्र बुक/प्रमाणपत्र
3. पासपोर्ट
4. लेटरहैड पर समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र (या कार्ड), जिस पर हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों

नाम और जन्म तिथि युक्त डीओबी (जन्म तिथि) दस्तावेज़

6. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जन्म तिथि सहित
7. पैन कार्ड
8. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक/पत्र (मार्कशीट)
9. सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान पत्र
10. केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
11. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड
12. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी) जिसमें नाम और जन्म–तिथि इंगित हो
13. स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण, जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो
14. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र

नाम और पते वाले पीओए (पते का प्रमाण) दस्तावेज

1. पासपोर्ट
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
3. डाकघर खाता विवरण/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. मतदाता पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
9. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
11. संपत्ति कर रसीद (1 साल से अधिक पुरानी न हो)
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
13. बीमा पॉलिसी
14. लेटरहैड पर बैंक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
15. लेटरहैड पर पंजीकृत कंपनी द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
16. लेटरहैड पर मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पते सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र
17. नरेगा जॉब कार्ड
18. हथियार लाइसेंस
19. पेंशनभोगी कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
24. ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
25. आयकर निर्धारण आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/पंजीकृत पट्टा/पंजीकृत अनुबंध
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति और निवास प्रमाणपत्र
30. संबंधित राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
32. पति/पत्नी का पासपोर्ट
33. माता/पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)
34. केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास आबंटन पत्र (3 वर्ष से अधिक पुराना न हो)
35. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें नाम एव पते का उल्लेख हो
36. भामाशाह कार्ड
37. मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके लेटरहैड पर प्रमाणपत्र
38. लेटरहैड पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटोयुक्त पता प्रमाणपत्र
39. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
40. फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक
41. विद्यालय का पहचान पत्र
42. नाम और पता सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
43. नाम, पता और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
44. संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, पता और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र

- **नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज़ साथ में लायें। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है।**
- **मूल दस्तावेज़ स्कैन कर आपको वापस दे दिए जाते हैं।**

10.4 अनुलग्नक IV - आधार परिपूर्णता (राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2019				
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या (संभावित 2018)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2018 (लाइव)
1	दिल्ली	1,83,45,784	2,15,21,384	117.3 प्रतिशत
2	हरियाणा *	2,,73,88,008	2,86,17,515	104.5 प्रतिशत
3	हिमाचल प्रदेश *	73,16,708	75,17,747	102.7 प्रतिशत
4	केरल	3,53,30,888	3,62,54,658	102.6 प्रतिशत
5	गोवा *	15,42,750	15,82,122	102.6 प्रतिशत
6	पंजाब *	2,96,11,935	3,02,10,546	102.0 प्रतिशत
7	तेलंगाना	3,84,72,769	3,89,05,858	101.1 प्रतिशत
8	चंडीगढ़ *	11,26,705	11,30,547	100.3 प्रतिशत
9	उत्तराखंड	1,10,90,425	1,10,48,632	99.6 प्रतिशत
10	लक्षद्वीप	71,218	70,116	98.5 प्रतिशत
11	दादरा और नगर हवेली	3,78,979	3,70,252	97.7 प्रतिशत
12	गुजरात *	6,39,07,200	6,17,46,426	96.6 प्रतिशत
13	दमन और दीव *	2,20,084	2,09,725	95.3 प्रतिशत
14	छत्तीसगढ़	2,85,66,990	2,70,26,408	94.6 प्रतिशत
15	पश्चिम बंगाल	9,76,94,960	9,20,52,420	94.2 प्रतिशत
16	तमिलनाडु	7,64,81,545	7,19,54,016	94.1 प्रतिशत
17	ओडिशा	4,54,29,399	4,26,14,032	93.8 प्रतिशत
18	पुदुचेरी	13,75,592	12,88,420	93.7 प्रतिशत
19	कर्नाटक	6,61,65,886	6,19,66,170	93.7 प्रतिशत
20	महाराष्ट्र	12,08,37,347	11,30,60,712	93.6 प्रतिशत
21	झारखंड	3,73,29,128	3,46,16,153	92.7 प्रतिशत
22	आंध्र प्रदेश *	5,28,83,163	4,89,53,578	92.6 प्रतिशत
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,19,978	3,88,422	92.5 प्रतिशत
24	मध्य प्रदेश	8,23,42,793	7,45,80,995	90.6 प्रतिशत
25	त्रिपुरा	40,57,847	36,61,259	90.2 प्रतिशत
26	मिजोरम	12,05,974	10,70,822	88.8 प्रतिशत
27	उत्तर प्रदेश *	22,89,59,599	20,26,23,790	88.5 प्रतिशत
28	राजस्थान	7,82,30,816	6,84,83,599	87.5 प्रतिशत
29	सिक्किम	6,71,720	5,80,855	86.5 प्रतिशत
30	बिहार	11,94,61,013	10,20,18,856	85.4 प्रतिशत
31	मणिपुर	30,08,546	24,78,084	82.4 प्रतिशत
32	अरुणाचल प्रदेश	15,28,296	12,24,819	80.1 प्रतिशत
33	जम्मू कश्मीर	1,36,35,010	1,05,09,060	77.1 प्रतिशत
34	नागालैंड	21,89,297	12,51,472	57.2 प्रतिशत
35	मेघालय	32,76,323	9,32,161	28.5 प्रतिशत
36	असम	3,45,86,234	50,21,355	14.5 प्रतिशत
योग		**133,51,40,907**	**120,75,42,986**	**90.4 प्रतिशत**

* राज्य द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार

आधार परिपूर्णता 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग 31 मार्च, 2019				
क्र.सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या (0 से 5 वर्ष) (संभावित 2018)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2018 (लाइव)
1	हरियाणा *	23,27,438	17,87,514	76.8 प्रतिशत
2	हिमाचल प्रदेश *	5,61,550	3,55,283	63.3 प्रतिशत
3	चंडीगढ़ *	86,564	53,159	61.4 प्रतिशत
4	गोवा*	1,07,046	52,642	49.2 प्रतिशत
5	दादरा और नगर हवेली	40,413	19,811	49.0 प्रतिशत
6	उत्तराखंड	10,13,876	4,80,991	47.4 प्रतिशत
7	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31,784	13,897	43.7 प्रतिशत
8	पंजाब *	22,56,724	9,65,259	42.8 प्रतिशत
9	आंध्र प्रदेश *	37,70,250	15,19,116	40.3 प्रतिशत
10	पुदुचेरी	1,03,848	41,735	40.2 प्रतिशत
11	ओडिशा	39,56,266	15,72,536	39.7 प्रतिशत
12	दमन और दीव *	17,657	6,841	38.7 प्रतिशत
13	दिल्ली	15,12,496	5,84,315	38.6 प्रतिशत
14	गुजरात *	57,73,653	21,13,621	36.6 प्रतिशत
15	तेलंगाना	28,83,368	10,50,583	36.4 प्रतिशत
16	छत्तीसगढ़	28,42,209	9,86,088	34.7 प्रतिशत
17	झारखंड	41,31,128	14,05,495	34.0 प्रतिशत
18	लक्षद्वीप	5,584	1,795	32.1 प्रतिशत
19	कर्नाटक	54,62,405	17,28,827	31.6 प्रतिशत
20	मिजोरम	1,34,007	42,399	31.6प्रतिशत
21	पश्चिम बंगाल	78,42,681	24,21,553	30.9 प्रतिशत
22	मध्य प्रदेश	84,74,204	24,36,702	28.8 प्रतिशत
23	मणिपुर	2,83,728	76,236	26.9 प्रतिशत
24	अरुणाचल प्रदेश	1,57,934	42,327	26.8 प्रतिशत
25	केरल	25,95,866	6,69,801	25.8 प्रतिशत
26	तमिलनाडु	55,96,466	14,42,736	25.8 प्रतिशत
27	महाराष्ट्र	1,00,67,211	24,99,363	24.8 प्रतिशत
28	उत्तर प्रदेश *	2,35,40,174	55,91,445	23.8 प्रतिशत
29	बिहार	1,46,90,320	31,92,150	21.7 प्रतिशत
30	जम्मू कश्मीर	15,37,339	2,92,258	19.0 प्रतिशत
31	त्रिपुरा	3,56,555	65,567	18.4 प्रतिशत
32	सिक्किम	46,797	7,550	16.1 प्रतिशत
33	राजस्थान	83,24,778	9,01,802	10.8 प्रतिशत
34	नागालैंड	2,18,047	1,094	0.5 प्रतिशत
35	मेघालय	23,27,438	1,420	0.3 प्रतिशत
36	असम	35,65,043	6,601	0.2 प्रतिशत
योग		**12,47,64,360**	**3,44,30,513**	**27.6 प्रतिशत**

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार

आधार परिपूर्णता 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग 31 मार्च, 2019				
क्र.सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या (5 से 18 वर्ष) (संभावित 2018)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2018 (लाइव)
1	दिल्ली	45,35,639	48,40,355	106.7 प्रतिशत
2	दमन और दीव *	43,215	45,633	105.6 प्रतिशत
3	हरियाणा *	62,85,576	65,50,770	104.2 प्रतिशत
4	पंजाब *	60,31,200	60,21,380	99.8 प्रतिशत
5	हिमाचल प्रदेश *	15,25,379	15,04,752	98.6 प्रतिशत
6	चंडीगढ़ *	2,58,622	2,45,686	95.0 प्रतिशत
7	दादरा और नगर हवेली	97,529	90,572	92.9 प्रतिशत
8	गोवा *	2,97,111	2,73,809	92.2 प्रतिशत
9	आंध्र प्रदेश *	1,14,08,014	99,28,738	87.0 प्रतिशत
10	केरल	73,79,473	64,15,348	86.9 प्रतिशत
11	झारखंड	1,16,53,595	99,92,592	85.7 प्रतिशत
12	गुजरात *	1,63,65,995	1,39,09,242	85.0 प्रतिशत
13	मणिपुर	7,20,261	6,07,440	84.3 प्रतिशत
14	तेलंगाना	94,27,918	79,11,459	83.9 प्रतिशत
15	अंडमान .वं निकोबार द्वीप समूह	92,175	77,330	83.9 प्रतिशत
16	कर्नाटक	1,55,92,039	1,30,56,090	83.7 प्रतिशत
17	छत्तीसगढ़	80,89,619	67,37,897	83.3 प्रतिशत
18	पुदुचेरी	2,89,757	2,41,236	83.3 प्रतिशत
19	उत्तराखंडु	32,10,332	26,36,816	82.1 प्रतिशत
20	लक्षद्वीप	16,508	13,503	81.8 प्रतिशत
21	तमिलनाड	1,63,84,756	1,31,93,557	80.5 प्रतिशत
22	महाराष्ट्र	2,92,63,560	2,35,52,697	80.5 प्रतिशत
23	मध्य प्रदेश	2,42,43,645	1,94,45,363	80.2 प्रतिशत
24	ओडिशा	1,17,70,884	94,37,842	80.2 प्रतिशत
25	मिजोरम	3,26,769	2,60,017	79.6 प्रतिशत
26	त्रिपुरा	10,01,509	7,88,109	78.7 प्रतिशत
27	बिहार	4,01,46,965	3,11,93,977	77.7 प्रतिशत
28	पश्चिम बंगाल	2,45,01,368	1,82,43,809	74.5 प्रतिशत
29	उत्तर प्रदेश *	7,50,42,956	5,40,02,597	72.0 प्रतिशत
30	राजस्थान	2,41,65,925	1,70,01,794	70.4 प्रतिशत
31	अरुणाचल प्रदेश	4,94,722	3,36,514	68.0 प्रतिशत
32	सक्किम	1,78,935	1,09,578	61.2 प्रतिशत
33	जम्मू कश्मीर	39,26,462	22,13,728	56.4 प्रतिशत
34	नागालैंड	6,93,028	2,60,348	37.6 प्रतिशत
35	मेघालय	10,80,531	1,54,947	14.3 प्रतिशत
36	असम	98,29,766	4,13,117	4.2 प्रतिशत
योग		36,63,71,736	28,17,08,643	76.9 प्रतिशत

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार

11. शब्द–लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एओएन	आवश्यकता की स्वीकृति
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार संपर्क केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी2बी	उपभोक्ता–से–व्यवसाय
सीएबी	परिवर्तन अनुमोदन बोर्ड
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीसीसी	निवासी/ग्राहक चार्टर
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीडीए	विषयवस्तु विकास एजेंसी
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा निधान
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीआरएम	ग्राहक संपर्क प्रबंधन
सीएसएसी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	व्यापक स्टाइल शीट

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओबी	जन्म तिथि
डीओटी	दूरसंचार विभाग
ईएएस	व्यय संबद्ध स्वीकृति
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहु प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफआईएसी	वित्त समावेशन सलाहकार समिति
जी2सी	सरकार–से–उपभोक्ता
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश
जीआरसीपी–एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन–सेवा प्रदाता
एचओएफ	परिवार मुखिया
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज़
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईआरडीए	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआर	आय कर रिटर्न
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएएम	जन–धन आधार और मोबाइल
जेडब्लूजी	संयुक्त कार्य समूह
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केयूए	ई–केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलपीजी	रसोई गैस
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन/सहमति ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसडी	माइक्रोसॉफ्ट गतिशीलता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनपीसीआई	भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गर्वमेंट
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
ओएआर	आधार आदेश पुनर्मुद्रण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
ओटीपी	एकल समय पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
ओवीएसई	संस्थाओं की ऑफलाइन सत्यापन मांग
पी2पी	प्वाइंट टू प्वाइंट
पी2पी	पर्सन टू पर्सन
पीएसी	लोक लेखा समिति
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीसीएच	प्लेटफार्म नियंत्रक केंद्र
पीडीएफ	पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएमआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीओए	पते का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीएमएलए	मनी लॉंड्रिंग निवारण अधिनियम
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएण्डटी	डाक और दूरसंचार
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत का महापंजीयक

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईडी	राज्य शिक्षा विभाग
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएसएलसी	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
टीसीए	परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	संघ राज्य–क्षेत्र
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंर्सोटियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका है
कि आप स्वयं को दूसरों की सेवा में खपा दें।

—महात्मा गांधी

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट,
नई दिल्ली—110001

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

भाविपप्रा